खण्ड-136, अंक-1
सोमवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1876
(3 मई, 1954 ई0)

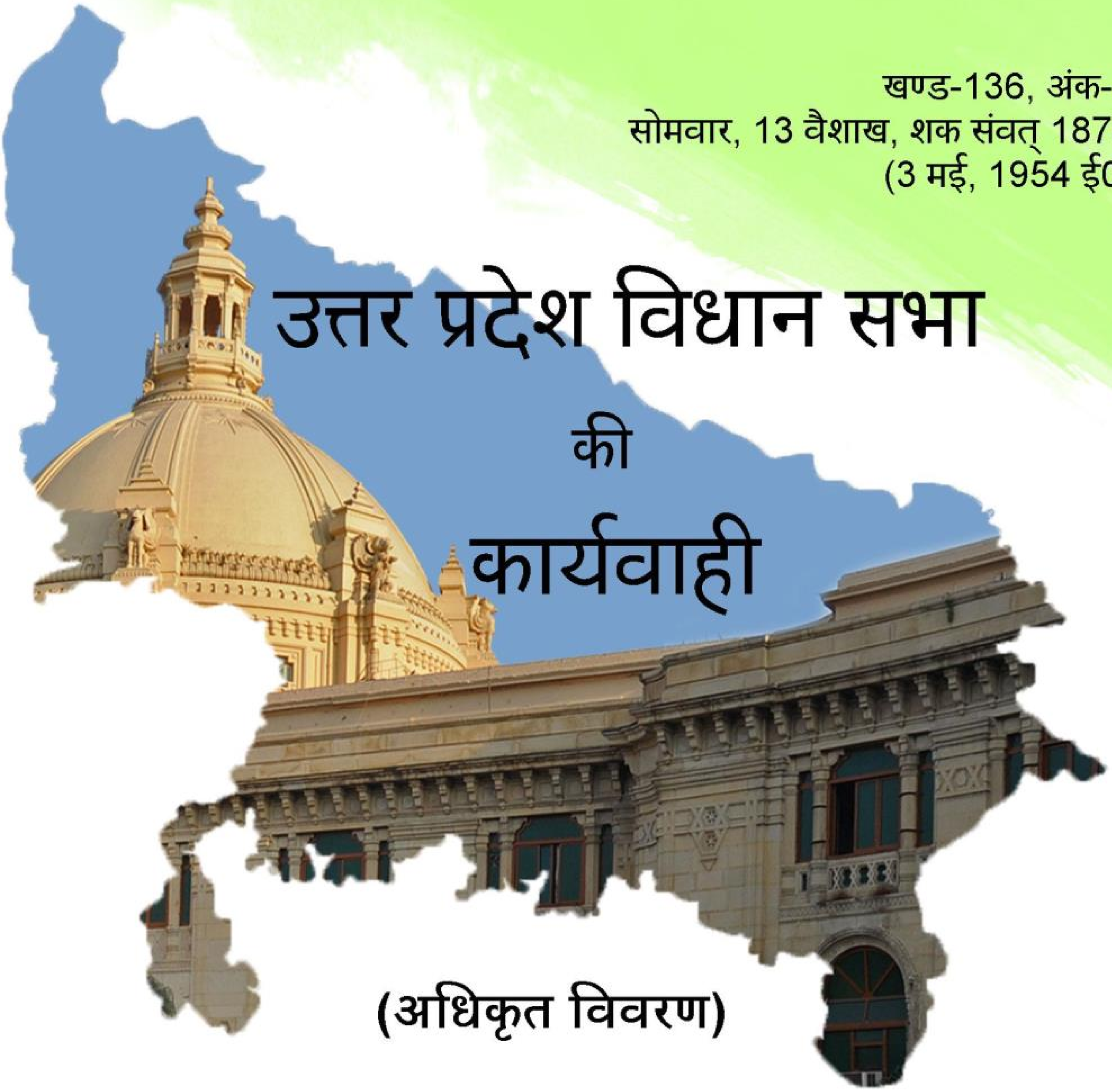

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 136 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद , श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री

हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली

*१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बनारस के शिकमी काश्तकारों को बेदखल होने से बचाने तथा जबरन बेदखल किये गये लोगों को जमीन वापस दिलाने के लिये वह कोई विधेयक वर्तमान सेशन में प्रस्तुत करने जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई विधेयक अगले सेशन में लाने का वे विचार कर रहे हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिले के विधान सभा के सदस्यों ने माननीय राजस्व मंत्री से वहां के शिकमी काश्तकारों की बेदखली के संबंध में कोई मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाय ?

श्री चरण सिंह—यह तो मुझको याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मांग की या नहीं की परन्तु गवर्नमेंट ने इस प्रश्न पर विचार किया है। लैंड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट, १३५९ फसली से लागू होने वाला था लेकिन अब १३६१ फसली है। यदि अब ऐक्ट को लागू करें तो अफसरों को दो साल के पहले के कब्जे के बारे में जिसके बारे में कोई तहरीरी सबूत नहीं है मालूम करने में दिक्कत है इसलिये लागू नहीं किया गया है। इसीलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि इसके संबंध में इन्दराज हो जाय और जब उसके मुताबिक इन्दराज हो जायगा तो लैन्ड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट लागू करना जरूरी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट बनारस में लागू नहीं है ?

श्री चरण सिंह—बनारस स्टेट के किसी भी गांव में लागू नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि सरकार जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या इसी से संलग्न इस संबंध में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—बनारस स्टेट के उस इलाके में जहां सरकार की जमींदारी थी वहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। वह कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं और बहुत जल्द ही वह कानून लागू हो जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सूचना है कि बनारस में जबरन कितनी बेदखली हुई हैं ?

श्री चरण सिंह--जबरन तो बहुत से काम दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन कोई बनारस में समस्या के तौर पर हुई है ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि ५९ फसली में जिन किसानों के नाम में कबजा दर्ज हो गया वह ६० से अब तक बेदखल किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--इसका मुझको कोई इल्म नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में वे अब जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू करने का विचार कर रहे हैं उसके लागू हो जाने के बाद यह जो बेदखलियां हो रही हैं वे रुक जायेंगी ?

श्री चरण सिंह--जो शिकमियों के सिलसिले में कानून में प्राविजन्स हैं वे वहां भी लागू हो जायेंगे।

भूमि सम्बन्धित समस्त नियमों तथा आदेशों के संहित प्रकाशन की आवश्यकता

*२--श्री गेंदा सिंह--क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, उसकी नियमावली तथा इससे संबंधित आदेशों को जो अब तक प्रचलित हुये हैं एक पुस्तक के रूप में करके सरकार प्रकाशित करने जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इसका पता है कि साधारण कानून जानने वालों को इस वजह से बड़ी कठिनाई हो रही है कि रेवेन्यू संबंधी कानून बहुत से हैं और वे ऐसे हो गये हैं जिन्हें वे एक साथ नहीं जान सकते ?

श्री चरण सिंह--जी, जिसे कानून कहना चाहिये वह तो केवल एक संशोधन जमींदारी अबालिशन का हुआ है। हां, नियमों में बहुत सी तरमीमें हुई हैं। जो नियमावली छपी हुई हैं उन सबका एक कंसालिडेटेड एडीशन छप रहा है वह बहुत जल्द शाया होने वाला है। इसके अलावा गांवों के लोगों से ताल्लुक रखने वाले और उनकी जानकारी के लिये जो नियम हैं वे सब गांव समाज मैनुअल में दिये हुये हैं और वह छप चुकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में दूसरा अमेंडिंग बिल ला रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--जी हां, इस पर विचार हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह--क्या यह सच है कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो जाने के बाद उसमें ११ मरतबा संशोधन हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह--मुझे नम्बर तो याद नहीं है लेकिन अगर ११ मर्तबा तरमीम हुई भी हो तो भी कोई ज्यादा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति

*१--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या यह सच है कि गत तारीख २४, २५ अगस्त सन् १९५३ को जौनपुर में गोमती नदी में बाढ़ आई थी और उसके कारण बहुत से व्यक्तियों को घर द्वार छोड़ना पड़ा ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रबन्ध किया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, सरकार ने इस संबंध में जो कार्यवाही की वह इस प्रकार है---

(१) जिन लोगों के घरों में पानी आ गया था उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। इस कार्य के लिये ट्रकों तथा नावों का प्रबन्ध किया गया ।

(२) जौनपुर नगर में ११ सहायता केन्द्र खोले गये, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन दिया गया।

(३) देहाती क्षेत्र में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने में मदद की गई तथा जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज आदि दिया गया ।

(४) स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां बांटी गईं जिससे बीमारी को रोका जा सका।

(५) पुलिस ने खाली मकानों की देख भाल की।

(६) पीड़ित क्षेत्र में २४ ए० पी० दूकानें खोली गईं और सस्ते गल्ले का प्रबन्ध किया गया ।

(७) पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिये बाहर से भूसा मंगाया गया और क्रय मूल्य पर किसानों को दिया गया ।

(८) रबी के बीजों के लिये तकावी बांटी गई ।

(९) गिरे मकानों को पुनः बनाने के लिये तकावी तथा मुफ्त सहायता दी गई।

*२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगर-पालिका के अन्दर कितने मकानों को क्षति पहुंची और उसमें कितने सरकारी मकान थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जौनपुर नगरपालिका में कुल १४ मकानों को क्षति पहुंची, जिनमें ५ मकानों को अधिक क्षति पहुंची। सरकारी मकान इनमें केवल १ था। पुरातत्व विभाग की १ गुमटी जो गोमती पुल पर स्थित थी।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में बाढ़ की वजह से गोमती का पुल बड़ी खतरनाक हालत में पड़ा हुआ है, उसके लिये सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह---मैं इसका एकदम जवाब देने में असमर्थ हूं। नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक कुछ लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिली है ?

श्री चरण सिंह---मुझे इसका पता नहीं है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो अनुदान हेतु सहायता तथा तकावी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा दी गई थी वह सब बांट दी गई है या अभी बाकी है ?

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि वह बांटी जा चुकी होगी लेकिन अगर कहीं जरूरत नहीं होगी तो मुमकिन है कि कुछ रुपया बचा हुआ हो। आपकी इजाजत से मैं इतना और अर्ज कर देना चाहता हूं कि पहले भी माननीय मित्र ने इस तरह से प्रश्न किये थे और उनका तफसील में जवाब दिया गया था। एक तो बाढ़ के लिये ही उनको मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जिस तरह से यह सवालात पूछे जाते हैं उसमें और भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि जितना अच्छा हल मौके पर जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हो सकता है

उतना यहां से सवाल पूछने पर नहीं हो सकता है। वैसे उनको हक है और वह सवाल पूछ सकते हैं लेकिन मेरी यह सिर्फ दरख्वास्त है, मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं।

तराई स्टेट फार्म के सम्बन्ध में पूछताछ

*३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितनी यांत्रिक मशीनें हैं और उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं तथा कितनी बेकार हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल ८१ यांत्रिक मशीनें हैं, इसमें से ५८ काम कर रही हैं तथा २३ मरम्मत के लिये कारखाने गई हुई हैं। बेकार मशीन यहां कोई नहीं है।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितने कर्मचारी किस पद पर कार्य करते हैं और उन्हें क्या-क्या वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल २१९ कर्मचारी कार्य करते हैं। इनके पद तथा वेतन-क्रम संलग्न सूची में दिये हैं। उन्हें सामान्य भत्ता तथा वेतन का २० प्रतिशत तराई भत्ते के रूप में दिया जाता है। रहने के लिये उन्हें बिना किराये के मकान भी दिये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४ पर)

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि स्टेट फार्म की पिछले ४ वर्षों में कुल कितनी आमदनी और कितना खर्चा रहा?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिछले ४ वर्षों की आमदनी तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आमदनी	खर्च	लाभ
१९४९–५०	२७,६९,२०४	२६,६२,०२८	१,०७,१७६
१९५०–५१	३८,१४,४९९	३०,२१,७८२	७,९२,७१७
१९५१–५२	४७,७६,०६२	४४,२६,१७८	३,४९,८८४
१९५२–५३	५०,३१,५८०	४७,३३,११२	२,९८,४६८
योग ..	१,६३,९१,३४५	१,४८,४३,१००	१५,४८,२४५

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ८१ यांत्रिक मशीनों में से कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने बुल डोजर्स हैं और कितने हारवेस्टर्स हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—यांत्रिक मशीनों में ८१ ट्रैक्टर्स हैं और यांत्रिक मशीनों का जो उत्तर दिया गया है उसका संबंध टैक्टर्स से है। उसके अलावा १८ कम्बाइन्स तथा २४ वेहिकिल्स हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यांत्रिक मशीनों में उन्होंने ट्रैक्टर ही केवल शामिल किये हैं तथा उसके अलावा आपके कितने हारवेस्टर्स बेकार हैं और कितने काम कर रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—बेकार कोई नहीं है। सब काम कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि तराई स्टेट फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों में से बहुत से कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं और उन्हें छुट्टियों की सहूलियतें ठीक से नहीं हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सही है कि उनमें से बहुत से अस्थायी हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि उन्हें छुट्टियों की सहूलियतें नहीं हैं। जो कर्मचारी अस्थायी होते हैं उन्हें जिन नियमों से छुट्टियां दी जाती हैं उन्हीं नियमों से उन्हें भी छुट्टियां जाती हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुज़फ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि तराई स्टेट फार्म का कुल कितना एकरेज है। क्या यह तमाम भूमि अन्डर कल्टीवेशन आ चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म का कुल क्षेत्रफल लगभग १६,५०० एकड़ है इसमें से १० हजार के लगभग काश्त होती है और तीन हजार के लगभग ग्रास बेल्ट है जो जंगल से लगी हुई है और बाकी में कई बगीचे हैं और कुछ जमीन बिल्डिंग वगैरह में लगी हुई है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस फार्म में पानी की क्या सुविधा है, सिंचाई की क्या सुविधा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—दो प्रकार से इस क्षेत्र में पानी दिया जाता है, कुछ तो नहरें हैं, कुछ ट्यूबवेल्स हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो २३ मशीनें कारखाने में भेजी गईं वे कब भेजी गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ये तारीखें तो मेरे पास नहीं है कि कब भेजी गईं। लेकिन जब खराब हो जाती हैं तो वे कारखाने में मरम्मत के लिये भेज दी जाती हैं। यह भी मैं माननीय सदस्यों को सूचना के तौर पर बता दूं कि उनमें से अधिकतर मशीनें ऐसी हैं जो इन पांच वर्ष के अन्दर जो उनका साधारण जीवन होता है उससे अधिक काम कर चुकी हैं और मरम्मत करके उनके कार्यकाल को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कारण बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में लगातार खर्चा क्यों बढ़ता चला जा रहा है और लाभ क्यों कम होता चला जा रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में खर्चा और लाभ दोनों अनुपात से ही करीब-करीब बढ़ रहे हैं। बीच में एक स्थान पर १९५०-५१ में जो यह बताया गया है कि ७,५२,७१७ का फायदा था और १९५१-५२ में एकदम से ३,४९,८८४ का रह गया, इसका एक कारण तो यह है कि १९५०-५१ में जो जमीन जोती गई उसका क्षेत्रफल लगभग १३ हजार एकड़ के था लेकिन वह जमीन जोतने के बाद जो वहां का कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट है उसमें जो लोग बसाये गये हैं उनको करीब-करीब ६ हजार एकड़ जमीन दे दी गई है। इसलिये १९५१-५२ में जोत का रक़बा करीब ७ हजार एकड़ के रह गया जिसकी वजह से लाभ कम हुआ है। इसके अलावा माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले तीन चार वर्षों में तराई में पानी की काफी कमी रही, सूखा पड़ा और गन्ने का दाम भी जो १ रु० १२ आ० था वह १ रु० ५ आ० रह गया और चूहों से भी नुकसान हुआ जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी पूछे और बजट में भी उसकी चर्चा की। तो इन कारणों से लाभ में कमी हुई और खर्च जो था वह ज्यों का त्यों रहा।

मड़ियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के अन्तर्गत रामपुर बाजार तथा मड़ियाहूं कस्बे के अन्दर पशु चिकित्सा लय खुलने वाला है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—आर्थिक कठिनाइयों और पशु चिकित्सकों की कमी के कारण कुछ समय तक नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

*७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहू तहसील के नेवढ़िया बाजार सरसरा बड़ेटी में पशुओं के रोग दूर करने के लिये स्टाकमैन रक्खे जाने वाले हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—जी हां। इसक प्रबन्ध किया जा रहा है।

देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से खेती को हानि

*८—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भाटपार रानी N. E. R. स्टेशन (जिला देवरिया) के उत्तर बेलपार पंडित के ताल में पानी घिर जाने से कितने एकड़ खेती को क्षति हो रही है?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में गत वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से लगभग १५० एकड़ खेती को हानि हुई।

*९—श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अभी भी वहां मीलों लम्बा और करीब ६ फर्लांग चौड़ा पानी घिरा हुआ है?

श्री चरण सिंह—वहां लगभग ६ फर्लांग लम्बे और ४ फर्लांग चौड़े घेरे में पानी घिरा हुआ था।

*१०—श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या नाला बनवाकर इस पानी को निकालने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां, एक ऐसे नाले के बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे ताल का पानी निकाला जा सके।

भूदान यज्ञ में दी गयी भूमि

*११—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश से जिलावार श्री विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में कुल कितनी कितनी जमीन दान में मिली है?

श्री जगत प्रसाद रावत—अल्मोड़ा गढ़वाल, और टेहरी-गढ़वाल जिलों को छोड़कर अन्य ४८ जिलों में कुल मिला कर २,५५,८६८.२४ एकड़ भूमि ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक भूदान यज्ञ में दान की गई। जिलेवार सूचना एक सूची में दे दी गई है जो मेज पर रख दी गई है।

(देखिये गत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५–७६ पर।)

*१२—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि कितने परिवार जिलों को जिलावार, उस जमीन का बटवारा हो चुका है?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसमें से ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक कुल २३,९६९.६३ एकड़ भूमि का ९,४९७ परिवार वालों को बटवारा हुआ है। जिलेवार सूचना एक सूची में दे दी गई है, जो मेज पर रख दी गई है।

[देखिये नत्थी 'ख (१)' आगे पृष्ठ ७७-७८ पर]

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उस दान में दी हुई बहुत सी जमीनें झगड़े की हैं और बहुत सी परती, बंजर या दूसरे सार्वजनिक उपयोग की जमीनें हैं? अगर हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है या करना चाहती है?

श्री चरण सिंह--यह ठीक है कि कुछ जमीन ऐसी हो सकती है कि जो सार्वजनिक उपभोग की हो और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस पर विवाद चल रहा हो। तो जिनके बारे में विवाद चल रहा है उनका अंतिम निर्णय कोर्ट से हो जायगा और उसके मुताबिक यह जमीन मिलेगी। जो सार्वजनिक उपभोग की जमीन है उसके लिये भू-दान यज्ञ ऐक्ट में एक धारा दी हुई है कि उसका दान नाजायज़ माना जायगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन अभी बांटी नहीं गई है वह कब तक बांट दी जायगी?

श्री चरण सिंह--जमीन बांटने की कोई जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिये कोई इसकी बाबत जवाब भी नहीं दिया जा सकता। उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। यथा सुविधा वह उसको तक़सीम कर देगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आयी हैं कि भूदान ऐक्ट के अनुसार जो अधिकारियों को जमीन का प्रख्यापन करना चाहिये उसमें बहुत देरी हो रही है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। अगर इस सप्लीमेंटरी को मैं शिकायत मान लूं तो इसके अलावा और कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूदान समिति से सरकार का कोई संबंध है?

श्री चरण सिंह--सरकार ने तथा इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कानून बनाया है उसके मातहत वह समिति बनाई गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कालोनाइजेशन और खाम क्षेत्र में जो काश्तकार जमीन दान में देना चाहते हैं उसमें नियम जो खाम क्षेत्र के बने हैं वहां पर भूदान ऐक्ट लागू नहीं हो पाता और न वह जमीन दे पायेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह माननीय सदस्य को स्वयं मालूम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह बात सही है कि खाम और कोलोनाजेइशन क्षेत्र में जो सरकारी नियम हैं उनके कारण भूदान में जमीन नहीं दी जा सकती?

श्री चरण सिंह--सरकार की जमीन तो दी नहीं जा सकती है और सरकार से जिन शर्तों पर जमीन ली है उसके विपरीत यदि कोई कार्यवाही की जाय तो वह नहीं की जा सकती है। बाकी जो प्रश्न है उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन भूदान समिति द्वारा बांटी जाती है वह किस हिसाब से बांटी जाती है?

श्री अध्यक्ष---जवाब दिया जा चुका है कि सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---यह जो दान में जमीन मिली है इसका इन्दराज सरकारी कागजात में हो चुका है?

श्री चरण सिंह---जो कानून बना है उसके मुताबिक इंदराज हो जाना चाहिये और यदि कहीं नहीं हुआ है और माननीय सदस्य यदि नोटिस में लायेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इंदराज हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार राजस्थान सरकार की तरह भूदान में जमीन देनेवाली है?

श्री चरण सिंह---जो आचार्य विनोबा जी का उसूल है उसके मुताबिक दफा ९८ के मातहत गांव सभाओं को अधिकार दे दिया है कि वह जमीन वितरण कर दें, जिनके पास जमीन है वह चाहें तो सारी जमीन भूदान में दे दें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत से स्थानों पर भूमिहीनों को जमीन न देकर दूसरों को दे दी है। यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री चरण सिंह---यदि नियम विरुद्ध जमीन दे दी है तो उसके अनुकूल कार्यवाही की जा सकती है और वह तकसीम नाजायज है। यदि कहीं ऐसा हुआ है तो वह नाजायज करार दे दी जायगी।

*१३-१५---श्री राम सुन्दर पांडेय---[२५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--- [३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को बदलने के लिए सुझाव

*१८---श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलाधीशों ने फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के लिये कोई सुझाव भेजे हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, सरकार के सामने फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के निम्नलिखित सुझाव थे :---

(१) बन्दीपुर क्षेत्र को फैजाबाद से निकालकर आजमगढ़ में मिला दिया जाय।

(२) जमुआरी क्षेत्र को आजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद से मिला दिया जाय।

(३) फैजाबाद से ९ गांव निकाल कर आजमगढ़ में तथा २ गांव आजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद में मिला दिये जायं।

*१९—श्री राम नारायण त्रिपाठी—सरकार उन सुझावों में किन-किन को स्वीकार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार ने उक्त प्रस्तावों में से प्रथम दो को तो अस्वीकार कर दिया है और तीसरे को स्वीकार कर लिया है। इस विषय में एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बंधीपुर क्षेत्र को फैजाबाद में मिला देने के सम्बन्ध में जिलाधीशों के पत्रों का सम्बन्धित उद्धरण पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—(माल मंत्री से) आप उसको कृपा करके संक्षेप में पढ़ें। अगर बहुत देर उसे ढूंढ़ने में होती हो तो रहने दें।

श्री चरण सिंह—जी नहीं। बहुत देर तो नहीं है। लेकिन इसकी चार फाइलें थीं। तीन तो मैंने अलग कर दी थीं। चौथे में उनका १६ नम्बर का खत है जो कि बहुत लम्बा है। उसमें इसके वजूहात दिये हैं कि किस वजह से बंधीपुर एरिया को आजमगढ़ में मिलाना वहां के लोगों की सुविधा के अनुकूल न होगा बल्कि उसके विपरीत पड़ेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या जिलाधीशों ने यह भी लिखा है कि अगर किसी वजह से बंधीपुर क्षेत्र, आजमगढ़ में मिलाया जा सके तो जलालपुर–तिगड़ा रोड को ठीक कराना अनिवार्य है ताकि लोगों को मुनासिब सुविधा मिल सके ?

श्री चरण सिंह—जी हां। जलालपुर से जो स्थान आपने बतलाया उसके लिये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन रामगढ़ तक जो सड़क है उसके लिये उन्होंने पोख्ता करने के लिये कहा है और माल विभाग की तरफ से पी० डब्ल्यू० डी० से दरख्वास्त की गई है कि यथासंभव शीघ्र वह उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें।

हरदोई जिले से भूमि व्यवस्था सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२०—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हरदोई जिले की विभिन्न तहसीलों से जिलाधीश या हाकिम तहसील के यहां उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के अनुसार कितनी-कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—	१५ मार्च, १९५४ तक तहसील हरदोई से	..	४७
,,	तहसील शाहाबाद से	..	२१०
,,	तहसील संडीला से	..	६४
,,	तहसील बिलग्राम से	..	२४०

जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग के कर्मचारी

*२१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग में कुछ कितने कर्मचारी विभिन्न पदों में हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जौनपुर जिले में सम्मिलित संग्रह योजना में कुल १७१ कर्मचारी हैं जिनमें से ७ नायब तहसीलदार, १० सहायक वासिल बाकी नवीस, ७४ अमीन, १ ट्रेजरी क्लर्क, ५ तहवीलदार और ७४ चपरासी हैं, किन्तु कुछ और पदों के मंजूर होने से अब कुल कर्मचारियों की संख्या २०८ हो जावेगी जिनमें से ९ नायब तहसीलदार, १३ सहायक वासिल बाकी नवीस, ९० अमीन, १ ट्रेजरी क्लर्क, ५ तहवीलदार तथा ९० चपरासी होंगे।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जो कर्मचारी रखे गये हैं, उनमें से कितनी जगहें स्थायी हैं और कितनी अस्थायी ?

श्री चरण सिंह—जगहें सब अस्थायी हैं। केवल फर्क इतना है कि ये जो रखे जा रहे हैं ये अब १२ महीने काम करेंगे। पहले जो थे वह ६-६ महीने काम करते थे, एक-एक फसल में।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो और जगहों के लिये आर्डर भेजा गया है उसके साथ-साथ यह भी ख्याल किया गया है कि हरिजनों और और पिछड़ी जाति की सुरक्षित सीटों को पूरा करने की कोशिश की जाय ?

श्री चरण सिंह—आपकी इजाजत से मैं यह कह दूं कि इस सवाल का जवाब देना मैं गैर जरूरी समझता हूं क्योंकि वह आर्डर सबके लिये पहले ही हो चुका है। बार-बार उसी बात का जिक्र करना उचित नहीं है।

गाजीपुर कलक्टरी में विचाराधीन मुकदमे

*२२—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर कलेक्टरी में १ जनवरी, १९५३ को माल व फौजदारी के कितने मुकदमें विचाराधीन थे ?

*२३—१ जनवरी, ५३ से ३१ दिसम्बर, ५३ तक कितने माल व फौजदारी के अलग-अलग नये मुकदमें दाखिल हुये ?

*२४—१ जनवरी, ५४ को कितने मुकदमें माल व फौजदारी के विचाराधीन थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

		माल	फौजदारी
२२	..	७,११९	१,३६१
२३	..	१३,७५५	४,१५७
२४	..	४,२६७	१,२८९

श्री यमुना सिंह—क्या जो मुकदमे दाखिल होते हैं उनके फैसले की कोई निश्चित अवधि भी होती है ?

श्री चरण सिंह—कोई रिचिड अवधि नहीं होती। यह मुकदमे के ऊपर होता है, मसलन अगर मुकदमा स्टे हो गया तो साल दो साल भी पुराने हो सकते हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ के पहले इस दौरान में कलेक्टरी कचहरी, गाजीपुर की अदालत में कितने मुकदमें दाखिल थे ?

श्री चरण सिंह—यह तो सारे जिलों के आंकड़े दिये हैं। वहां आठ दस अदालतें होंगी। तो किस अदालत में कितने मुकदमें थे यह तो मैं नहीं बतला सकता।

*२५-२६—श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)— [३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस जिले के कसबार राजा परगने में ओले से क्षति

*२७—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले के कसबार राजा परगने में कितने गांव ओले गिरने के कारण क्षति-ग्रस्त हुये हैं?

श्री चरण सिंह—कसबार राजा परगने में कुल १०२ ग्रामों को ओले गिरने से हानि पहुंची, जिस में ८७ ग्राम ऐसे हैं जहां क्षति ८ आने या उससे अधिक हुई।

*२८—श्री देवमूर्ति राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षति ग्रस्त ग्रामों के किसानों के लिये कौन-कौन सी सहायतायें देने की सरकार ने व्यवस्था की है?

श्री चरण सिंह—क्षति ग्रस्त ग्रामों को निम्नलिखित सुविधायें दी गईं:—

(१) क्षति ग्रस्त क्षेत्र में दो सड़कों पर टेस्ट वर्क खोले गये।

(२) ८ सस्ती गल्ले की दूकाने खोली गईं।

(३) १,८०,००० रु० की तकावी बांटी गई जिसमें कुछ रुपया परगना कसवार सरकारी तथा देहात अमानत के भी कुछ ग्रामो में बांटा गया।

(४) असमर्थ तथा असहाय व्यक्तियों को मुफ्त गल्ला दिया गया।

(५) सरकारी नल कूपों से सिंचाई के लिये निःशुल्क जल देने की व्यवस्था की गई।

(६) पशुओं के चारे के लिये १ रु० मन के सस्ते भाव पर पुआल दिये जाने का प्रबन्ध किया गया।

(७) समस्त सरकारी मतालबों की वसूली स्थगित कर दी गयी।

(८) मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

(९) जन स्वास्थ्य एवं पशु रक्षा संबंधी सारे उपाय कार्यान्वित किये गये।

(१०) क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यान्वित होने वाली सार्वजनक योजनाओं की गति में तेजी लाई गई जिससे श्रमिकों को कार्य मिल सके।

(११) कृषकों को गल्ले के बीज दिलाने की व्यवस्था की गई।

जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का नीलाम

*२९—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर मंडी में दो-तीन साल के अन्दर नयी बाजार बनाने के लिये लाल इमली पड़ाव के इर्द गिर्द कुछ प्लाटों का नीलाम दुकान वालों में लिये किया गया?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*३०—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि लालइमली पड़ाव में ३०-४० साल पूर्व से मोची, दर्जी, वगैरह जंगल कटान करके बसे थे जो अब उठाये जा रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ लोग इस पड़ाव में बसे हुये हैं पर यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि वे कब से है। उनके हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३१—**श्री खुशीराम**—क्या इस लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी वगैरह दुकानदारों के लिये कोई जगह तजवीज की गई? यदि हां, तो कहां पर?

श्री जगन प्रसाद रावत—भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने यह अहकमात जारी कर दिये हैं कि जब तक लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी, वगैरः दुकानदारों को दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम न हो जाय उनको इस जगह से न हटाया जाय।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जो आज्ञा निकाली है यह कबतक कार्यान्वित की जायगी?

श्री चरण सिंह—इसके कार्यान्वित होने की कोई अवधि नहीं है। जब वह उस वक्त तक हटाये हीं नहीं जायेंगे जब तक दूसरी जमीन का इन्तजाम न हो जाय तो कार्यान्वित होने की अवधि का सवाल ही क्या पैदा होता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन प्लाटों को नीलाम करने वाला अधिकारी या विभाग कौन है?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट स्टेट सुपरिनटेंडेंट के जरिये यह नीलाम हुआ है। या तो उन्होंने खुद किया या अपने किसी मातहत अधिकारी से नीलाम कराया। जिम्मेदारी उनकी थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो लाल इमली पड़ाव में मोची दर्जी बसे हैं उनको इन्हीं खास सुपरिनटेंडेंट ने जमीन अलाट की थी?

श्री चरण सिंह—कोई जमीन अलाट करने का सवाल ही नहीं

श्रमदान सप्ताह में लेखपालों को सड़कों की निशान देही करने की आज्ञा

*३२—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में लेखपालो को अपने अपने हल्के में रह कर डहरों और सड़कों की निशान देही करने की आज्ञा थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लेखपालों ने निशानदेही की है उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो लोगों को दी है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। यह मुझे को नहीं मालूम है कि रिपोर्ट दी है या नहीं दी है।

झांसी जिले में जंगली गायों व बैलों से फसल को हानि

*३३—**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में जंगली गायें व बैल फसल का बहुत नुकसान करते हैं जिसके कारण किसान लोग बहुत दुखी और परेशान हैं? यदि हां, तो उसने उनके पकड़वाने का क्या प्रबन्ध किया है?

श्री चरण सिंह—यह पता चला है कि झांसी तहसील के कुछ गांवों में जंगली गाय व बैल फसल का नुकसान करते हैं। उनके पकड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अन्न की पैदावार में वृद्धि

*३४--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्द शहर)--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के अन्न की पैदावार में कुल कितनी बढोत्तरी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार के पास केवल मुख्य अन्नों अर्थात् गेहूं, जौ चना, ज्वार, बाजरा, मक्का चावल, सांवां, मटर, महुआ व कोदों के पैदावार के आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके अनुसार १९४८-४९ की तुलना में १९५२-५३ वर्ष में अर्थात् ५ वर्ष के उपरान्त प्रदेश के उक्त मुख्य अन्नों की फसलों की कुल पैदावार में लगभग ११,४९,००० टन या १२ प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े सरकार ने अन्न में १२ प्रतिशत बढोत्तरी के दिये हैं वे फार्म से संबंधित हैं या केवल निजी किसानों से ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये तो सारे सूबे के आंकड़े हैं।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपया करेगी कि पिछले पांच वर्ष में जो अन्न में बढोत्तरी हुई है उसमें कितना खर्चा हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार ने बहुत काफी रुपया व्यय किया है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो अन्न में वृद्धि हुई है वह एवरेज में कितनी हुई है ?

श्री चरण सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह नई जमीन बढ़ने से हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह सही नहीं है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह केवल नई जमीन बढ़ने से ही हुई है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी फार्म्स में किस अनुपात से वृद्धि हुई है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता। पूरे प्रान्त के लिये इसमें पूछा गया है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकारी फार्म्स भी इन आंकड़ों में शामिल हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो आंकड़े हैं वे सारे सूबे के हैं सरकारी फार्म्स भी उनमें सम्मिलित हैं।

जिला मुजफ्फर नगर मे कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी

*३५--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में सरकार नें कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी दी ? यदि हां, तो किस-किसको और कितनी-कितनी ?

श्री चरण सिंह--जिला मुजफ्फरनगर में जितनी तकावी ट्रैक्टर के लिये सरकार ने दी है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ८० पर)

जौनपुर जिले में 'घोड़ा रोशन घास' को नष्ट करन का प्रबन्ध

*३६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरार को पता है कि जौनपुर जिले के गड़वारा परगने में पूरा रामसहाय, कोटिला, भुंइधरा और भैंसहा रामपुर के एक बहुत बड़े भाग में 'घोड़ा रोशन' नाम की एक घास बहुत तेजी से फैलती जा रही है और उससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, उक्त स्थानों में 'घोड़ारोशन घास' के फैलने की सूचना शासन को मिली है। इस घास का खेतों की उर्वरा शक्ति पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर अभी तक पूर्ण विवरण सुलभ नहीं हो सका है।

*३७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार इस घास के संबंध में अनुसंधान करा कर इसके नष्ट करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस घास के संबंध में आवश्यक अनुसंधान कराकर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अनुसंधान कार्य के लिये कोई समय तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन प्रयत्न किया जा सकता है कि वे जल्दी ही पता लगा सकें।

कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का वितरण

*३८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या यह सही है कि सन् १९५० में कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन के वितरण के लिये बोली बुलाई गई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*३९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि बोली बोलने वाले कुछ लोगों से रुपया जमा कराया गया था ? क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। एक सूची मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८२ पर)

*४०—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन लोगों को किन आधार पर भूमि एलाट की गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिस भूमि को सन् १९५० में वितरण करने की इरादा और जो नीलाम की गयी है, उसे किसी को एलाट नहीं किया गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि सन् ५० से स्टेट के अन्दर कोई भी भूमि किसी को भी एलाट नहीं की गयी है ?

श्री चरण सिंह—यह सही नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिन लोगों से यह रुपया लिया गया था उन्हें भूमि एलाट नहीं की गयी है, बल्कि और लोगों को की गई है ?

श्री चरण सिंह—डिप्टी कमिश्नर न मुकामी सज्जनों की कमेटी बना दी थी और उसने जमीन का एलाटमेंट किया। उसने अपना गज और पैमाना रक्खा हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या खाम स्टेट में जमीनों के वितरण के लिये बोली बोलने की प्रथा अब भी जारी है ?

श्री चरण सिंह—यह आम प्रश्न आप ने पूंछा, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि यह इसके नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—उत्तर में यह लिखा है कि बोली बुलाई गई थी।

श्री चरण सिंह—यह तो जमीन एक्वायर की गयी थी और एक्वायर करके नोटिफाइड एरिया में कमेटी बनी और उसने जमीन एलाट की। जो जमीन पहले एक्वायर की गई थी सन् ५० से पहले उसके लिये बोली बुलवाई गयी थी।

खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर मे किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार

*४१—श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार खाम स्टेट कोटद्वार, तराई व भावर को खत्म करके वहां के किसानों को हिस्सेदार (proprietors) बनाने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—सम्प्रति ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेन्सों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें

*४२—श्री लक्ष्मण राव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लारियों आदि लाइसेन्सों की आज्ञाओं के विरुद्ध कितनी अपीलें सन् ५२ व कितनी सन् ५३ की स्टेट ट्रांस्पोर्ट अथारिटी के सामने पेश हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायन शर्मा)—सन् १९५२ में २४६ अपीलें दायर की गयीं जिसमें से ११० पर अन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं और १३६ अभी बाक़ी हैं।

सन् १९५३ में २१२ अपीलें दायर की गई हैं जिनमें से ९७ अपीलों पर अन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं, १६ स्वीकृत जांच के अन्तर्गत हैं और ९९ अभी बाक़ी हैं।

*४३—४५—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—४८—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के सुपरवाइजर कानूनगो

*४९—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के जिलों में कुल कितने सुपरवाइजर कानूनगो काम कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के जिलों में निम्नलिखित संख्या में सुपरवाइजर कानूनगो काम कर रहे हैं।

लखनऊ डिवीजन		फैजाबाद डिवीजन	
लखनऊ	८	फैजाबाद	१९
उन्नाव	१४	गोंडा	२०
रायबरेली	१४	बहराइच	१६
सीतापुर	१८	सुल्तानपुर	१७
हरदोई	१७	प्रतापगढ़	१२
खीरी	१३	बाराबंकी	१६
योग ..	८४	योग ..	१००

*५०—श्री दल बहादुर सिंह (अनुपस्थित)—जो सुपरवाइजर कानूनगो डिवीजन के हर जिले में काम कर रहे हैं उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री चरण सिंह—दोनों डिवीजनों के स्थायी तथा अस्थायी सुपरवाइजरों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है:

लखनऊ डिवीजन

जिला	स्थायी	अस्थायी
लखनऊ	..	८
उन्नाव	२	१२
रायबरेली	३	११
सीतापुर	४	१४
हरदोई	२	१५
खीरी	४	९
योग	१५	६९

फैजाबाद डिवीजन

जिला	स्थायी	अस्थायी
फैजाबाद	६	१३
गोंडा	५	१५
बहराइच	२	१४
सुल्तानपुर	६	११
प्रतापगढ़	३	९
बाराबंकी	५	११
योग	२७	७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*५१—श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि १० साल से ज्यादा कोई कानूनगो एक जिले में न रहेगा ? यदि हां, तो क्या इसका पालन रायबरेली जिलें में हुआ है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी हां। इस आदेश का पालन रायबरेली जिले में भी हुआ है। केवल एक व्यक्ति जिसके लिये स्थानान्तरण का आदेश हो चुका है अभी तक नहीं जा सका, क्योंकि उनके स्थान पर आने वाले कानूनगो को जबरदस्ती अवकाश ग्रहण करना पड़ा। यह एक कानूनगो भी शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

*५२—श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[१७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ कलक्टरी में हरिजन कलर्कों तथा चपरासियों की भर्ती

*५३—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—लखनऊ कलेक्टरी में सन् ५२ से अब तक कितने क्लर्क तथा चपरासी भर्ती किये गये हैं ? उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—लखनऊ कलेक्टरी में सन् १९५२ से अब तक क्लर्क और चपरासियों की भर्ती निम्न प्रकार से हुई :

	क्लर्क	चपरासी	हरिजन क्लर्क	हरिजन चपरासी
स्थायी ..	१	६	..	..
अस्थायी ..	१९	३००	..	१४

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २० क्लर्क रखे गये हैं उनमें १८ फीसदी के हिसाब से ४ हरिजन होने चाहिये थे वह क्यों नहीं रखे गये ?

श्री चरण सिंह—जो लोग पहले बन्दोबस्त में काम कर चुके थे और बटवारे का काम कर चुके थे वहां से जो लोग छटनी में आ गये थे या जो सेंटिलमेंट का काम बन्द होने पर बेरोजगार हो गये थे तो पहले उनको रखा गया और बाहर से उन जगहों पर कोई नहीं लिया गया और ५६ तक बाहर से नहीं लिये जायंगे।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १,३०० चपरासी जो रखे गये हैं उसमें केवल १४ हरिजन क्यों रखे गये हैं १८ फीसदी के हिसाब से ५४ होने चाहिये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस का प्रश्न है। आप सीधा सवाल पूछिए।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १,३०० में केवल १४ हरिजन चपरासी क्यों रखे गये हैं इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—जी, कारण तो मैं दरियाफ्त कर के बतला सकता हूं। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछने में कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं मालूम है।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कारण को पूंछने के लिये कम से कम कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो मामूली बात है इसको आप स्वयं समझ सकते हैं।

टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें

*५४--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में पिछले ६ महीनों के भीतर कहां कहां टेस्ट वर्क चलाये गये, उनमें कितने मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया और यदि कहीं बन्द हो गये तो उन के क्या कारण हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*५५--श्री गेंदा सिंह--क्या उत्तर प्रदेश में टेस्ट वर्करों पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न जिलों की भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। मैदानी क्षेत्र में टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें सब जिलों में एक समान हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्र में दरें मैदानी क्षेत्र से भिन्न हैं। दरें इस प्रकार हैं :--

मैदानी क्षेत्र	सबसे सस्ते अन्न की मात्रा
	छटांक
फावड़ा चलाने वाले	२४
मिट्टी ढोने वाले	२०
१४ वर्ष से बड़े बच्चे	१६
पहाड़ी क्षेत्र	
प्रत्येक वयस्क	१२ आना प्रतिदिन

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दो प्रकार की मजदूरी रखने का क्या कारण है और दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री चरण सिंह--कारण यह है कि वहां पहाड़ों में शायद रहन-सहन का खर्चा ज्यादा है। पुराने जमाने से जब से कि यह फेमिन कोड बना हुआ है तभी से यह फर्क रखा गया है। पैरा १७४ रिवाइज्ड फेमिन कोड के मातहत ४० फीसदी तक अन्तर हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि पहाड़ों में १२ आना बड़े लोगों को मिलता है, ८ आना जो औरतें काम करने के लिये आती हैं उनको मिलता है। तो क्या यह ६ आना जो १२ वर्ष तक के बच्चे हैं उनको भी मिलता है ?

श्री अध्यक्ष--उसमें तो वयस्क लिखा हुआ है कि प्रत्येक वयस्क को मिलता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या मेहरबानी करके सरकार बतायेगी कि एक दिन में १५० क्यूबिक फिट मैदानी इलाके में खोदना पड़ता है। अगर वह उससे ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा काम करना चाहे और ८ आने के बजाय १ रुपया कमाना चाहे तो क्या इसकी मुमानियत है ?

श्री चरण सिंह--यह तो जमीन की किस्मों पर निर्भर करता है। उनको २०० क्यू० फु० खोदना चाहिये तब उनको पूरी मजदूरी मिलेगी लेकिन जहां पर कड़ी जमीन है वहां पर १५० केवल रखा गया है। लेकिन यह २०० तक है ऐसा मुझे मालूम है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यदि कोई ८ आने से ज्यादा कमाना चाहे तो क्या अधिक मिट्टी खोदने की सरकार आज्ञा देगी, इजाजत देगी ?

श्री चरण सिंह—इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहाड़ी क्षेत्रों में महिला वयस्कों को क्या मजदूरी दी जाती है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस समय नहीं बता सकता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला देवरिया)—देवरिया जिले में कुल कितना रुपया टेस्ट वर्कों पर खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष—इसमें रुपये का सवाल नहीं है, यह इससे नहीं निकलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर खेतिहर मजदूर टेस्ट वर्क चाहते थे और जिलाधीश ने उन्हें बन्द करा दिया ?

श्री चरण सिंह—जब हारवेस्टिंग का समय आया तो जिलाधीश ने मुझसे मशविरा करके बन्द किये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर अभी भी टेस्ट वर्क की मांग है ?

श्री चरण सिंह—अभी २३, २४ तारीख को एक कान्फ्रेंस में हमने बहुत से फैसले किये हैं जिनमें यह भी है कि ३ जगहों पर टेस्ट वर्क जारी किये जावें और उसके आर्डर्स जारी हो चुके हैं। वे ३ जगह मुझे इस समय याद नहीं हैं, एक तो शायद तमकोही की तरफ सड़कें हैं एक तमकोही-सलैसगढ़ रोड और एक दूसरी गालिबन वहां है, जहां फ्लड से ज्यादा अफ़ैक्टेड हैं जहां से शायद राम जी सहाय जी आते हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में सब से बड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राकी-कछार में कोई टेस्ट वर्क नहीं किया गया है ?

श्री चरण सिंह—यह मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन क्षेत्रों में स्त्रियां मर्दों से ज्यादा परिश्रम करती हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह राय का सवाल है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार मजदूरी के बारे में, अकाल के समय, विचार करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या देवरिया जिले में टेस्ट वर्क से वहां के निवासियों को विशेष सुविधा हुई है, क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे ?

श्री चरण सिंह—जी हां, इसी उद्देश्य से टेस्ट वर्क जारी किये जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि देवरिया के जिलाधीश ने फेमिन कोड के विरुद्ध २०० फिट मिट्टी खोदने का आदेश दिया था और इससे मजदूरों को तकलीफ़ हुई ?

श्री चरण सिंह---गेंदा सिंह जी के ज्यादा मिट्टी खुदवाने की बात मेरे नोटिस में लाने पर मैंने इसे बन्द करवा दिया। लेकिन तकलीफ की बात मैं नहीं मानता क्योंकि माननीय रामनारायण जी ने पूछा कि अगर कोई २०० फीट से ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा कमाना चाहे तो क्या सरकार उसे ज्यादा मजदूरी देगी।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि जिस दिन जिलाधीश ने काम बन्द करने की सलाह दी और मन्त्री जी की सलाह से काम बन्द किया गया उस दिन वहां ४,००० आदमी काम कर रहे थे ?

श्री चरण सिंह ---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ओलों से हानि

*५६---श्री महो लाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कुछ ग्रामों में ओला वृष्टि के कारण रबी की फसल को विशेष हानि हुयी है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितने प्रतिशत हानि हुयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के ७५ ग्रामों में ओलों से रबी की फसल को साधारण हानि पहुंची । यह हानि रुपए में आठ आने से कम थी।

श्री महो लाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना जो ७५ ग्रामों में हानि की मिली है क्या वह केवल लेखपालों की रिपोर्ट पर ही आधारित है ?

श्री चरण सिंह---जी, यह रेवेन्यू मैनुएल के मुताबिक रिपोर्ट लेखपालों से ली जाती है लेकिन कभी-कभी तहसीलदार भी जाते हैं और अगर कभी ज्यादा नुकसान होता है एस० डी० ओ० भी जाते हैं। इस विशेष जगह में किस कर्मचारी ने रिपोर्ट दी यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री महो लाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर हाकिम परगना या तहसीलदार में से कोई नहीं पहुंचा ?

श्री चरण सिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

*५७-५८---श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---[३१ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गए।]

*५९---श्री राम सुभग वर्मा---[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में तरया सुजान के टेस्ट वर्क का बन्द होना

*६०---श्री राम सुभग वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में तरया सुजान का टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां । टेस्ट वर्क उस समय बन्द किया गया था जब कि जिले में रबी की कटाई हो रही थी । फसल की तैयारी के समय श्रमिकों को कृषि कार्य से ही पर्याप्त काम मिल जाता है ।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त टेस्ट वर्क बन्द किया गया उस वक्त हजारों की तादाद में मजदूर वहां काम करने के लिए आए थे ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फेमिन कोड के अनुसार कितने दिन तक टेस्ट वर्क चलाया जाता है जबकि रिलीफ वर्क शुरू होता है ?

श्री चरण सिंह--फेमिन कोड की जो परिभाषा है वह पूरे तौर से इस में लागू नहीं होती क्योंकि उस के मुताबिक केवल मालूम किया जाता है कि लोग इस शरह मजदूरी पर आ सकते हैं या नहीं और आया रिलीफ की वहां जरूरत है या नहीं, इस केस में जो मजदूरी वहां दी जाती है उस से हम ज्यादा दे रहे हैं इसलिए वह कोड उस की कसौटी नहीं हो सकता ।

श्री गेंदा सिंह--किस स्थान पर टेस्ट वर्क चलाने की जरूरत है इसके लिये मंत्री जी क्या आधार समझते हैं ?

श्री चरण सिंह--जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फेमिन कोड के अनुसार मजदूरी बहुत थोड़ी है । वहां चारों तरफ से तकाजा हुआ कि मजदूरी बढ़ायी जाय और उस पर अगर सरकार ने बढ़ा दी तो उस का मतलब यह नहीं है कि वहां फेमिन है । ८ आने तो देवरिया के बहुत से हिस्सों में नार्मल वेज है ।

श्री गेंदा सिंह--जो मजदूरी देवरिया में दी जाती है वह आना पाई में क्या है ?

श्री चरण सिंह--२४ छटांक सस्ते से सस्ते गल्ले की जो कीमत नजदीक के बाजार में हो वह रखी जाती है और इसीलिए गोरखपुर और देवरिया में जहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं वहां भाव केमुताबिक मुख्तलिफ वेजेज हो जाती हैं ।

*६१--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२--श्री देवमूर्ति राम--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६३-श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)--[३१ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में रोडवेज की बसों को चलाने का विचार

*६४--श्री राम प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में किन-किन लाइनों में १९५४-५५ में सरकार अपनी बसें चलाने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सन् १९५४-५५ में जिला रायबरेली में निम्नलिखित मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार है :

१--रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़

२--रायबरेली, बछरावां-महराजगंज होकर

३--तिलोई, इनहोना, भाग रायबरेली, शंकरगंज तिलोई रूट का ।

बाराबंकी जिले के भूमिधर किसान

*६५—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने किसान भूमिधर बने हैं और इनमें से कितने किसान भूमिधरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हैं और कितने को पाना शेष है ?

श्री चरण सिंह—बाराबंकी जिले में कुल ३५,८४४ भूमिधर बने हैं और ये सब भूमिधरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हैं ।

*६६-६८—श्री धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—[६ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए ।]

*६९—श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में ओलों से हानि

*७०—श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री को विदित है कि तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के अधिकांश भाग की रबी की फसल ओलों के पड़ जाने से बिल्कुल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तहसील ठाकुरद्वारा में ११९ ग्रामों में ओला पड़ने से रबी की फसल को हानि पहुंची है । नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ११९ गांवों में से कितने गांवों में ८ आने से ज्यादा नुक्सान हुआ है ?

श्री चरण सिंह—८५ गांवों में ।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ८५ गांवों में ओलों के कारण वहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं । दयनीय नहीं है । उन्हें दयनीय न बनाइये ।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इन ८५ गांवों में छूट के अलावा वहां तकावी बंटवाने का भी इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—केवल इस कारण तकावी बांटने के लिए हमने वहां नहीं कहा है । जो नार्मल तकावी हर जिले में दी जाती है उसी तरीके से वहां के लिए भी है । वहां इस किस्म का कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ है कि जिस बिना पर खासतौर से तकावी बांटी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इन ओले-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी सख्ती के साथ वसूल की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—यह बात सरासर गलत है ।

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में ओले से हानि

*७१--श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी मास में ओलों की अधिक वर्षा के कारण रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसील का किन-किन ग्रामों में कृषि को भारी हानि हुयी और कितने-कितने प्रतिशत ?

श्री जगन प्रसाद रावत--तहसील शाहाबाद के केवल ६९ गांवों में ९ जनवरी, १९५४ को ओला पड़ा जिससे पहले रबी की फसल को अधिक हानि होने की संभावना थी, परन्तु बाद में वर्षा के कारण फसल की हालत सुधर गयी और फसल को केवल साधारण हानि हुयी। जिन गावों में ओला पड़ा उसकी सूची संलग्न है।

तहसील मिलक में ओलों से फसल को कोई नुक्सान नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४ पर)

*७२--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त ग्रामों के कृषकों को सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं अथवा दी जायेंगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--केवल एक तहसील में साधारण हानि होने के कारण कोई सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह हानि ८ आने से कम की है ?

श्री चरण सिंह--विलासपुर तहसील के ६९ गांवों में ८ आने से ज्यादा हानि है।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब एक साधारण नियम ८ आने से ज्यादा नुकसान में छूट देने का है तो इन गांवों के लिये क्यों नहीं छूट दी गयी ?

श्री चरण सिंह--जैसा कि मैंने कहा कि अगर ८ आने से ज्यादा नुक्सान है तो जरूर छूट दी जायगी।

महालों का कम्पेन्सेशन रोल

*७३--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितने महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हो गया है और वह कुल महालों का कितना प्रतिशत है ?

श्री चरण सिंह--३१ मार्च १९५४ तक २,७६,३९६ महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हुआ जो कुल महालों का ९९·९ प्रतिशत है।

*७४--श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना रुपया प्राविजनल कम्पेन्सेशन निर्धारित किया गया है और उसमें से कितने का बांड दिया जायेगा तथा कितना नकद ?

श्री चरण सिंह--कुल प्राविजनल कम्पेंसेशन ७० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें से लगभग १३ करोड़ रुपया नक़द और लगभग ५७ करोड़ रुपया बांडों में दिया जायगा।

*७५--श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में तथा कितना इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका है ?

श्री चरण सिंह--३१ मार्च १९५४ तक ३,६३,४७,९६७ रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में और २०,७१,१४८ रुपया इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका है।

जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता

*७६--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक किन-किन बाढ़ पीड़ित गांवों को गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी सहायता दी गयी है और वह सहायता किस रूप में दी गयी है ?

*७७--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में पिछली बाढ़ से किन किन-गांवों में कितने कितने मकान गिरे थे ?

श्री चरण सिंह--मांगी गयी सूचना संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८५-८६ पर)

लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में छूट

*७८--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी** (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला के गत वर्ष के बाढ़-पीड़ितों के लगान की मुलतवी और छूट का एलान किया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--जिलाधीश ने तहसील सदर और मलिहाबाद के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी और लगान की वसूलयाबी १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के नियम २९३ (४) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार केवल मुल्तवी कर दी है। इसका कारण यह है कि जिलाधीश के प्रस्तावों पर कुछ और जांच की जा रही है और उसके बाद मालगुजारी की छूट या मुल्तवी के आदेश नियमानुसार दिये जायेंगे।

*७९--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी**--क्या सरकार लखनऊ जिला की उन गांवों की सूची देने की कृपा करेगी कि जहां पिछली बाढ़ के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और किसानों को भारी क्षति पहुंची ?

श्री चरण सिंह--अपेक्षित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८७ पर)

बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में गबन

*८०--**श्रीबलालबहादुर सिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में जो गबन हुआ था और जिसमें कई कर्मचारियों पर मामला चल रहा था उसमें क्या हुआ ?

श्री चरण सिंह--बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में जो गबन हुआ था उसमें एक मुन्सरिम तथा एक तहसीलदार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसमें अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री टी० डी० सेठ तहसीलदार निलम्बित (under suspension) हैं। उनके तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

बस्ती जिले में अनेक गांवों को वर्षा से क्षति

*८१—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष वर्षा काल में अति वृष्टि तथा कुआनों नदी के बाढ़ से जिला बस्ती के मुखलिसपुर, पड़री तथा सिगरामऊ के काफी मकान कट कर नदी में चले गए ?

श्री चरण सिंह—ग्राम मुखलिसपुर पड़री तथा सिगरामऊ में कोई मकान कट कर नदी में नहीं गया परन्तु अधिक वर्षा से मकानों को कुछ क्षति अवश्य पहुंची ।

*८२—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मौजों में क्षति ग्रस्त लोगों को सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह—इन गांवों में लोगों को अनाज, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई, सुरती, दूध तथा दवाइयां मुफ्त दी गयीं । ३० रुपए की नकद सहायता भी दी गयी । मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयी और नियमानुसार छूट देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स

*८३—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर की जमींदारी खातमे के पहले कुल मालगुजारी और लगान क्या था और जमींदारी खातमे के बाद अब अलग-अलग इन जिलों की मालगुजारी और लगान क्या है ?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८४—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५२ में जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ का कृषि टैक्स कितना कितना था और अब नये संशोधनों के बाद यह कितना रह गया है ?

श्री चरण सिंह— २८,फरवरी १९५४ तक जिला सहारनपुर और मेरठ का १३५९ और १३६० फसली का कृषि आय कर निम्नलिखित है:—

जिला	कृषि आय कर	१३५९ फ०	१३६० फ०
सहारनपुर ..	..	..	२,९१,५८३	३,४८,९०७
मुजफ्फरनगर ..	..	..	१,८२,४२६	१,८७,५८२
मेरठ ..	..	..	२,६९,७०१	४,५५,५७४

महोबा एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत

*८५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ और भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम की धारा ४ के अधीन तहसीलदारान महोबा एवं चरखारी जिला हमीरपुर ने अपने जनवरी, सन् १९५४ के टूर में अलग-अलग कुल कितनी दुरुस्तियां सेहत काग़जात की हैं ?

श्री चरण सिंह—तहसीलदार महोबा ने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ के अधीन १०८ और भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम १९५२ की धारा ४ के अधीन ६८ तथा तहसीलदार चरखारी ने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ के अधीन ८२ सेहत कागजात की कार्यवाही तै की। तहसीलदार चरखारी के न्यायालय में भूमि सुधार अनुपूरक की धारा ४ के अधीन कोई वाद पेश नहीं हुआ।

*८६—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि सेहत कागजात का अधिकार अदालत पंचायतों से छीन कर फिर तहसीलदारों के अधिकार में दे दिया गया है? यदि हां, तो कब?

श्री चरण सिंह—१६ जून, १९५३ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के अनुसार पंचायत राज अधिनियम में परिवर्तन हो गया है जिसके अधीन सेहत कागजात के मुकदमें तहसीलदार तथा कलेक्टरों के न्यायालय में होते हैं।

कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के परमिट

*८७—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५१-५२ और ५३ के दिसम्बर तक कानपुर रीजन में कितने मोटर ट्रकों, प्राइवेट लारियों और कारों के परमिट दिये गये?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—१९५१-१९५२ व १९५३ में कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों, लारियों व कारों के निम्नलिखित परमिट दिये गये:

१९५१	
पब्लिक कैरियर	१३२
सवारी गाड़ी	३९७
टैक्सी कार	८
प्राइवेट कैरियर	८०
१९५२	
पब्लिक कैरियर	३
सवारी गाड़ी	२९
टैक्सी कार	..
प्राइवेट कैरियर	२८
१९५३	
पब्लिक कैरियर	११५
सवारी गाड़ी	२५
टैक्सी कार	१
प्राइवेट कैरियर	५५

मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गयी बसें

*८८—श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में मेरठ के सरकारी रोड़वेज कारखाने के द्वारा कितनी बसें चालू की गयीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सन् १९५२-५३ में २७६ गाड़ियां मरम्मत की गयीं। इनमें से १७८ तो रोडवेज की थीं व ९८ दूसरे विभागों की थीं।

बलिया जिले में हरिजन लेखपालों की संख्या

*८९--श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले की प्रत्येक तहसील में कितने कितने लेखपाल लिये गये हैं और उनमें से प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपाल कितने कितने हैं ?

श्री चरण सिंह--बलिया जिले के प्रत्येक तहसील में लेखपालों की संख्या तथा प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपालों की संख्या निम्नलिखित है :

तहसील	कुल संख्या लेखपाल	हरिजन लेखपाल
बलिया	१२० ..	७
बांसडीह	१०९ ..	२
रसड़ा	१२८ ..	५
योग ..	३५७	१४

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर ने श्री राजनारायण सिंह की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना भेजी है, वह इस प्रकार है :--

"अपने २५ अप्रैल, १९५४ के पत्र-संख्या ५४१-बी/५४ के क्रम में, आपके सूचनार्थ मुझे यह निवेदन करना है कि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह को पहली मई, १९५४ को जमानत पर छोड़ दिया गया, परन्तु दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन ११७ (३) के साथ पठित सेक्शन १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रहने के कारण एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट ने विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह से ३० अप्रैल, १९५४ को यह चाहा कि वे १,००० रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दें तथा २ प्रतिभू, प्रत्येक उसी धनराशि का देवें ताकि जब तक दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन १०७ के अन्तर्गत मामला विचाराधीन रहे, वे शांति भंग न करें। चूंकि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह ने वह मुचलका नहीं दिया तथा वे प्रतिभू भी नहीं दिये, जो उनसे मांगे गये थे, उनको कानपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में हिरासत में रखा गया है।"

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री अध्यक्ष--पुस्तकालय समिति में ३ स्थान रिक्त हो गये थे क्योंकि कौंसिल के कुछ सदस्यों का विधान परिषद् का समय समाप्त हो गया था। उनमें से श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी फिर से चुन कर आ गये हैं इसलिये उन्हें मैं पुस्तकालय समिति के लिये नामजद करता हूं। अब दो सदस्यों का प्रश्न रह जाता है। एक श्रीमती महादेवी वर्मा, उनके संबंध में यदि निर्णय हुआ कि वे नियुक्त हो गयीं तो वे समिति में नियुक्त हो जायेंगी। तीसरे श्री मुकुट विहारी लाल चुनाव में हार जाने के कारण नहीं चुने गये। उनका स्थान रिक्त है, जिसके विषय में फिर विधान परिषद् के किसी माननीय सदस्य की नियुक्ति होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष---मैंने पिछले शुक्रवार को यह कहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है उसके विचार के लिये कोई दिन नियत करूंगा। विचार विनिमय के बाद मैं यह निर्णय करता हूं कि गुरुवार, तारीख ६ को प्रश्नों के समाप्त होने के बाद १२ बजे से उसके ऊपर विचार होगा। उसके लिये दो घंटे का समय इस प्रकार से होगा---१२ बजे से सवा बजे तक, और सवा दो बजे से तीन बजे तक। ३ बजे उसके ऊपर विचार समाप्त होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष, क्या सरकार श्री राज नारायण जी की दुबारा गिरफ्तारी पर इस सदन में अपने वक्तव्य द्वारा और अधिक सूचना देना उचित समझती है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---जो सूचना अध्यक्ष महोदय ने दी है उससे अधिक कोई और जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। उससे अधिक जानने के लिये कोई बात ज्यादा जरूरी भी नहीं मालूम देती। जो कुछ है वह खेदजनक है, मगर है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपको इसकी सूचना है कि माननीय राज नारायण जी को जेल से रिहा नहीं किया गया और जेल में ही शांति भंग का नोटिस दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---मुझे एक यह सूचना मिली है कि जेल में ही नोटिस दिया गया था लेकिन उनको रिहा किया गया ऐसा एक तार माननीय राज नारायण जी का भी मेरे पास आया है कुछ ऐसा मुझे स्मरण है कि ऐसा कोई तार उनका भी मेरे पास आया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमान् जी जो आप ने विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में तिथि नियुक्त की उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि मेरे दो पत्र तथा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के नोट में नहीं छपे हैं। इसलिये यदि उनके प्रकाशन की व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय कर दें तो उचित होगा ताकि सदन को विचार करने से पहले वस्तुस्थिति क्या है, यह मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर विचार कर के निर्णय दूंगा लेकिन इसके विषय में उसी दिन प्रश्न उठाया जा सकता है आज नहीं।

सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि असेम्बली कब तक चलेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)---मुझे तो यह उम्मीद थी कि ७ तारीख तक काम खत्म हो जायगा और ७ के बाद सब लोग घर जा सकेंगे, मगर वह तो सदस्यों के हाथ में है, वह जब चाहें उस काम को पूरा कर दें और तब असेम्बली का इस वक्त का सेशन खत्म किया जाय। अब उसके बारे में उनके मन में क्या है वह मैं नहीं जानता। वे निश्चित कर दें कि फलां दिन तक यह हो जायगा, तो उसी के मताबिक़ कार्यवाही हो जाय।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८८--९५ पर)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन संशोधन पर बोलते हुये यह चाहता था और यह चाहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव ग्राम सभाओं की बने उसका नम्बर अभी से निर्धारित कर दिया जाय और वह काम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को न सौंपा जाय। अध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जिम्मे बहुत से काम हो गये हैं और अगर यह मेम्बर की संख्या तय करने का भी काम दे दिया जाय तो इसमें बड़ी दिक्कत पड़ जायगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम ग्राम सभाओं पर यह छोड़ दिया जाय कि वह ११ मेम्बरों को अपनी एक्जीक्यूटिव में रखना चाहती है या उससे ज्यादा। इसके अलावा गांव सभाओं के अधिकार में टेक्सेशन का भी प्राविजन रखा गया है। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद गांव वालों की होगी, तो जब कभी टेक्सेशन का प्रपोजल होगा उस समय जितने ही ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उनकी सहमति प्राप्त हो जायगी [illegible] मैंने अपनी बात कह दी लेकिन, अगर माननीय मंत्री जी इसको साफ़ कर दें कि वे क्यों इस गांव सभाओं पर न छोड़ कर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर छोड़ना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं और जो कुछ अर्ज करना होगा अर्ज करूंगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, १२ के दूसरे उपखंड में जो है वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नहीं है। "The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed. जितने भी तय हों। ११ से ४१ हों या इससे आगे के संशोधन में १५ से ३५ हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कुछ दिक्कत यह है कि अभी इस प्रकार की चीज के रखने से दुश्वारी होगी, क्योंकि अभी अन्तिम स्वरूप मेरे सामने नहीं है। हमारी कोशिश यह भी है कि एक यूनिट गांव समाज और गांव सभा को हो जाय और सारा झंझट दूर हो जाय। जब गांव सभा और गांव-समाज की शक्ल नजर आयेगी उस वक्त यह तय होगा कि कितनी संख्या हो। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या हो इसके बारे में रूल्स में होगा। रूल्स हाउस के सामने आयेंगे उस वक्त आप अपनी राय दे दें। मुझे मुनासिब बात के मानने में कभी कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ३२, ३३ और ३३ (अ) को इस समय न पेश कर के और उन पर इस वक्त जोर न दे कर वे रूल्स के वक्त इस पर गौर कर लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि रूल्स के वक्त विचार कर लेंगे और फिजूल सदन का समय नष्ट न हो, इसलिये मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

---

†३० अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--श्री गेंदा सिंह, आप अब अपना संशोधन नहीं पेश करेंगे ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--जी नहीं।

श्री अध्य --श्री जोरावर वर्मा, आप भी नहीं पेश करेंगे ?

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--जी हां, अगर नियमों के वक्त इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जी हां, वह तो उन्हों ने कह ही दिया है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "and the Up-Pradhan" तथा पंक्ति ४ में शब्द "and Up-Pradhan" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि उपधारा २ की वर्डिंग जो है 'The number of members of a Goan Panchayat shall be such as may be prescribed" और इन्ही मेम्बर्स के बारे में फिर कहा गया है कि जिनको प्रधान और उपप्रधान चुना जाय, उसके अलावा जितने मेम्बर्स होंगे उनका टर्म ५ साल का होगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उप-प्रधान ११ बी में जो कर दिया गया है उसमें गांव पंचायत पहले ही सदस्यों में से एक सदस्य को उप-प्रधान की हैसियत से चुन लेगी। तो ऐसी सूरत में उप-प्रधान का यहां पर रख देना मुनासिब नहीं मालूम होता है क्योंकि उप-प्रधान के लिये ११ बी में दिया ही हुआ है कि उप-प्रधान का चुनाव हर साल होगा, इसलिये उसके आगे यह फिर कह देना कि उसकी अवधि ५ साल नहीं होगी, उससे शुभा सा पैदा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मंजूर फरमायेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, 12 (2) में दो चीजें शामिल कर दी गई हैं। एक तो गांव पंचायतों का नम्बर और दूसरे प्रधान और उप प्रधान का एक्स आफिशियो गांव पंचायत का प्रधान और उप प्रधान होना। यह कंसीड्रेशन कैसा है, यह तो सवाल दूसरा है। एक आइडिया इसका यह है कि "The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed"

और दूसरा आइडिया यह है कि "President and Vice-President of the Gaon Sabha shall be ex-Officio President and Vice-President of the Gaon Panchayat"

श्री अध्यक्ष--उप प्रधान के चुने जाने का क्या तरीका है ?

श्री मोहन लाल गौतम--उप प्रधान का चुनाव ११ बी में दिया हुआ है :
"The Vice-President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed.....

और प्रधान के चुनाव का तरीका ऊपर 11—A में दिया हुआ है: "The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed....."

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो उसमें अगर सफाई हो जाय तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होने की संभावना कम से कम उन लोगों को है जो कि कानून को इन्टरप्रेट नहीं करते हैं। इसलिये अगर कोई इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो उसका साफ हो जाना ही मुनासिब है। गांव सभा ने प्रेसीडेंट चुन दिया तो वह गांव सभा का ही प्रेसीडेंट होगा, यह इम्पलाइड मान लिया गया है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट को चुना है गांव पंचायत ने और वह वाइस प्रेसीडेंट होगा गांव सभा का, मेरे ख्याल से यह दिक्कत अब्दुल मुईज साहब

को मालूम होती है, क्योंकि ऊपर साफ नहीं है। वाइस प्रेसीडेंट चुना जायगा और वह गांव सभा का प्रेसीडेंट होगा, ऐसा गांव सभा के कांस्टीट्यूशन में है। यहां पर इसलिये प्रेसीडेंट ऊपर जो दिया गया गांव सभा का उसी को वाइस प्रेसीडेंट पंचायत का चुना जायगा. यह अर्थ है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट जब गांव पंचायत का चुना तो वह गांव सभा का वाइस प्रेसीडेंट हुआ। इसके समझने में कुछ दिक्कत होती है। मुझे साफ़ नजर आती है। लेकिन अगर आप की आज्ञा हो तो १२ को रीड्राफ्ट करा दूं। इसमें दिक्कत जरूर है और उसमें अगर भाषा साफ भी हो तो वह थोडा सा साफ हो जायगा। तो इसमें कोई आपित्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं 11—B में आप को करना चाहिये था: He shall be Up-Pradhan of the Gaon Sabha as well.....

जिस पंचायत ने चुना उसका तो उप-प्रधान हुआ ही। उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन गांव सभा का भी वह है। यह बात आपने मेंन्शन नहीं की। मैं इस समय पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि यह पास हो चुका है। यह हो सकता है कि खंड के अलावा एक उपखंड आप इसमें लगा दें।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, अगर आप की आज्ञा हो तो उसको रीड्राफ्ट करा दूं। क्योंकि अगर यह हो जाय कि The Vice-President of Gaon Sabha shall be elected annually by tehGaon Panchayat तो वह ज्यादा साफ हो सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो यह हो जाय "and the UP-Pradhan of the Gaon Sabha elected under 11 (*b*) मैं इसको ड्राफ्ट करवा कर मंगा लूं तो कुछ आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको छोड़े देता हूं और आगे बढ़ा जाता हूं, इसे फिर लें लूंगा।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--श्रीमन्, मेरे संशोधन का एक मतलब यह भी था कि धारा १२ की उपधारा (२) में जो शब्द "एक्सआफ़िशियो" आया है, तो चूंकि उप-प्रधान तो स्वयं ही उस पंचायत का मेम्बर होगा, लेकिन प्रधान पंचायत का मेम्बर नहीं होगा.....

श्री अध्यक्ष--तो उसका नतीजा तो यही होगा कि अगर ऊपर आप चेंज करते हैं तो आप का अमेंडमेंट यहां स्वीकार किया जायगा। तो इसलिये अगर दोनों को आप अकोमोडेंट कर दें कि उप-प्रधान गांव सभा तथा गांव पंचायत दोनों का है, यह पहले अगर आ जायगा तो ठीक होगा। तो मैं खंड १३ के और आगे के प्रस्ताव ले लेता हूं। बाद में फिर उसके ऊपर वापस आ जाऊंगा। श्री अब्दुल मुईज़ खां, आपका दूसरा संशोधन .....

श्री अब्दुल मुईज़ खां--श्रीमन्, यह भी उसी से संबंधित है और चूंकि ११-बी में यह स्पष्ट रूपसे नहीं दिया हुआ है कि उप प्रधान गांव सभा का होगा या गांव पंचायत का होगा। लेकिन चूंकि गांव पंचायत ही उसे चुनेगी इसलिये नेचुरली यह अन्दाजा होता है कि गांव पंचायत का होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय अब्दुल मुईज़ खां माननीय स्वशासन मंत्री से इस बात पर राय ले लें क्योंकि ११—बी को न बदल कर यह भी एक तरीक़ा हो सकता है जो श्री अब्दुल मुईज़ खां ने जो अभी बात कही उसे मान लिया जाय। इसको भी माननीय मंत्री विचार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम--इसको थोड़ी देर के लिए मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--हां। यह भी तरीका हो सकता है कि खंड १२ पर न जा कर जो तरीक़ा अब्दुल मुईज़ खां जी ने बतलाया है कि उनके दोनों संशोधनो स्वीकार कर लिये जायं उससे आप की दिक्कत का हल हो जाता है।

श्री अब्दुल मुईज खां--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) की पंक्ति दो में शब्द "Pradhan or" निकाल दिये जायं। इसके निकालने के बाद वह इस प्रकार से हो जायगी :--

"The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be 5 years"

इसका मतलब यह होगा कि प्रधान और उपप्रधान निकल गये। उपप्रधान तो इसलिये निकल गया कि चाहे वह उपप्रधान हो या न हो उसकी गांव पंचायत की मेम्बरशिप तो पांच साल के लिये है ही चाहे वह उप-प्रधान रहे या न रहे। रह गया प्रधान के बारे में, तो उसके लिये तो पहले ही पांच साल दिया हुआ है। अगर इसमें से यह नहीं निकाला जाता है तो कुछ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसके माने यह होंगे कि उप-प्रधान गांव पंचायत का मेम्बर नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गौतम--प्रधान शब्द भी निकाल दिया जाय क्योंकि प्रधान भी पांच साल रहेगा और मेम्बर आफ दि एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी होगा।

श्री अब्दुल मुईज खां--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "Pradhan or Up-Pradhan or a" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में ३ खंड हैं उसमें से एक को पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कौन सा पेश करना चाहते हैं।

श्री वीरसेन--मैं बीच का पेश करना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा से उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति में.....

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को माननीय सदस्य पेश करना चाहते हैं वह उपखंड ६ है। मैं उपखंड ४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि मेरा कोई संशोधन नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पेश कर दूं। मेरा संशोधन यह है कि उपखंड ४ में शब्द "aforesaid or when the period has beed extended befere the expiry of such extended period," निकाल दिये जायं क्योंकि यह व्यर्थ है।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। असल में शाह साहब का जो आब्जेक्शन है उस पर विचार करने की जरूरत है। अगर दोनों चीजों को एक साथ पढ़ा जाय तो अच्छा हो। इसके पहले के तीसरे प्रावीजो में है कि : "Provided that the State Government may, by notification in the official gazette, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." डिलीट हो गया। यह पहले ड्राफ्ट हुआ था जबकि at a time. यानी एक साल से ज्यादा न हो और कितने दिनों के लिए है इसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब "at a time" निकालने के बाद क्या क्लैरीफिकेशन है या नहीं। यह सवाल है जो महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने उठाया है, उस पर विचार कर लिया जाय कि : "extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." क्या वह एक ही साल के लिये होगा या ज्यादा के लिये यह अगर यहां साफ हो जाय तो दो चीजें साफ होनी चाहिएं कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए हो सकता है और अगर

एक साल के लिए रखा जाता है तो वह क्या एक ही बार हो सकता है या कई बार हो सकता है ? यह साफ हो जाना चाहिए, पहले ऊपर हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है और आगे यह अमेंडमेंट शायद कृपाशंकर जी के नाम से आ रहा है। टोटल पीरियड आफ वन योयर होना चाहिए। उसका मतलब यह होगा कि एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन तो नहीं होगा लेकिन ऐट ए टाइम कम भी हो सकता है। तीन-तीन महीने के चार एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, चार चार महीने के तीन भी हो सकते हैं। तो यह जाहिर करता है कि एक्सटेंशन चाहे जितने दिन का मिला हो लेकिन टोटल पीरियड आफ एक्सटेंशन शुड नाट एक्सीड वन यीयर। यह है इसका अर्थ।

श्री अध्यक्ष—इसके पहले भी शायद यह हो चुका है कि गाँव पंचायत का टर्म ५ साल का रहेगा और उसमें ९ साल से ज्यादा टोटल पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। उसमें फ्राम टाइम टु टाइम हटा दिया गया है। तो यह किस तरह से होगा कि पंचायतों का टर्म तो न बढ़ायें और मेम्बर का टर्म बढ़ा दें यह तो नहीं हो सकता है। अगर पंचायत का टर्म बढ़ा दिया गया तो वह तो एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर मेम्बर का क्या तीन महीने के लिए बढ़ाया जायगा, ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं। यह चीज तो असंगत हो जायगी, चलेगी नहीं। पंचायत का टर्म बढ़ाने पर मेम्बरों का भी आटेमेटिकली बढ़ेगा ही।

श्री अध्यक्ष—तो इसके लिए ये लफ्ज फ्राम टाइम टु टाइम जो उसमें हटा दिये गये हैं, वैसे ही इसमें से भी हटा दिये जायं।

श्री मोहन लाल गौतम—जी हाँ। हटा दिये जायं और जो टोटल लफ्ज है वह बढ़ा दिया जाय। "Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year". जो वहाँ है वही यहाँ रीप्रोड्यूस हो जाय तो फिर गलती नहीं होगी।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—अगर वह टोटल पीरिएड एक साल का है और उसमें दो बार या तीन बार में एक्सटेंड करने का ख्याल हो तो फ्राम टाइम टुटाइम रहने दिया जाय तो अच्छा होगा। यह अगर निकाल दिया जायगा तो फार दो टोटल पीरियड आफ वन योयर का मतलब यह होगा कि एक ही साल का एक्सटेंसन हो। अगर सदन की यह मंशा हो कि दो बार या तीन बार में एक्सटेंशन किया जाय तो उसे भी रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पहले जो हुआ है वैसा ही यह भी हो तो उचित है। अगर पंचायत का टर्म एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया हो तो मेम्बर का टर्म बीच में थोड़े ही दिनों के लिए बढ़ाने का कोई औचित्य मालूम नहीं होता।

श्री मोहन लाल गौतम—दोनों चीजें एक ही तरह से हों, यही अच्छा होगा। जो प्राविजन वहाँ है वही यहाँ भी रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो मैं यह संशोधन आपका लिए लेता हूं कि यह "total" शब्द बढ़ा दिया जाय और " from time to time " निकाल दिया जाय। " Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year".

श्री अब्दुल मुईज खां—"for a total period of one year" का भी वही अर्थ होगा जो "from time to time" का होगा। "for a period of one year" अगर होता तब तो यह अर्थ हो सकता था कि एक ही साल का एक दफा बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इसका तो माने यही होगा कि कई दफा बढ़ाने पर भी सबका टोटल एक ही साल आये। तो टोटल पीरियड में भी वह चीज नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष—हां टोटल का मतलब यही हो सकता है। "for a period not exceeding one year" हो और "from time to time" हटा दिया जाय तो यह चीज हो सकती है। माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो मुईज साहब का कहना है कि फार ए टोटल पीरियड नाट एक्सीडिंग वन इयर इसमें ऐट एक टाइम इप्लाइड तो नहीं हो जाता, और अगर हो जाता है तो यह देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो श्री बालेन्दुशाह जी का संशोधन स्थगित रहेगा।

श्री वीर सेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में धारा १२ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति से शब्द "on joint electorate system" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जब से हमारा कांस्टीटुयूशन लागू हुआ है तबसे सेपेरेट एलेक्टोरेट सिस्टम खत्म किया जा चुका है और जितने भी एलेक्शन उसके बाद हुए हैं जनरल एलेक्शंस और म्युनिसिपल एलेक्शंस सब ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम से हुए हैं। तो यह शब्द आन ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम बिलकुल रिडेंडें हैं। इन शब्दों को कायम रखने से ऐसा मालूम होगा कि जैसी किसी मरी हुयी चीज की याद दिलाने के लिए एक यादगार बनायी जा रही हो। किसी जमाने में सेपेरेट एलेक्टोरेट सिस्टम था लेकिन अब वह चीज नहीं है। मैंने रिप्रेजेंटेशन आफ प्युपुल्स ऐक्ट में देखा। उसमें भी किसी तरह का रेफरेंस नहीं है। कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल ३२५ में सिर्फ यह प्राविजन है कि जनरल एलेक्टोरल रोल होगा और उसमें रिलीजन कास्ट और क्रीड के ऊपर किसी को डिबार नहीं किया जायगा एनलिस्ट होने के लिये। तो मेरा ख्याल है कि ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम रखना बिलकुल बेकार है। बिना इसके रखे हुए ही यह स्पष्ट हो जाता है। और अब इस तरह का कोई क्लेम भी नहीं है कि हमारा एलेक्शन सेपेरेट होना चाहिए। न तो मुसलमानों की तरफ से यह मांग है और न शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ से है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ३२५ अनुच्छेद में भाषा है वह यह है,

"There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, racer, caste, sex on any of them"

इसमें ज्वाइंट एलेक्टोरेट को ज्यादा एक्स्प्लेन कर दिया है कि इस बेसिस पर न किसी को रोल में शामिल होने से और न किसी कांस्टीटुएंसी के लिये क्लेम करने से रोका जा सकता है। उस भाषा की यहां जरूरत नहीं मालूम होती। ऐसा नहीं है कि सेपेरेट एलेक्टोरेट की कोई मांग नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय सदस्य को यह याद होगा कि अलीगढ़ कानफ्रेंस में मुसलिम जमायत ने एक अपनी यह मांग रखी थी कि सेपेरेट एलेक्टोरेट और रिजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए वह इस विषय को जितना मरा हुआ जानते हैं, उतना मरा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में इन शब्दों का रखना आवश्यक है।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय जैसा बतला रहे हैं कि लोग डिमांड भी करते हैं तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृपा शंकर——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ (३) के अन्त से दूसरी पंक्ति में शब्द "from time to time" कोष्ठक में रख लिया जावे तथा "for" व "period" के बीच "total" लिख कर रेखांकित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——माननीय स्वशासन मंत्री इस पर अभी विचार कर रहे हैं इसलिये यह अभी पेंडिंग रक्खा जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) के अन्त का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——यह संशोधन आपका अवैध है। यों अवैध है कि आपने पंचायत का टर्म एक साल के लिये बढ़ाने का प्रश्न पहले पास कर दिया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय——अपना विरोध प्रकट करने के लिये पेश करना चाहता था क्योंकि एक दफा पहले कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष——वह इस मर्तबा भी नहीं किया जा सकता।

श्री कृपा शंकर जी का संशोधन जो २७-ख पर है वह बालेन्दु शाह जी का जो संशोधन है उसी में वह भी आ जायगा।

श्री कृपा शंकर——लेकिन तीसरा ऐसा है। जिस में कई शब्द छूट गये हैं, वह कहीं नहीं आता।

श्री अध्यक्ष——तो बाक़ी छोड़ कर तीसरा पढ़ दीजिये।

श्री कृपा शंकर——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपखंड (८) के रेखांकित शब्द "Where a" और शब्द "prescribed under Sub-section" के बीच में शब्द "a Gaon-Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष——उपधारा ८ यह आप बाद में पेश करें क्योंकि अभी इससे पहले बहुत से संशोधन बाक़ी हैं। उपधारा (४) (७) (८) पर आप का नाम छपा हुआ है और वह आप के ही नाम पर हैं तो उनको मैं बाद में ले लूंगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) निम्न प्रकार से रखी जाय:

"The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into single member constituencies."

इससे यह होगा कि जितने भी हम गांव पंचायत के मेम्बर बनायेंगे मान लीजिये कि अगर १४ हजार की आबादी हुयी और उसमें ४० ग्राम पंचायत का बनाना हुआ तो सारी ग्राम सभायें ४० हिस्सों में बट जायंगी और वह सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी हो जायगी। ताकि उसमें एक इलाके से एक आदमी चुनकर आ सके। यह हमारा इरादा है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम——यह तो ठीक है कि कांस्टीट्यूएन्सी बनेगी लेकिन उसमें सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी बनाना फायदेमन्द नहीं होगा बल्कि उससे बड़ी दिक्क़त पैदा होगी।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अगर ३०, ४० लाख मेम्बर हुये तो उनके लिये उतनी कांस्टीट्यूएन्सी बनाना काफी मुश्किल हो जायगा। कई बार देखने में आया है जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीट्यूएन्सी बनी तो कहीं पर लाइन खिंचती नहीं है। इसलिये कांस्टीट्यूएन्सी बनावें यह तो ठीक है लेकिन सिंगिल मेम्बर हों इससे दिक्कत पैदा होगी। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि कठिनाई बढ़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर मेम्बर साहब इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं : खंड कि १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) की पंक्ति २ में शब्द "authority" और शब्द "into" के बीच में शब्द "in consultation with a represantative of the Gaon Panchayat" रख दिये जायं।

मैं समझता हूं कि इससे कठिनाई पैदा नहीं होगी बल्कि इससे सहूलियत बढ़ेगी। अगर वह गांव पंचायत के प्रतिनिधि से बात करने पर इस काम को करेगा तो उससे सहूलियत होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा कि और जगहों पर भी जब एलेक्शन होते हैं तो यह सलाह ले ली जाती है और इस कन्वेन्शन को बढ़ा रहे हैं। हम कन्वेन्शन के तौर पर इसको करना चाहते हैं लेकिन यहां पर इसका रखना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि उनसे सलाह ली जाय मगर यहां पर रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे बजाय आसानी के प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कठिनाई पैदा हो जायगी। मैं इसको स्प्रिट में तो मान सकता हूं लेकिन इसका यहां पर रखना ठीक नहीं है।

श्री मलखान सिंह--अगर इस ऐक्ट के अन्दर कहीं पर वह मुझे दिखला दें तो मैं इसको वापस ले लूंगा। और अगर कहीं पर नहीं तो वह यह शब्द लिख दें तब भी मेरा काम चल सकता है।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि वह इसको रूल्स में ले आना चाहते हैं यहां पर इस ऐक्ट में रखना नहीं चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं यह चाहता हूं कि उनका बेसिस गांव पंचायत की सलाह हो जैसा कि लोकल बाडीज का है। लेकिन यहां इसके हाथ बांधने में मैं दिक्कत देख रहा हूं और जितना मैं कहता हूं उतना मैं चाहता हूं कि पूरा हो जाय। इसलिये उनकी सलाह से कंस्टीट्यूऐंसीज शुरू में बनें, ऐसा कनवेंशन डेवलप हो, यह मैं नहीं चाहता। रूल्स के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता।

श्री मलखान सिंह--मैं वापस नहीं लेता। इस पर वोट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) की पंक्ति २ में शब्द "authority" और शब्द "into" के बीच में शब्द "in consultation with a representative of the Gaon Panchayat" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ और ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय:—

"the payment of fees and"

अध्यक्ष महोदय जिस उपधारा में यह संशोधन चाहा गया है वह इस प्रकार है :

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit"

और मेरे संशोधन से वह इस प्रकार हो जायगी—

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the furnishing of security deposit"

यह आपकी भी जानकारी है और सदन के सभी सदस्यों की जानकारी है कि लोकसभा, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया इत्यादि के जितने भी चुनाव हैं उनमें उम्मीदवारों से केवल जमानत का इन्तजाम किया जाता है कि ख्वाहमख्वाह लोग न खड़े हो जायें जिन्हें जनमत प्राप्त नहीं हो। सीक्योरिटी तो एक सर्वमान्य चीज बन गई है और केवल वही यहां रखनी चाहिये। फ़ीस का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानों के लिये पहले फीस ८ रुपये से १२ रु० कर दिये गये हैं, उपप्रधानों के लिये ५ से ८ रुपये और मेम्बरों के लिये ४ से ५ रुपये कर दिये गये हैं। इस तरह से यह बड़ी धनराशि हमारी सरकार जमा कर लेती है, और अध्यक्ष महोदय देहातों में बहुत गरीब लोग खासकर हरिजन और पिछड़े लोग हैं जो यह रुपया नहीं दे सकते और इस प्रकार वे अपने गाँव की सेवा से वंचित रहेंगे। फ़ीस से तो केवल धनी लोग ही आ सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धनियों से अच्छी सेवा कर सकते हैं, उनसे अधिक योग्य होते हैं लेकिन गरीब होते हैं, और वे बेचारे इस काम के लिये रुपया जमा नहीं कर सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गलत व्यवस्था फ़ीस की की जा रही है। केवल सीक्योरिटी होनी चाहिये। अच्छे लेकिन गरीब लोगों को महरूम नहीं करना चाहिये। फ़ीस भी लगाने से अच्छे व्यक्ति चुनाव में भाग न ले सकेंगे और इस सदन के कई विषयों पर बहस करते हुए क्वालिफिकेशन्स और ३० साल की उम्र के सवाल पर बड़े जोरदार शब्दों में राय जाहिर की गयी कि पिछड़ी हुई जातियों को इसमें ज्यादा हिस्सा लेने दिया जाय। इसलिये इसमें कोई प्रतिबन्ध ऐसा नहीं लगाना चाहिये कि जिससे उनके आने में दिक्कत हो तथा लोगों को प्रैक्टीकली कठिनाई हो। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि चुनाव के लिये यह फीस की व्यवस्था निकाल दी जाय जैसा कि और चुनावों में है।

महाराजकुमार अतलेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्था किस कारण से की गयी है। जहां तक दूसरे चुनावों की बात है उनमें केवल डिपाजिट ही लिया जाता है चाहे वह शख्स हार ही क्यों न जाय। लेकिन अगर वह काफी संख्या में वोट ले आता है तो उसका डिपाजिट भी लौटा दिया जाता है। यहां डैमोक्रेसी है, उसके लिये इलेक्शन्स होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो इलेक्शन्स को समझते हैं और न डैमोक्रेसी को। जो योग्य व्यक्ति हैं वे ही ठीक तरह से उसको समझ पाते हैं और चुनाव में सफलता प्राप्त करते हैं। जो जो सज्जन चुनाव में सफल हो जाते हैं या काफी वोट पा जाते हैं उनको यह डिपाजिट वापिस हो जाता है। लेकिन इसमें जिस फीस की व्यवस्था की जा रही है वह अगर एक दफा दे दी गयी तो फिर किसी सूरत में वापस न आयेगी, मैं समझता हूं कि इससे लोगों का अहित होगा। इसका एक दुष्परिणाम यह भी होगा कि अच्छे लोग चुनाव में न आ

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

पायेंगे। मेरे ख्याल में यह एक ऐसा हैंडीकैप होगा जो चुनावों के लिये बुरा साबित होगा। यह तो मानी हुई बात है कि गांवों में योग्य व्यक्तियों की कमी है। अगर १-२ भी इस कारण से चुनाव में भाग न ले पाये तो यह एक बुरी बात होगी। इसमें कोई सिद्धांत का भी प्रश्न नहीं है दूसरे माननीय मंत्री जी शायद यह भी नहीं कहेंगे कि यह आमदनी का जरिया है। लेकिन अगर यह आमदनी का जरिया हो भी तो डैमोक्रेसी को चलाने के लिये सरकार को ऐसा खर्च स्वयं बरदाश्त करना चाहिये। इससे जो थोड़ी सी रकम वसूल होगी उसका लालच करने को मैं समझता हूं न तो माननीय मंत्री जी की इच्छा है, और न उससे विशेष लाभ होगा। इसलिये मैं राम नारायण जी का समर्थन करता हूं और सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बीच के हिस्से को निकाल दे और केवल डिपाजिट को ही रहने दे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो फीस की रकम रक्खी गयी है उसके में समझता हूं कि पंचायतों में उनके कारण सही आदमी न चुन पायेंगे। पहले का तजुर्बा यह है कि पहले जो ४-५-१० रुपया जो फीस रखी गयी थी उस फीस के कारण बहुत से ऐसे आदमी जिनको लोग चाहते थे, वे नहीं पहुंच पाये। वे ऐसे आदमी थे जिनके पंचायतों में आने के बाद गांव की समस्यायें अच्छी तरह से सुलझ सकती थीं लेकिन वे लोग फीस के कारण नहीं आ पाये क्योंकि वे फीस इकट्ठी नहीं कर पाये और न दे पाये। जिनको पब्लिक नहीं चाहती थी वह पंचायतों में पैसा देकर पहुंच गये। और लोग जिनको भेजना चाहते थे उनके लिये पैसा भी इकट्ठा किया और उन को चुने जाने के बाद पंचायत उन्हीं की बन गयी तथा जिन लोगों को जनता चाहती थी वे लोग नहीं आ पाये। तो फीस रखने से बहुत बड़ी गड़बड़ी यह होगी कि जो अच्छे लोग गांव में रहते हैं वे फीस न देने की वजह से नहीं आ पायेंगे। इसलिये यह फीस नहीं रखनी चाहिये। हां, यह बात मैं मान सकता हूं कि उनके लिये आप कुछ जमानत रख दीजिये कि वे जमानत अदा करें। अगर वे न जीतें तब तो उनकी जमानत जब्त कर लें और अगर जीत जायं तो उनकी जमानत वापस कर दें। लेकिन फीस लगाने से यह होगा कि जो ईमानदार और सही आदमी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं और चाहते हैं कि हम ईमानदारी से अपने देश और गांव की सेवा करें वे नहीं आ पायेंगे। बल्कि जो लोग तीन पांच करने वाले हैं, और इधर-उधर करने वाले हैं वे चाहेंगे कि पंचायतों में उन्हीं की मेजारिटी हो जाय ताकि जिस तरह से पहले लोगों को अपने काबू में रखते थे उसी तरह से अब भी लोगों को अपने काबू में रख सकें। जब फीस रखने की बात आयेगी तो बहुत से सही लोग जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे, पंचायतों में नहीं आ पायेंगे तो जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको मौका मिल जायगा कि वे अपने हेली-मेली के लिये भी पैसा दाखिल कर दें। फिर इस तरह से जितने लोग चुनकर आ जायेंगे उनकी वजह से पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी होगी और पंचायतों का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। जो मंशा माननीय मंत्री जी का है कि पंचायतें अच्छी तरह से तरक्की कर सकें और जो वे गांवों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं वे स्वर्ग न बन कर नर्क बन जायेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फीस रखने की बात को हटा दें और जसा कि मैंने कहा वही जमानत वाली चीज रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि संशोधन में है कि फीस तो हटा दी जाय और डिपोजिट को रखा जाय। डिपोजिट रखने से कितनी दिक्कत पैदा होगी यह जरा सोचने की बात है। अगर २० लाख आदमियों को चुनना है तो फिर २० लाख आदमियों का डिपोजिट जमा होगा, और फिर यह इन्तजाम करना कि १/८ वोट न मिले तब जब्त होगा, और हर कोई का रिकार्ड रखना और तब फिर उसकी जमानत जब्त करना और बाकी का वापस करना, इस संशोधन से जैसा कि जाहिर होता है जमानत रखने से बड़ी दिक्कत पड़ेगी।

अगर आप जमानत को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। जैसा कि ४१–ख में है "एंड दि फर्निशिंग आफ सेक्युरिटी डिपोजिट" अगर श्री राम नारायण जी अपना अमेंडमेंट ऐसा कर दें कि वे फीस के बजाय सेक्युरिटी डिपोजिट खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। हमारा विचार है कि सेक्युरिटी रखने से काफी दिक्कत होगी और इसके साथ यह भी देखना है कि इसमें कितना खर्च पड़ेगा। फीस जो ली जाती है, इस एलेक्शन का खर्चा लोकलबाडीज के जिम्मे भी थोड़ा पड़ता है। अगर फीस न रखें और जमानत रखें तो मैं समझता हूं कि उससे दिक्कत पड़ेगी और खर्च भी नहीं निकलेगा। इसलिये मुझे अफसोस है कि फीस हटाने की बात मैं इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी दोनों को हटा दें तो क्या आपत्ति होगी?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं सेक्युरिटी डिपोजिट हटाने के हक में हूं लेकिन फीस हटाने के हक में नहीं हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सेक्युरिटी लफ्ज को हटाने की बात कही है। ऐसी उनकी इच्छा मालूम होती है कि वे इस चीज को मान लेंगे लेकिन फीस न लगाने की बात को स्वीकार नहीं कर सकते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का प्रस्ताव है कि जो फीस का लफ्ज है उसे हटा दिया जाय। अगर फीस का लफ्ज हटा दिया गया तो गांव वालों को फीस का रुपया नहीं देना पड़ेगा। माननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो कहा है, मैं चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का ध्यान उधर जाना चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको पंचायतों से कुछ लाभ की कोई आशा नहीं है, मैं निजी लाभ की बात नहीं कह रहा हूं, वैसे सामूहिक लाभ की आशा तो हर व्यक्ति कर सकता है और फिर एक बार तीन रुपया, पांच रुपया या दस रुपया निकाल कर पंचायत का मेम्बर बनने के लिये या अदालती पंचायत का मेम्बर बनने के लिये वह देगा तो उसके सामने एक दिक्कत का सवाल खड़ा हो जायेगा। श्री रामसुभग वर्मा जी ने अपने अनुभव की बात बतलायी कि इससे पंचायतों के काम में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। अब रही बात यह कि चुनाव में जो खर्चा पड़ता है वह कहां से आवे। उस चुनाव के खर्च के लिये कुछ गुंजाइश की जाय इसकी चिन्ता है मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि यह पंचायतें बुनियाद हैं स्टेट और समाज के लिये। पंचायतें जितनी भी अधिक मजबूत हों उतना ही अच्छा है और यही सरकार की इच्छा होनी चाहिये। पैसे की कठिनाई भी लोगों के सामने रहती है और ३ रुपया और ५ रुपया न दे सकने वालों की तादाद भी गांवों में काफी रहती है और इसलिये उनको इससे बरी रहने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये। अतः निष्पक्ष लोगों को लाने के लिये यह जरूरी है कि हम फीस को हटावें। चुनाव के खर्च के लिये मैं कहूंगा कि पंचायतों पर अगर कुछ रुपया खर्च हो जाय तो उसके लिये सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये। हमारे संविधान में भी गुंजाइश की गई है कि शासन की इकाई गांव पंचायतें ही होंगी उत्पादन और ला एन्ड आर्डर के लिये और सब चीजों के लिये हम को उन्हीं पर भरोसा करना चाहिये। अगर हमें यह करना है और प्रजातंत्र की रक्षा करना है तो हमें इस इकाई पर निर्भर रहना चाहिये और जिस इकाई पर हमें सारे देश के प्रजातंत्र की दीवार खड़ी करनी है उसे हमें सुदृढ़ बनाना चाहिये और उसको जहां तक हो सके हमें अधिक से अधिक स्वतंत्र और दूसरे प्रभावों से बरी रखना चाहिये। अगर हमें इस काम में ५–१०–५० लाख या एक करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े, तो जिस पर हम अपने राष्ट्र की बुनियाद बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की दीवार खड़ी करना चाहते हैं तो कर देना चाहिये। इस तरह से हम फीस ले कर उस रुपये की पूर्ति नहीं कर सकते।

आगे जो संशोधन आने वाले हैं उन में कहा गया है कि पंचायतों के लिये सरकार रुपये का बन्दोबस्त करे और अगर मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे तो उन को इस तरह की दिक्कत न होगी कि जमानत के रुपये से ही पंचायतों का चुनाव करावें। अगर मंत्री जी इस बात को

[श्री गेंदासिंह]

मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले संशोधनों में हम को इस बात की गुंजाइश निकालने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और हम मजबूर होंगे कि हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किन्हीं दूसरे उपायों की शरण लें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं भी यह नहीं चाहते होंगे कि पंचायतों के मुताल्लिक ऐसी दिक्कतें बनी रहें। इतना कहने के बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेने की कृपा करेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उन विचारों की सराहना करता हूं जिन के अनुसार उन्होंने जमानत को समाप्त करने का आश्वा न दिया है। इससे हम बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं। जो लोग रुपया इकट्ठा कर के मुश्किल से जमा करते हैं उन को उस पर सूद वगैरा देना पड़ता है उस से वह लोग अब बच सकते हैं और तमाम परिवार को जो दिक्कतें उठाना पड़ती थीं वह सब अब नहीं रहेंगी। इस आश्वासन के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने यह भी एक गम्भीर प्रश्न है कि यह फीस रखी जाय या नहीं। आज हम अपने गांवों का निर्माण करना चाहते हैं और हम गांव की गरीबी की हालत भी जानते हैं कि वहां अधिकतर लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। रोजगार की भी परेशानी है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो उनका विचार है कि एलेक्शन में खर्च पड़ता है उसको पूरा करने के लिये कुछ थोड़ा सा लगा दिया जाय तो अव्वल तो मेरा हृदय इसके लिये गवाही नहीं दे रहा है फिर भी हमारी प्रार्थना है कि जो उम्मीदवार सुरक्षित सीट से खड़े हों कम से कम उनके लिये कोई फीस न ली जाय और उनको आनरेरी तरीके से सेवा करने का मौका दिया जाय। जो सुरक्षित सीट से खड़े होने वाले हैं वे यों भी समय नहीं दे पाते अपने बाल बच्चों के पेट भरने के साधन में यों भी जुटे रहने के कारण, फिर वह फीस दे कर खड़े हों यह तो अजीब सी बात है। उनको खड़े होना पड़ता है इसलिये कि सीट सुरक्षित है लेकिन उनसे फीस लगा देना ठीक नहीं है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उनसे जो कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट की सुरक्षित सीटों पर खड़े हों उनसे कोई फीस न ली जाय।

†श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो संशोधन माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने पुराने तजुर्बे से कहता हूं कि इससे यदि फीस ली जाती है तो जो गांवों में सम्पत्ति वाले हैं उनका प्रभाव पूर्ण रूप से हो जायेगा या जैसा कि रामसुभग वर्मा जी ने कहा कि कुछ लोग उनके लिये रुपया जमा कर देंगे और उनको ग्राम पंचायतों का मेम्बर बना देंगे और बाद में उन्हीं के हाथों से उनके ही अधिकारों का दुरुपयोग करायेंगे। माननीय मंत्री जी को स्वयं इतने सालों के तजुर्बे के बाद फीस की बात को हटा लेना चाहिये था लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक अफवाह यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चुनाव चेयरमैन का होने वाला है वह गांव पंचायतों के मेम्बर के जरिये से होंगे। अब अगर फीस लेकर गांव पंचायतों के मेम्बर बनेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त गरीब लोग यों ही ग्राम पंचायतों में दिलचस्पी नहीं ले पाते और जब यह फीस लेकर ग्राम पंचायतों के मेम्बर हो सकेंगे तो उनको और भी दिलचस्पी लेने से महरूम कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, अगर एक आदमी रुपया जमा करना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वह किसी से पैसा लेकर जमा करेगा। और इसका असर सबसे ज्यादा हरिजनों पर पड़ेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और दूसरे लोग रुपया जमा करके ऐसी सीटों पर खड़े हो सकते हैं जो देश के हित के लिये ठीक नहीं होगा और जो काम करने वाले हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त डिमोक्रेसी के और बड़े बड़े भाग हैं उनमें पैसा नहीं जमा करना पड़ता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्युनिसिपल बोर्ड के, असेम्बली के, पार्लियामेंट के किसी के चुनाव में पैसा नहीं देना पड़ता फिर इस छोटी सी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिमोक्रेसी की जगह पर जहां लोग गांवों की सर्विस करना चाहते हैं यह क्यों किया जाता है कि वह पैसा दें तब सर्विस करें। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और माननीय मंत्री जी को माननीय राम नारायण जी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--(श्री मोहनलाल गौतम से) अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें। मैं यह पूछता हूं कि वह संशोधन आपने क्या तैयार कर लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम--हां, तैयार है अभी मैं आपके आफिस में भेज देता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो वह बाद में आजायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहले बोलने वाले कुछ मेरे लायक दोस्तों ने उसूल की बात कही। वह उसूल यह था कि गांव के गरीब लोगों को गांव पंचायतों के चुनाव में खड़े होने के रास्ते में कोई माली बाधायें कानून द्वारा न डाली जायं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के लोग खड़े हो सकें और चुने जा सकें जिससे उनको इज्जत मिले। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो संशोधन इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें कहा गया है कि गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हों उनसे फीस न ली जाय। लेकिन सेक्योरिटी डिपाजिट ली जाय। अब उक्त उसूल के मातहत इस प्रश्न पर विचार करने के लिये दो कसौटियां बन जाती हैं। एक तो यह कि कौन सी चीज, फीस और सेक्योरिटी डिपाजिट इन दोनों में से बड़ी असुविधा वाली है और दूसरे कौन सी गैर जरूरी मालूम होती है। मोटे तरीके से हम जानते हैं कि फीस की रकम हमेशा सेक्योरिटी डिपाजिट की रक़म से छोटी होती है इसलिये यह स्वयं-सिद्ध हो जाता है कि सेक्योरिटी डिपाजिट की रक़म मुहइया करने में अधिक असुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि फीस जमा करने के बाद उसकी वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिये वह असुविधा जो वापस करने में गांव वालों को होगी अगर फीस ली जाय तो नहीं होगी। गांव वालों को कम फुर्सत, कम जानकारी और कम टाइम होने की वजह से सेक्योरिटी डिपाजिट वापस करने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गांव वालों को सेक्योरिटी डिपाजिट की वजह से बड़ी असुविधा होगी।

दूसरी कसौटी जो मैंने इस सवाल को तय करने में लगाई थी वह यह कि कौन सी गैरजरूरी है। हर चुनाव में रुपया खर्च होता है। इस चुनाव में भी सरकार को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। कुछ लायक दोस्तों ने कहा था कि म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनमें फीस नहीं है। लेकिन वह भूल गये कि उनके लिये सरकार बजट में चुनाव कराने के लिये प्राविजन करती है। अब हमारे सामने यह सवाल है कि या तो इन पंचायतों के चुनाव के लिये बजट में प्राविजन किया जाय या यह कि जो लोग खड़े हों चुनाव में वह थोड़ी सी रकम दे दें जिससे चुनाव हो जाय। पब्लिक स्प्रिटेड जो होंगे वे थोड़ी सी फीस भी दे दें तो अनुचित नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस प्रकार से मान लिया जाय कि सेक्योरिटी डिपोजिट न ली जाय और फीस ली जाय।

श्री मोहन लाल गौतम--आपने अपना अमेंडमेंट मूव कर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गाँव पंचायतों के उम्मीदवारों से फीस का लिया जाना और डिपोजिट का लिया जाना यहां सदन के सामने विचार के लिये है, अभी माननीय सदस्य ने तर्क दिया कि डिपोजिट ज्यादा होगी इसलिये डिपोजिट खत्म कर दी जाय और फीस बहुत थोड़ी होगी इसलिये उसे रख दिया जाय और माननीय मंत्री का भी यही विश्वास है। जहाँ तक इस तर्क को मैं देखता हूं, यह कोई तर्क नहीं है, डिपोजिट माननीय मंत्री इसलिये छोड़ने को तैयार हैं क्योंकि उसमें उनको कुछ दिक्कत है। शासकीय दृष्टि से डिपोजिट जमा करने और उनको वापस करने और उनका एकाउण्ट रखने में कठिनाई है; उनका यह प्रस्ताव ठीक ही है। लेकिन यह कहना कि डिपाजिट अधिक होता है और फीस कम होती है। इसलिये फीस रखी जाय और डिपोजिट खत्म कर दी जाय, उचित नहीं है। देखना यह है कि किसका भार सदस्यों पर क्या पड़ता है। डिपाजिट अधिक होती है लेकिन वापस मिल जाती है। किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर कोई माननीय सदस्य ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का सदस्य डिपाजिट जमा करता है तो इस उम्मीद पर कि उसको वापस मिल जायगी। लेकिन जहाँ तक फीस का प्रश्न है वह तो वापिस नहीं मिलेगी। इसलिये चाहे वह मद में छोटी हो लेकिन भार उसका अधिक पड़ेगा।

इसलिये मैं यह समझता हूं हमें अगर पंचायत राज को कामयाब करना है, पंचायत राज को चलाना है और लोगों को पंचायत तथा न्याय की सुविधायें देनी हैं और पंचायतों में योग्य व्यक्ति आयें तो हमें कोई हैण्डीकैप नहीं रखना चाहिये जिससे योग्य व्यक्ति पंचायत में न आ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा उसी प्रकार न्याय पंचायत के सदस्यों का भी होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे मंत्री जी उसका कुछ नाम रखें इन्हीं में से न्याय पंचों को चुनेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपने नाम तो न्याय पंचायत रखा लेकिन इसमें एक अड़चन यह पड़ जायगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गाँव पंचायत के चुनाव से न्याय पंचायत के लिये खड़े नहीं होंगे। इसके कारण हैं। एक कारण यह है कि चुनाव जो होगा, जो व्यक्ति न्याय पंचायत के लिये खड़ा होगा उसको प्रथम तो निर्वाचन में सफल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि अगर सफल हो जायगा तो गारन्टी नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उन्हीं व्यक्तियों को जिनको कि ग्राम सभा न्याय पंचायत का सदस्य बनाना चाहती है उनको न्याय पंचायत का सदस्य चुने। तो इस तरह से जो न्याय पंचायत में आना चाहता हो वह कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसको डबल ट्राइल पास करना पड़ेगा। और अगर फीस रखते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति जो समय दे सकते हैं तथा मेहनत कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, आपकी ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत कहिये, उसमें नहीं आ सकते हैं और आपकी पंचायत जो होगी वह अच्छी नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायतों में अच्छे-अच्छे व्यक्ति आयें और इस पैसे वाला प्रतिबन्ध को न रख करके सब को खुली सुविधायें प्रदान कर दीजिए ताकि अच्छे व्यक्ति जो आना चाहें उनको दिक्कत महसूस न हो। जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि पैसा रखने से यह अड़चनें पैदा हो जायंगी। जैसा माननीय रामसुभग वर्मा ने कहा था फीस रखने से यह अड़चन पैदा हो जायगी कि बहुत से व्यक्ति जो योग्य हैं वे पैसों के कारण नहीं आ सकते हैं और उनके एवज में ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, जो पंचायत में अपना बहुमत चाहते हैं वे डिपाजिट देकर, फीस देकर न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में अपना बहुमत प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण आपका पंचायत राज कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिये इसमें खर्चे का लिहाज न करके फीस की व्यवस्था को तुरन्त खत्म कर दिया जाय।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने है मैं समझता हूं कि जहां तक फ़ीस का मसला है अगर हम जो लोग चुनावों में भाग लेंगे उनसे नहीं लेते हैं तो इसके माने यह हो जाते हैं कि हमारी प्रदेशीय सरकार का करोड़ो रुपया जो चुनाव में खर्च होता है और जिसे दूसरे उन्नति के कार्य में लगाया जा सकता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यह कहना कि गाँव में रुपये, दो रुपये या ऐसी कोई छोटी रकम कोई दे नहीं सकता है तो मेरी समझ में ऐसी परिस्थिति किसी गाँव की नहीं है जिसमें इतनी छोटी रक़म लोग न दे सकते हों। हम लोकल बाडीज़ के चुनावों को यदि देखें तो हमारी यह प्रथा चली आयी है कि उसमें चुनाव का जितना खर्च होता है उसके लिये वे खुद प्रबन्ध करती हैं। अगर हमारी गाँव सभायें खर्च का प्रबन्ध नहीं कर सकतीं, तो मेरी समझ में और कोई भी तरीक़ा नहीं निकल सकता कि जिससे हम इस खर्चे की पूर्ति कर सकें। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि कोई न कोई फीस हम मुक़र्रर करें जिसको जो लोग गाँव सभाओं के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं आसानी से दे सकें। जो न्याय पंचायत की बात अभी हमारे माननीय सदस्य ने कही, उसकी तो इसमें कोई चर्चा भी नहीं है कि न्याय पंचायत के लिये जो लोग चुने जायंगे उनसे भी फीस ली जायगी। इसमें तो जो गाँव पंचायत के लिये चुने जायंगे उन्हीं के लिये है। इसलिये न्याय पंचायत की बात इसमें शामिल करना उचित नहीं है। मैं तो यही उचित समझता हूं कि फीस कुछ न कुछ जरूर ली जाय। सिक्योरिटी डिपाजिट की रक़म जरूर कुछ न कुछ अधिक होती है और अगर सिक्योरिटी डिपाजिट उनसे माँगी गई तब तो जरूर कुछ अड़चन आ जाती है। इसलिये सिक्योरिटी डिपाजिट तो नहीं रखनी चाहिये लेकिन फीस जरूर लेनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया गया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल के कई माननीय सदस्यों ने मेरे इस संशोधन पर भाषण किया, लेकिन उन्होंने यह बात जताने की कोशिश की कि मैं सिक्योरिटी डिपाजिट को रखना चाहता हूं और फीस को हटा देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी डिपाजिट और फीस दोनों सरकार रखना चाहती है। मेरा संशोधन तो केवल इतना था कि मैं फीस को निकाल देना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि वह सिक्योरिटी हटा सकते हैं, अगर वह इसको हटा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को दिक्कत हो और कानूनी परेशानी हो।

खासतौर से सरकारी दल की तरफ से जो दलीलें दी गयीं उसमें यह बतलाया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव में काफी रुपया लगता है, यदि फीस नहीं ली जायगी तो यह रुपया कहां से आयगा। वैसे तो रुपया हर चीज में खर्च होता है। मिनिस्टरों की जगह के लिये रुपया लगता है, हम लोगों के चुनाव में रुपया लगता है। अगर रुपया लगता है तो फिर चुनाव ही न किये जायं और सब काम ही खत्म हो जायं लेकिन यह जरूर है कि यह विचार करने की बात है कि कितना रुपया लगता है।

यदि हम यह मान लें कि हमारे सूबे में ३५ हजार गांव सभायें हैं और उनमें ३० से लेकर ५१ तक पंचायत हैं। मैं इसलिये औसतन प्रति गांव पंचायत ४० मान लेता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हूं। अगर एक रुपया फीस ले ली जाय तो १४ लाख रुपया होता है और फीस १२ से लेकर ५ रुपये रखी जा रही है। मैं इसको औसत ८ लिये लेता हूं। इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक करोड़ १२ लाख रुपया सरकार वसूल करती है और मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुपया किसी भी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। सरकार इसको रुपया कमाने का साधन बनाना चाहती है। एक करोड़ १२ लाख रुपये वसूल किये जायं और मैंने पिछले बजट में देखा कि करीब ६५ लाख रुपये इखराजात में थे और सेक्रेटरीज का वेतन भी है। मैं समझता हूं कि इतना रुपया बचाया जाता है और सरकार मुफ्त में वाहवाही ले लेती है कि सरकार सेक्रेटरीज को तनख्वाह दे रही है और यह रहस्य जनता की निगाह में नहीं आता है कि यह फीस भी ली जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुपया नहीं लग सकता है। सरकार जरूर आमदनी करती है।

अब रह गया पिछले चुनाव के बारे में बतलाया गया है। उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में किसी भी कानूनगो को भत्ता नहीं मिला क्योंकि उनको अपने हल्के में मिलता नहीं है। कहीं-कहीं नायब तहसीलदार गये। उनको भत्ता मिला होगा। अगर माननीय मंत्री जी उनके आंकड़े पेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह रकम एक नगण्य रकम होगी। मेरे सामने मध्य भारत, बंगाल और पंजाब वगैरा के ऐक्ट्स मौजूद हैं। वहां कहीं भी इस तरह से फीस नहीं ली जाती है। बारों सूबों में कहीं भी इस बात का प्रावीजन नहीं है। हमारे यहां यह नई व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें दलील की कोई बात नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि मैं गरीब आदमियों को पंचायतों में लाना चाहता हूं। आज एक समस्या हमारे सामने है कि अच्छे लोग पंचायतों में नहीं आते हैं और यही कारण है कि गांव पंचायतें निष्क्रिय सी रहती हैं। अगर कुछ कार्यशीलता दिखाई पड़ती है तो न्याय पंचायतों में। गांव पंचायतों में लोग सेवा कार्य से वैसे ही दूर रहना चाहते हैं और इस पर भी आप फीस की शक्ल में यह जुर्माना रखना चाहते हैं। तो वह फिर इसके नजदीक भी नहीं आयेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पायगा, जो अनुचित है। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि यह तो है ही कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आदरणीय सदन से अपील करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी को जो आंकड़े उनके किसी मित्र ने दिये हैं उसमें अर्थमेटिक की गलती हो गई है। उनका कहना है कि जितनी रकम आती है उससे हम उसको थोड़ा सा घटा कर पंचायतों के कामों पर सरकार खर्च कर देती है और सरकार वैसे ही वाहवाही ले लेती है। उनको यह पता नहीं है कि यह रकम चार पांच साल बाद एक मर्तबा ही आती है और पंचायतों को ऊपर तो हर साल रकम खर्च होती है। इसलिये यदि माननीय त्रिपाठी जी के आंकड़ों को ही मान लें तब भी यह रकम कई गुना बढ़ जाती है और फिर ऐसी सूरत में वाहवाही की बात ठीक ही होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुछ चीजें तो अवश्य ऐसी रखी जानी चाहिये जिससे बेकार के लोग खड़े न हों। जो सीरिअस नहीं हैं, जो चाहते नहीं हैं, इस तरह की एक चीज कई तरफ से कही गई। अब अगर यह बात है तो इसमें देखना यह होगा कि कौन सी चीज सुविधाजनक है--फीस या सेक्योरिटी। इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य ने भी सेक्योरिटी को रखा है और सेक्योरिटी को खत्म करने का कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन नहीं दिया। दूसरे लोगों ने सेक्योरिटी के बजाय फीस को रखा है। तो आम तौर से अगर इस सब का निचोड़ रखा जाय तो कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेक्योरिटी रखी जाय और कोई चाहते हैं कि फीस रखी जाय। अब दोनों में से कौन आसान है यह देखना है। इस बात को रोकने के लिए कि गलत लोग न आयें एक प्रकार की सेक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया २०, २५ लाख आदमियों का चुनाव होगा। २०, २५ लाख आदमियों की सेक्योरिटी जमा करना गांव-गांव में और फिर उसका हिसाब रखना, जिसकी सेक्योरिटी जब्त हो जाय उसकी जब्त करके बाकी को वापस करना, यह सब एक बहुत कठिन चीज हो जायगी और एक बहुत लम्बा चौड़ा हिसाब किताब हो जायगा। अब इसमें यह है कि फीस रख दी जाय, एक एक या दो दो रुपये का फार्म है, लेकर और दस्तखत करके नामिनेशन पेपर फाइल कर दिया जाय तो इसमें वह फीस जमा हो जायगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है।

तो सदन यह देखेगा कि कोई न कोई चीज रखने की तो जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसमें सुविधाजनक फीस मालूम होती है। दिक्कत यह बतलाई गई कि गरीब आदमी नहीं आयेंगे। कुछ गरीब अगर ऐसे भी हैं, जो कि ५ साल में एक या दो रुपया पंचायत की मेम्बरी के लिए नहीं खर्च कर सकते यह मैं मान भी लूं। लेकिन, एक बात की तरफ मैं तवज्जह दिलाऊंगा कि सिर्फ तीन–चार रुपये खर्च करके कोई ईमानदार आदमी अगर इसलिये नहीं आयेगा कि उसे वहां कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जायगा, पार्लियामेंट और असेम्बली के लिए किसी का आना क्योंकि जो २०० रुपये एलाउंस के मिलते हैं, अगर ५ साल के लिए भी उनको जोड़ा जाय तो भी वह इतना नहीं होगा, जितना कि एक मर्तबा एलेक्शन में खर्च हो जाता है। उसमें पार्टियां भी देती हैं और इंडिविजुअल भी खर्च करते हैं, लेकिन जो खड़ा होता है वह केवल यह नहीं देखता कि १० हजार खर्च करके १२ हजार पावेगा या नहीं। तो हर एक मेम्बर जो खड़ा होता है और जिसको पूरा खर्च जितना वह करता है नहीं मिलता है वह बेईमान ही हो, यह ठीक नहीं है। इस सदन के बहुत से सदस्य हैं जिनको उनका पूरा खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं गेंदा सिंह जी यह नहीं कहेंगे कि वह किसी दूसरे मकसद से आये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि दो चार रुपये खर्च है और ५ साल की बात है। इतना देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय रामनारायण जी वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ३ और ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय––

"The payment of fees and"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह यादव––मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ४ के शब्द "and the furnishing of security deposite" निकाल दिये जायं।

पिछले संशोधन पर विचार करते समय माननीय मंत्री महोदय और सदस्यगण ने इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये इस पर दुबारा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। मैं समझता हूं कि इस क्लाज को निकाल देना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम––मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ४ में शब्द "and the furnishing of security deposit" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ की उपधारा (७) की दूसरी व चौथी पंक्ति में "Gaon Panchayat" शब्दों के बाद "and Nyaya Panchayat" जोड़ दिये जायं तथा आठवीं पंक्ति के शब्द "and from" के बाद "the twenty 6th day of January, 1960" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत राज के जो चुनाव हुये थे गांव सभाओं और पंचायती अदालतों दोनों के चुनाव जनता द्वारा हुये थे। लेकिन अब की इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जो न्याय अदालतें होंगी उनमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा चुनाव होना है। अगर इसमें इस तरह का प्राविजन नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई भी हरिजन पहुंच सकेगा। यह मानी हुई बात है कि इस संबंध में पूज्य बापू ने समानता देने के लिये बहुत से प्रयत्न किये और यदि न्याय पंचायतों में और इस तरह के स्थानों में उनको समानता नहीं दी जाती तो वह जो समानता की भावना है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

दूसरे जहां तक रिजर्वेशन होने या न होने की बात है वहां कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में और सेक्शन २८, आई० पी० सी० में भी दिया हुआ है कि किसी भी आफिस में रिजरवेशन हो सकता है। और पंचायत अदालतों में जो होंगे वह गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाये जायेंगे। और गवर्नमेंट सरविस के किसी भी आफिस में रिजरवेशन हो सकता है इस सिलसिले में पंचायती अदालतों में रिजरवेशन होना आवश्यक है। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न होती तो जिस तरह से पिछले चुनावों में बहुत काफी लोग पहुंच गये थे इसी तरह से इसमें भी उम्मीद थी। इसलिये अगर इसमें यह प्राविजन रखा जाय तो अच्छा होगा।

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि १९६० में जो रिजरवेशन समाप्त कर देने की बात है उसमें जैसा कि संविधान में दिया हुआ है उसके मुताबिक रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वह अगर पहले समाप्त हो तो इसे भी पहले समाप्त कर दिया जाय और अगर वह बाद में समाप्त हो तो इसे भी बाद में समाप्त किया जाय। उसमें और इसमें फर्क नहीं मालूम होता है कि जब कि उसमें इस तरह का प्राविजन दिया हुआ है। तो मेरी राय में उसके लिये तारीख नियत कर देना अच्छा नहीं मालूम होता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित चीज होगी कि हम न्याय पंचायत में भी जाति-पांति की बात लाकर रखें। न्याय पंचायतों में यह बात पैदा करना कि एक अछूत प्रतिनिधि हो। दूसरे और जातियों के हों यह चीज बहुत ही हानिकारक, न्याय के लिये होगी। जहां पर हम को मुकदमों को फैसल करना है, जहां पर हमको हर एक चीज पर निस्पक्ष भाव से गौर करना है वहां पर कोई अछूत जाति का प्रतिनिधि हो, यह बहुत ही गैरमुनासिब और अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है। यह एक किस्म का जहर फैलाना होगा और इस चीज को न्याय पंचायत में कभी भी गवारा नहीं करना चाहिये, तो इस लिहाज से मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन के इस अंग का कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी रक्खा जाय, मैं विरोध करता हूं।

दूसरी चीज आती है कि आया जो तारीख हमने इसमें रक्खी है वह इसमें रक्खी जाय या न रक्खी जाय। मैं समझता हूं कि हमारा पंचायत राज ऐक्ट इस सूबे में जारी है। शेड्यूल्ड-कास्ट के लोगों को हम जो मौका दे रहे हैं गांव पंचायतों में वह चीज तो चल ही रही है और वह तजुरबा हासिल कर रहे हैं। उनको उत्थान का अवसर मिलना चाहिये था वह हमने उनको दिया। मैं समझता हूं कि जो तारीख हमने इसमें रक्खी है उस तारीख तक उनको अपने हक मिल जाने चाहिये और इस काबिल हो जाना चाहिये कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसी हालत में उसको मुजबजब रखना और कोई तारीख निश्चित न करना अनुचित होगा। जो तारीख रक्खी गई है बहुत ही मुनासिब है। उस तारीख तक वे अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जायेंगे और उनको इस बात की जरूरत न पड़ेगी कि उनको रिजर्वेशन दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

†श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुरलीधर कुरील जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे जो बात हमारे कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने कही कि यह अच्छा नहीं जंचता कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजर्वेशन हो, वास्तव में मैं भी इसका कायल हूं कि इस तरह की चीज पैदा करना उचित नहीं है। लेकिन अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो वह भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजर्वेशन न होना वास्तव में बहुत अन्याय होगा। आप देखेंगे कि जहां रिजर्वेशन का सवाल न हो वहां हजार केसेज में अगर प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां हरिजनों को प्रतिनिधित्व मिला हो या उसकी ओर विशेष ध्यान जाता हो। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब गवर्नमेंट द्वारा पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट कमेटी बनी थी, तो उसमें हरिजनों का एक भी सदस्य नहीं था। तो समझ में नहीं आता कि जब विधान सभा और गवर्नमेंट में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो हरिजनों का यह कोशिश करना कि रिजर्वेशन वाली धारा हर जगह लागू हो जाय, मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं है और अगर सरकार या हमारे अन्य साथी यह चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न इस हाउस में न लाया जाय तो मेरी राय में वे इस बात की कोशिश करें कि जहां कायदे से हरिजनों का एक प्रतिनिधि होता हो वहां दो कर दें और फिर देखें कि इस पर भी हरिजन मांग जारी रखते हैं या नहीं।

अभी हाल ही में, उपाध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा कि कौंसिल के इलेक्शन में ८ आदमी चुने गये और कायदे से एक से ज्यादा हरिजनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिये थे लेकिन एक भी नहीं हुआ। अगर हम हरिजन एम० एल० एज० अपने ही वोट्स से चुनते तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक आदमी अवश्य चुन सकते थे। तो इस प्रकार आये दिन ये बातें हुआ करती हैं कि जहां पर रिजर्वेशन वाली बात आयद नहीं होती वहां हरिजनों को कम्प्लीटली इगनोर कर दिया जाता है। इसी तरह से सर्विसेज में भी माननीय सदस्यों को नागवार मालूम होता है कि जब देखो हरिजनों के बारे में ही प्रश्न हुआ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ एक मतलब है और वह यह है कि हम हाउस के सामने सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि जो नीति १८ फीसदी की है वह वास्तव में दिखावटी है और इसके अन्दर कोई सार नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग प्रश्नों के उत्तर में यह न सुनते कि ३०० चपरासियों में सिर्फ १४ चपरासी रखे गये जब कि उनको ५४ रखना चाहिये था। तो यह प्रश्न एक बड़ा गहरा प्रश्न है जब आप चपरासी जैसी जगह के लिये पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं दे सकते हैं जहां पर योग्यता और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर बड़ी जगह के लिये हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जायगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जब तक संविधान में हरिजनों के लिये रिप्रिजेन्टेशन का प्रश्न है और जिस प्रकार की चीजें हरिजनों के लिये रखी गयी हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात से तो उसी आधार पर न्याय पंचायत में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है कि इसको ६० तक रखा जाय और तब उसके बाद यह खत्म हो जायगा, तो इस प्राविजन के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन तो अपने आप ही इस ऐक्ट में हो जाता है। मान लीजिये कि ऐक्ट में खत्म नहीं होता है जो अभी म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट पास हुआ है उसमें भी इस प्रकार का प्राविजन नहीं है कि ६० तक या १० साल तक हरिजनों का प्रतिनिधि रखा जाय। वह तो उस संविधान के अनुसार जैसा भी होगा चलेगा या नहीं चलेगा। उसके अनुसार ही होगा। इसलिये मैं अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह अपने हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचें कि आज हरिजन जो यह अपनी बात रोजाना कहते हैं वह क्यों कहते हैं। अभी रामनारायण त्रिपाठी जी ने फीस के लिये संशोधन रखा था। उसको हम भी रख सकते थे लेकिन अगर इस बात को कोई दूसरा ही रख दे जिसको हम चाहते हों तो फिर हमको उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अगर जो उस बात को, जो हमारी हो, आप ही कर दिया करें तो फिर हमारे लिये कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और हाउस का समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं तो असल में इसका विरोधी हूं कि यह १९६० क्यों रखा गया है। जब एक जगह आप रख रहे हैं फिर उसको क्यों बैन करते हैं? हमारा संविधान जो है वह हमारे लिये मान्य है और उसके लायल हैं। इसलिये हम यह समझते हैं कि वह उचित नहीं है। यह जो संशोधन आया है इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं लेकिन आप बीच में इस तरह की बात क्यों रख देते हैं कि यह रिजर्वेशन ६० तक ही रखी जाय? इसके अन्दर रिजर्वेशन रखा गया है जो कि इंडियन संविधान के मुताबिक है तो फिर बीच में आप यह दूसरी बात कैसे ले आते हैं कि इसको फलां समय तक रखा जाय और इसको बैन कर देते हैं? आज भी मैंने देखा कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा कि १४ चपरासी रखे गये जब कि ज्यादा होने चाहिये थे। तो चपरासी के लिये किस योग्यता की आवश्यकता है जिसकी वजह से आप यह पूरी जगह नहीं देना चाहते हैं? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डेमोक्रेसी सफलीभूत नहीं हो सकती है अगर हम अपने संविधान के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। जो और बात संशोधन में कही गई है वह बड़ी सुन्दर है और माननीय मंत्री महोदय को उसको मान लेना चाहिये क्योंकि यह संशोधन बहुत सुन्दर है।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--आज जो इस पंचायत राज के विधेयक में संशोधन हो रहे हैं और उसमें जो यह रिजर्वेशन के लिये संशोधन हुआ है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ऐसा संविधान हमारे देश में मौजूद है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन जब तक वह उचित समझेंगे रहेगा तो फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आयी कि इस संशोधन में यह कहां से आ गया कि सन् १९६० तक यह रहेगा। यह चीज कहां से अपनायी गयी, किस तरीके से अपनायी गयी? यह देखकर कहना पड़ता है कि किसी भी ऐक्ट में ऐसा नहीं आया कि उस सीमा तक रहेगा सिवाय विधान के जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ऐक्ट में मीयाद को निकाल दें क्योंकि जब तक यह समस्या है उस समय तक रिजर्वेशन रहेगा। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, हमारी उन्नति न हो जाय तब तक रिजर्वेशन होना चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो रिजर्वेशन की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ म्याद कायम की जाती है। यह बड़े खेद की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे श्री मुरलीधर कुरील के संशोधन को मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो श्री मुरलीधर कुरील ने उपस्थित किया है, मैं उसकी मुआफिकत में कुछ कहने को खड़ा हुआ हूं। जहां तक संविधान का संबंध है उसमें बिलकुल साफ है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के लिये हरिजनों को कोटा या सुरक्षित स्थान रखे गये हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या ग्राम पंचायतों में जो स्थान सुरक्षित रक्खे जाते हैं वे धारा के मातहत नहीं रक्खे जाते बल्कि वह आर्टिकिल १५(४) और १६(१) (४) के मातहत रक्खे जाते हैं। चूंकि वह बहुत पिछड़े हुये हैं, वह दूसरे लोगों के मुकाबिले में नहीं आसकते जब तक कि उनको सुरक्षित स्थान न दिये जायं, इसलिये यह रक्खा जा रहा है। जहां तक संविधान का ताल्लुक है वह बिलकुल साफ है, उसमें तो पार्लियामेंट और असेम्बली के लिये सुरक्षित स्थान रक्खे गये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और ग्राम पंचायत के लिये उसमें कोई जिक्र नहीं आया है लेकिन उनकी गिरी हुई हालत को देखते हुये इन संशोधनों में सुरक्षित स्थान रक्खे गये हैं। फिर यह कह देना कि चूंकि संविधान में सन् ६० तक या १० साल के लिये रक्खा गया है, उसके बाद वह खत्म कर दिया जायगा इसलिये इसमें भी वही कर दिया जाय, इसके बारे में मेरा यह कहना है कि चाहे १० साल के बाद में असेम्बली और पार्लियामेंट में हरिजनों के सुरक्षित स्थान न रहें लेकिन अगर उस समय भी यह हाउस यह उचित समझे कि टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों में उनके स्थान सुरक्षित रक्खे जायं तो वही रहेगा जो हाउस मंजूर करेगा। ऐसी हालत में यह तय कर देना कि फलां तारीख तक स्थान सुरक्षित करते हैं, उचित नहीं है या संविधान का सहारा लेकर हम कहें कि जब तक असेम्बली और पार्लियामेंट में स्थान सुरक्षित रहेंगे तभी तक इसमें भी सुरक्षित रक्खे जायं, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

एक बात यह भी कही गयी कि ये न्याय की एजेंसी है इसलिये उसमें रिजर्वेशन होना उचित नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि उनके लिये मुंसिफी और जुडिशियरी में भी स्थान सुरक्षित रक्खे जाते हैं इसलिये यह सोचना कि न्याय पंचायतों में हरिजनों के स्थान सुरक्षित न रक्खे जायं, अनुचित है। इसके अतिरिक्त अब तक जो चुनाव होते थे वे गांव सभा के द्वारा होते थे उसमें बहुत कुछ गुंजाइश थी कि लोग वहां चुन कर आ जायं। लेकिन ऐसी अवस्था में हम कैसे उम्मीद करें कि वहां पर उनकी नामजदगी हो जायगी जब कि नामजदगी का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि प्रेसाईडिंग अथारिटी होगा, को होगा? ऐसी चीजों को देखते हुये जब कि नाना प्रकार की नौकरियां चाहे जिस तरीके से भर ली जाती हैं और उसमें नामजदगियां होती हैं, उनमें हरिजनों को नहीं लिया जाता, तो मैं नहीं समझता कि यह कैसे कहा जा सकता है कि अब ऐसी अवस्था आगई है कि वे हमारे साथ न्याय करेंगे। रोजमर्रा के कार्यों को देखा जाय तो पता लगता है कि उतना ऊंचा स्तर हमारे समाज का नहीं हो पाया है कि वे हरिजनों को समान अधिकार देने के लिये हो जावें। यहीं तक नहीं, अफसरों में भी कहीं पार्टीबन्दी के आधार को लेकर, कहीं किसी प्रकार के आधार को लेकर, वह उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि इस तरीके से न्याय अदालतों में उनका रिजर्वेशन न करना और उनको यह कहना कि इन दूसरे तरीकों से, या नामजदगी से, उसमें आसकेंगे, यह नामुमकिन बात है। मान लो कि हरिजन कोई वैसे भी चुनकर आगया तो उसे उस अवस्था में छोड़ना होगा या यों कहिये कि एक सीट बढ़ जायगी और हरिजन उससे वंचित रह जायगा। तो इस तरीके से वह इलेक्शन ही ऐसा होगा जिसमें हरिजनों को उनकी आबादी के अनुपात से, जैसा कि इस ऐक्ट में सेक्शन है, उसको पूरा नहीं किया जायगा और फिर यह सोचा जायगा कि उस सीट को बाद में पूरा किया जाय चाहे नामजदगी से पूरा करें या कैसे भी किया जाय। इस तरह से या तो नामजदगी करनी होगी या दूसरा चुनाव होगा ऐसी हालत में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि क्यों न न्याय पंचायतों में भी उनका रिजर्वेशन स्वीकार किया जाय और उस आधार पर उनकी नामजदगी या एप्वाइंटमेंट किया जाय। किसी हद तक न्याय अदालत का पंच गवर्नमेंट सर्वेंट माना गया है, ऐसा तसलीम किया गया है,

[श्री जयपाल सिंह]

कि उसे सरकारी नौकरी के तमाम अधिकार प्राप्त हैं, यह आप देख सकते हैं जो डेफिनीशन धारा २१ के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बतलाई गई है। गांव सभा का मेम्बर या पंचायती अदालत का मेम्बर गवर्नमेंट सर्वेंट की परिभाषा में आता है और इस तरह की पाबन्दी उन पर लगाई जाने की बात है। तो ऐसी हालत में यह कहना कि उनके लिये स्थान सुरक्षित न रखे जावें, यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

यों तो यह भी कहा गया है और कहा जाता है हमेशा कि हर जगह हरिजनों को पूरे स्थान दिये जावेंगे मगर होता ऐसा कहीं भी नहीं है। मुंसफी में, जुडिशियरी में या डिप्टी कलेक्टरी में जितने भी सरकारी स्थान हैं उनमें उनको कोटा नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें कि उनके स्थानों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाय। मैं यह साफ साफ कहूंगा कि अब तो कहीं-कहीं पर पंचायती अदालतों में सरपंच हो भी गये हैं लेकिन इसके बाद मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि सरपंच हो सकेंगे। तो ऐसी अवस्था में इस बात को देखते हुये उनका स्थान सुरक्षित रखना निहायत जरूरी है और इसी तरीके से अदालती पंचायतों में भी उनको सुरक्षित स्थान देना चाहिये। कोई अवधि मुकर्रर करना या यह कहना कि संविधान के आर्टिकल के अनुसार जब असेम्बली या पार्लियामेंट में सुरक्षित स्थान का प्राविजन खतम हो जायगा उस वक्त तक ग्राम पंचायतों में स्थान सुरक्षित रहेगा, यह तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है कि जब इस हाउस को पूरा अधिकार है कि वह कभी भी अपने कानून में कोई अमेंडमेंट ला सकता है और उस अमेंडमेंट के जरिये उसे खत्म कर सकता है। क्या यहां पहले मुसलमानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट नहीं था? क्या इसी हाउस ने उसको खत्म नहीं किया? क्या इसी हाउस ने सेपरेट एलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट एलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं कायम किया? जब उस हाउस को पूरा अधिकार है तो यह कहना कि इस हाउस को कोई अधिकार नहीं कि वह कोई अमेंडमेंट ला सके। मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इसका माने तो यह है कि इस हाउस के ऊपर शायद सरकार को भरोसा ही नहीं है इसी से तारीख निश्चित करके उनके लिये सुरक्षित रखा जा रहा है। यह मुनासिब नहीं है यह हाउस हर समय अपना कानून बनाने के लिये स्वतंत्र है और इस प्रकार कोई कानून अमेंडमेंट के जरिये या कोई मुकम्मल कानून बनाने का उसे पूरा अधिकार है। तो मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दोनों चीजों पर विचार कर लें और विचार करके देखें कि यह कहां तक पूरा हो सकता है। इसलिये मैं यह बात नहीं कहता हूं कि यह हरिजनों की बात है बल्कि मैं समझता हूं कि इसके लिये अभी उचित अवसर नहीं है।

मेरा यकीन है कि ६-७ साल के बाद समाज में कोई तब्दीली नहीं आ जायगी। अगर ऐसी कोई तब्दीली समाज के अन्दर आ जाय और हिन्दुस्तान से छुआछूत दूर हो जाय, वर्ण व्यवस्था व ऊंच नीच की कोई भावना न रहे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब ६-७ साल की आजादी के बाद हमारे अन्दर कोई तब्दीली खास नहीं आयी है तो अगले दो चार साल में वैसी तब्दीली आ जायगी। ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह दरख्वास्त करता हूं कि वे ठंढे दिल से विचार करें और विचार करके उस पर अमल करने की कोशिश करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर वाद-विवाद खत्म किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य का ध्यान उनके संशोधन की भाषा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले वाक्य की बाबत तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन दूसरे वाक्य की

बाबत कहना है कि वे यह चाहते हैं कि आठवीं पंक्ति के शब्द " and from " के बाद "the twenty sixth day of January, 1950" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जावे, मैं समझता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह अनुचित वाक्य है। मैं तो समझता हूं कि वे उचित समझें तो " and from " को हटाने के लिये कोई संशोधन पर संशोधन पेश कर दें। उसके बाद जो उनके संशोधन का मंशा है वह पूरा हो जायगा। वे स्वयं इसके ऊपर विचार कर लें।

श्री मुरलीधर कुरील--अभी तो शायद माननीय मंत्री जी की तरफ से इसका जवाब होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है और जिस तरफ ध्यान आकर्षित करना था वह भी हो गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

श्री मरलीधर कुरील--जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस के पक्ष विपक्ष में भाग लिया उनका मैं आभारी हूं और माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्ध हटा दिए जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्राविजन्स के हटाने से जो मन्शा श्री शिवनारायण जी का है या दूसरे सदस्यों का है वह भी पूरा हो जायगा। मुझे अफ़सोस है कि अभी जो संशोधन पेश था वह बहस मुबाहिसे के बाद वापस हो गया। मेरा संशोधन अगर पेश हो तो माननीय सदस्य वोट दे सकते हैं। जो रिजर्वेशन मिला है वह तो चालू ही रहेगा चाहे वह संविधान से मिले या सदन चाहेगा तो वह बढ़ भी सकता है और अगर हटाने की बात होगी तो उसे हमें आगे बढ़ाने में रोकटोक न होगी। जब विधान में खत्म हो जायगा या हमें उसे बढ़ाने का मौक़ा न मिलेगा तो इतने से भी हमारा काम चल जाता है, यही काफी है। इसलिये आगे इन प्राविजन्स के रखने से परपज सर्व नहीं होता। अब तक जो कानून बने हैं उनमें कोई तारीख़ निर्धारित नहीं की गई है, कहीं रिजर्वेशन दस साल का है कहीं कितने का है। इससे कन्फ्यूजन पड़ जायगा और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि इन प्राविजन्स को हटा दिया जाय। उनका रिजर्वेशन बराबर जारी रहे। जैसे जैसे प्रगति चल रही है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऐसा करना उनके ही हक़ में ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो कांस्टीटयूशन में समय है उसमें उनकी हालत न सुधरे और कभी मौक़ा हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाया जाय, इसलिए इसमें हाथ पैर बांध देना ठीक न होगा। इसलिए अगर मंत्री जी इसको मान लें तो माननीय शिवनारायण जी की भी इच्छा पूरी हो जायगी और काफी लाभ होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीटयूशन में लिखा है कि रिजर्वेशन दस साल तक रहेगा। इसके दोनों प्राविजन्स का अर्थ है कि वह दस साल तक

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो रहेगा ही और दूसरे प्राविजन में यह है कि अगर उस वक्त गांव सभायें बनी हुई हैं तो यह गांव सभायें जारी रहेंगी जब तक कि ५ साल उनके पूरे हो जायंगे। मान लीजिये कि अब नवम्बर दिसम्बर में चुनाव हुआ और उसके बाद दिसम्बर या नवम्बर '५९ में चुनाव हो गया, तो वह चुनाव ५ साल तक कायम रहेगा और वह लोग सदस्य बने रहेंगे आगे ५ साल तक यानी दिसम्बर सन् '६४ तक। तो इन दोनों प्राविजन के माने यह हैं कि आज से १० साल तक कायम रह सकता है। एक बात बिल्कुल साफ इसके बनाने वालों के दिमाग में है कि जब तक कांस्टीटयूशन में रिजर्वेशन है तब तक तो रहेगा ही तब तक के लिये तो यह गारन्टी करता है लेकिन जब कांस्टीटयूशन में नहीं होगा उस समय रिजरवेशन रहे या न रहे इस पर यह सदन विचार कर सकता है; और उस समय जरूरत हो तो तय कर सकता है। इसलिये यह जो प्राविजन जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय और मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की दलील समझ में नहीं आयी। वह यह कहते हैं कि शिडयूल कास्ट्स के लिये जितना कांस्टीटयूशन में प्रोवाइडेड है उससे भी वे आगे बढ़ रहे हैं और ६० के आगे भी देना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने यह नहीं कहा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अगर आपने यह नहीं कहा तो क्या कहा समझा दीजिये। मैं समझता हूं कि जितना कांस्टीटयूशन में है उसके बाद जो शिडयूल्ड कास्ट के लोग हैं वे स्वयं अपनी शान के खिलाफ समझेंगे रिजर्वेशन का लेना। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें समझा, वे तो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा लेकिन जैसा मैं समझा कि उनका यह कहना है कि वे ६० के आगे भी इस रिजर्वेशन को बढ़ाते हैं। तभी मेरा यह अमेंडमेंट और जरूरी हो जाता है कि यह कंफ्यूजन क्रियेट करता है। मेरा आर्ग्यूमेंट उनकी बात से तो और भी ज्यादा वजनी हो जाता है और रीजनेबिल हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे आर्गूमेंट को स्वीकार करके मेरे अमेंडमेंट को मानेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---जो मैंने कहा था वह यही था कि अब तक कांस्टीटयूशन में है तब तक के लिये तो गारंटीड है ही। लेकिन वह तो २६ जनवरी, १९६० तक है। इसका दूसरा प्राविजन जो है वह यह है कि उस डेट को जो पंचायतें चुनी हुई होंगी उनका वह रिजर्वेशन कायम रहेगा जब तक उनकी मियाद है। वह कई साल बाद तक जा सकता है। कांस्टीटयूशन में जो अवधि है उसके लिये गारंटीड है। उसके बाद इस सदन को अधिकार होगा कि कांस्टीटयूशन की अवधि को रखे या न रखे। अगर कांस्टीटयूशन में बढ़ जाता है तो उसमें भी बढ़ जायगा लेकिन अगर कांस्टीटयूशन में न रहे तो भी सदन को अधिकार रहेगा कि उसको रखे या न रखे।

श्री जयपाल सिंह--मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। पार्लियामेंट और असेम्बलियों के लिये तो सुरक्षित स्थान हैं कांस्टीटयूशन में लेकिन उसके अलावा तो नहीं है। उससे यह किस तरह से सम्बन्धित है?

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें कांस्टीटयूशन में सीट्स का रिजर्वेशन असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये है लेकिन उसी के भाव को लेकर यह गांव सभाओं के लिये

रिजर्वेशन कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जब तक कांस्टीटयूशन में है तब तक तो रिजर्वेशन रहे और उसके बाद सदन को अधिकार हो।

श्री जयपाल सिंह—कांस्टीटयूशन से पहले से था ?

श्री मोहनलाल गौतम—कांस्टीटयूशन से पहले से गांव सभा में ही क्यों इस मुल्क में रिजर्वेशन था शेडयूल्ड कास्ट और माइनारिटीज का इसलिये जो वसूल है यह तो हिस्टारिकल चला आता है उसकी बहस नहीं है। सवाल यह है कि कांस्टीटयूशन में इस वक्त जब तक है तब तक नहीं हट रहा है। उसके बाद आपको खुद अख्तियार होगा कि आप बढ़ायें या न बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्ध हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—श्री रतनलाल जी का जो संशोधन है ४२-ग है वही पहले कृपाशंकर जी का था जो कि उस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया था, पेज ८ पर ३७-ख। और वह इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया था कि उसका आठवें हिस्से से ताल्लुक था इसलिये जब तक कि ५ और ६ न लिये जायं तब तक वह पोस्टपोन कर दिया गया था। इस वक्त रतनलाल जी नहीं हैं इसलिये कृपाशंकर जी को ३७-ख पेश करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री कृपाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपखंड (8) के रेखांकित शब्द "Where" और शब्द "prescribed under Sub-Section" के बीच में "a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिये जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, "where" के आगे जो 'a' लिखा हुआ है वह निकाल दिया जाय क्योंकि फिर दो मर्तबे "a-a" हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ स्पष्ट नहीं मालूम होता है क्योंकि अंग्रेजी की प्रतियों में यह जुड़ता नहीं है, उसमें तो यही मौजूद है। इसलिये इसका अन्तिम रूप जो हो वह पढ़ दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—अब यह इस तरह से होगा "Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed····"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (8) के अरम्भ में शब्द "a" व "prescribed" के बीच में शब्द "Gaon Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ की प्रस्तावित नई धारा 12 (8) के रेखांकित अंश की अंतिम चार पंक्तियां निकाल दी जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द समूह रख दिया जाय :—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक की प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :—

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the remainingnumber of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो इसका जो रूप बनेगा वह इस प्रकार होगा।

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the re'mainin-number of members. But if it again fails to elect the full number of refmaing-ing members it shall be lawful for the so elected members to fill in the seats So remaining vacant of Gaon Sabha and any member so Co opted shall-be deemeds to have been duly elected"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह बिल्कुल प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल है। जो यहां पर प्रस्तावित धारा विधेयक में दी हुई है वह प्रजातन्त्र की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। उसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई गांव सभा अपने पूरे मेम्बरों को चुनने में फेल होती है जो कि सब-सेक्शन (२) में प्रेस्क्राइब्ड है और सीट खाली रह जाती है तो उन सीटों को नियत अधिकारी या सरकार पूरा कर देगी। तो श्रीमान् जी यह भावना ठीक नहीं है। पंचायतें जो कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुकूल बनी हैं कि ग्राम निवासी अपनी भावना के अनुसार जिसे चाहें चुनें, वहां पर सरकार की तरफ से या नियत अधिकारी की तरफ से उनके ऊपर अथारिटी इम्पोज करना यह प्रजातन्त्र के प्रतिकूल है। श्रीमान् जी, जहां तक कोआप्शन का सम्बन्ध है वहां तक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऐक्ट था उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी और कुछ सदस्य कोआप्शन द्वारा लिये जाते थे। तो इस तरह का अधिनियम में प्रोवीजन किया जा रहा है यह किसी तरह से प्रजातंत्र की भावना का समर्थक ही है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय पंचायतों और न्याय पंचायतों से करप्शन हटाना चाहते हैं और ईमानदार सदस्यों को पंचायत में रखना चाहते हैं। लेकिन जो तरीका वे अपनाने जा रहे हैं वह मैं समझता हूं कि किसी तरह से प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल नहीं है। वरन् प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रतिकूल है। वह एक तानाशाही तरीक़ा है और मैं उसका विरोध करूंगा। श्रीमान् जी, जो संशोधन रखा गया है उसके माने यह होंगे कि मान लीजिये किसी ग्राम सभा के लिये ३५ सदस्य चुनने हैं और उनमें से किन्हीं कारणों से २५ ही चुने गये और १० सीटें खाली रह गयीं तो ये १० सीटें माननीय मंत्री जी के अनसार गवर्नमेंट द्वारा पूरी की जायंगी, लेकिन संशोधन में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि वे पहले जो २५ मेम्बर चुन लिये गये हैं वे ही कोआप्शन के द्वारा पूरी कर लेंगे। यह संशोधन मेरी समझ में बहुत ही अच्छा है और प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे मान लें। इससे देश का कल्याण ही होगा और पंचायतों में जो करप्शन का उनको डर है वह भी किसी तरह से नहीं आने पायेगा वरन् वह दूर ही होगा।

श्री कृपा शंकर—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मतलब केवल इतना ही है कि अगर गांव सभा पूरे मेम्बरों को न चुन सके और कुछ जगहें खाली रह जायं तो बजाय इसके कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उन्हें नामिनट करे जो मेम्बर चुन कर आये हैं उन्हीं को कोआप्ट करने का

अधिकार दिया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि कोआप्शन का लफ्ज ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहां पर कमेटी की कोई तादाद फिक्स नहीं होती है और प्राविज़नल तौर पर बनाली जाती है और लोगों को अख्तियार दिया जाता है कि अगर वे चाहें तो २,४, १०, ५ मेम्बर कोआप्ट कर सकते हैं। आम तौर से जो इस तरह की कमेटियां बनती हैं उनके लिये कोआप्शन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो तादाद मुकर्रर थी उसको नहीं चुना गया। उसके बाद उनसे फिर कहा गया कि वे बाकी जगहों के लिये चुनें। फिर भी उन्होंने नहीं चुना। इसके बाद फिर वे लोग जो चुनकर आये वे ही कोआप्ट करें यह कुछ बहुत अच्छा नहीं मालूम होता है। इसमें यह प्राविज़न तो मौजूद ही है कि अगर पहली बार पूरे मेम्बर नहीं चुने जायंगे तो उनसे दोबारा कहा जायगा और दोबारा अगर वे फेल हो जायंगे तब यह मौक़ा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को आयेगा कि वह जिसको चाहे नामिनेट कर दे। इसलिये कोआप्शन की कोई बात उठती नहीं। मौका तो उनको दिया ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जहां दोबारा 'काल अपान' करने के बाद भी पूरी सीटें न भरी जा सकें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्य ने इसको पेश किया है शायद इन दिक्कतों को देखकर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विष्णुदयाल वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और आशा है कि बावजूद माननीय कृपा शंकर के भाषण के और जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं उनके यह सदन और माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। प्रश्न कोई बहुत गूढ़ या संगीन नहीं है। प्रस्तुत धारा के अनुसार जो विधि बनायी गयी है यह है कि यदि पहली बार गांव सभा पूरी संख्या में मेम्बर न चुन पाये तो उसको एक बार फिर चुनने का आदेश मिलेगा और यदि दूसरी बार भी वह पूरी संख्या में गांव पंचायत को नहीं चुन पाती है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार होगा कि वह उतने सदस्यों को नामजद कर दे। माननीय विष्णु दयाल के संशोधन का भाव यह है कि बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देने के जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको यह अधिकार हो कि जितने सदस्यों की कमी है उनको छांट लें। प्रश्न बहुत सरल है। माननीय कृपा शंकर जी ने कोआप्शन के ऊपर कुछ कहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि अक्सर उन व्यक्तियों के लिये होता है जो संख्या जितनी निश्चित होती है उससे अधिक व्यक्ति लिये जाते हैं तो उनके लिये वह प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु जो सुझाव श्री विष्णुदयाल जी वर्मा ने दिया है उसके सिद्धान्त के ऊपर माननीय कृपा शंकर जी ने कुछ कहा जिसको मैं समझ नहीं पाया हूं। शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा था लेकिन अंत में जो उन्होंने कहा वह स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि यदि किसी कारण से गांव सभा के पूरे प्रतिनिधि नहीं छांट पायें जितने कि गांव पंचायत में प्रतिनिधि भेजने हैं। यह स्पष्ट है कि उन्हीं सदस्यों को यदि अधिकार दे दिये जायं जो कि चुनकर आये हैं कि जितने सदस्यों की कमी है उनको वह छांट लें तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन में एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि जहां शुरू में लिखा गया है कि "so elected member" के स्थान पर शब्द "the member so elected" रख दिये जायं। इससे भाषा शुद्ध हो जाती है। जहां देखो वहां पर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को घुसेड़ा जा रहा है। यहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देना बेकार है। चुनाव में अगर पूरी पंचायत नहीं चुन पाती है तो कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि जिनको लोगों ने चुन लिया है, उनको ही अधिकार दे दें कि वह जितनी कमी हुई है, उनको चुन लें।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मैं मान सकता हूं कि यह आपत्ति उठाई जाय कि वहां पर पक्षपात हो सकता है और जो चुन लिये गये हैं वह लोग चुनने में फेवरटिज्म करेंगे। अगर यह आरोप इनके ऊपर लगाया जा सकता है तो इसके साथ ही साथ प्रेस्क्राइब्ड अथ रिटी पर भी लगाया जा सकता है और यह बहस कहीं भी खत्म नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विष्णुदयाल जी ने संशोधन पेश किया है और साथ ही साथ माननीय बालेन्दु शाह जी का जो उसमें संशोधन है मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज सेवा में संशोधन पेश किया गया है उसका मंशा यह है कि जो पंचायत चुनी जायगी और जो मेम्बर उसमें चुने जायंगे उसमें यदि कमी पड़ेगी तो उनको पूरा करने के लिये सरकार की तरफ से नियत अधिकारी होगा वह उस कमी को पूरी करेगा। लेकिन उन्होंने संशोधन रखा है कि इस कमी को पूरी करने के लिये जो लोग चुनकर आयेंगे वह कोआप्शन कर लेंगे। मैं आपके सामने यह रखूं कि पंचायत किस तरह से चुनी जाती है तो यह सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं वह फीस नहीं दे पाते, इसमें कमी पड़ जायगी, इसलिये कि वह चुने नहीं जायंगे। अगर सही सही पंचायतों का चुनाव माननीय मंत्री जी कराना चाहते हैं तो इसको फ्री कर दें और किसी प्रकार की फीस और प्रतिबन्ध न हो तो पंचायतों के चुनाव में कमी का सवाल नहीं होता। जहाँ पंचायतों का चुनाव होता है तो वहां के बसने वाले ईमानदार लोगों को चुन लें और पूरा पूरा चुनाव हो जाय। इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि इसमें पैसा दाखिल करने का सवाल है। जितने लोग दाखिल कर देंगे वही चुने जायंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वह चुने नहीं जायंगे। जब वह चुने नहीं जायंगे तो कमी पड़ जायगी। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो सोचते हैं कि चार रुपया मजदूरी करके इकट्ठा करके फीस दे दें। और फीस देने के बाद हम पंच हो जायं तो इससे हमको कोई फायदा नहीं है और न हमको वह पैसा वापस मिलेगा। तो जब ऐसी चीज उनके सामने है तो वह सोचते हैं कि हम चार रुपये क्यों दें? वह इस वजह से पंचायतों में पंचों के आने में कुछ कमी पड़ जायगी। जो उन्होंने संशोधन रखा है उसके अनुसार जो लोग चुने जायंगे वह उस गांव के प्रतिनिधि होंगे और प्रतिनिधि स्वरूप होने के नाते उस गांव का सुधार करने के लिए अपने माफिक अच्छे लोगों का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद इस तरह से एक अच्छी पंचायत बन जायगी और वह उस काम को अच्छी तरह कर सकती है। तो माननीय मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि उन लोगों को वह अवश्य यह अधिकार दें कि जो चुनकर आयें वह बाकी लोगों का चुनाव करें। यही सब से अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ में माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन मेरे माननीय साथियों ने इस तरमीम को पेश किया उन्होंने एक बात को मद्देनजर नहीं रखा और वह यह है कि यह आपत्ति किन सूरतों में आ सकती है। गांव सभा के मेम्बरान को यह हक दिया गया है कि वह पंचायत के मेम्बरान का चुनाव करें। लेकिन अगर वह किसी वजह से पूरी तादाद जो कानून के मुताबिक रखी गयी है उतने लोगों का चुनाव न करें, चुनाव न करना चाहें तो ऐसी सूरत हो सकती है कि उनसे यह कह सकें कि तुम बाकी लोगों का चुनाव करो। अगर कोई आपत्ति है तो वह दूर हो जानी चाहिए, कोई गलती है तो वह दूर हो जानी चाहिए और उन्हें

पंचायत के मेम्बरान का चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वह इस पर भी चुनाव नहीं करते तो इसके माने यह हैं कि उनके रास्ते में कोई आपत्ति नहीं, बल्कि जानबूझकर वे कायदे का पालन नहीं करना चाहते और कवायद की पूर्ति नहीं करना चाहते। उनमें किसी किस्म की सी पार्टीबाजी, या दलबन्दी जैसी कोई चीज मौजूद है जिसकी वजह से वह कानून को रोकना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं और पूरी तादाद में पंचायतों का चुनाव करना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में फिर उनके साथियों को, उसी जमात को यह हक दे देना कि वह मेम्बर्स को चुनें इसके तो माने यह हैं कि उनको एक ऐसा प्रीमियम दे दिया जाय, एक ऐसा मौका दे दिया जाय कि पहले तो चुनेंगे नहीं, कहने पर भी नहीं चुनेंगे और चुने जाने के बाद उनको यह उम्मीद रहे कि जिनको चुना है वही बाकी को भी कोआप्ट कर लेंगे। तो इस किस्म से एक खास किस्म के आदमी उसम पहुंच जायंगे। इसलिये किसी निस्पक्ष पार्टी को, किसी निस्पक्ष ताकत को यह हक देना चाहिए कि वह उस जगह नामजदगी कर सके और ऐसी सूरत में जब कि ग्राम सभा अपना काम न करे, अपना काम करने से कासिर रहे, बार बार कहने पर भी चुनाव न करे तो फिर उनके चुने हुए मेम्बरों को यह हक देना कि वह आपस में कोआप्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बरों को बढावें यह मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को यह हक अपने पास रखना चाहिये कि मुनासिब लोगों को देखकर कि कौन इसके अहल हैं उनको नामजद करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विष्णुदयाल वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें जो प्राविजन है वह यह है कि दो बार एलेक्शन हो जाने पर भी अगर गांव पंचायतों के सदस्य न पूरे हो सकें तो उन सदस्यों को प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी नामजद करेगी। उनका संशोधन है कि कोआप्शन के द्वारा हो मैं समझता हूं कि कोआप्शन और नामिनेशन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जहां तक आम पब्लिक का प्रश्न है गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो है उसको अधिक अच्छी तरह से समझ सकती है बनिस्बत लोकल आदमियों के क्योंकि जब कानून ने पंचायत को एक बार मौका दिया और फिर दोबारा मौका दिया कि जिन सदस्यों की कमी है उनको एलेक्ट करो, लेकिन उसके बाद भी अगर इस संस्था को वह पूरी नहीं कर सकते तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी नामजद करे। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसको स्वीकार न किया जाय और जो इसमें लिखा हुआ है वही माना जाय।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विष्णुदयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मेरा विरोध इसमें निहित सिद्धांत से उतना नहीं है जितना एक विशेष कानूनी दिक्कत पैदा होने से। यदि गौर करके इसको पढ़ा जाय तो इसमें यह लिखा है—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected."

यदि इस संशोधन को मान लिया, यद्यपि यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन कानून में हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये प्राविजन होना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई भी मेम्बर न चुना जाय, कोई भी नामिनेशन न हो और सब लोग किसी तरह से इलेक्शन को बाईकाट कर दें तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस संशोधन में कोई

[श्री केशमान राय]

प्राविजन नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा यह ख्याल है कि माननीय श्री विष्णुदयाल वर्मा अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णुशरण वर्मा जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं। इसमें दो दलीलें दी गयी हैं। एक तो यह है कि प्रश्न इसमें सिर्फ यह है कि जो ग्राम सभाएं पंचायत के पूरे मेम्बरों को निर्वाचित न करें तो उस काम को कैसे पूरा किया जाय। इसमें यह प्राविजन रखा गया है कि एक बार और उनको मौका दिया जायगा और अगर उस बार भी नहीं चुनते हैं तो सरकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से उन सदस्यों को नामजद करवा सकती है। जहां तक नामिनेशन और कोआप्शन का संबंध है उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है लेकिन उन्होंने जो संशोधन रखा है उसका अर्थ यह है कि जो काम पूरा किया जायगा वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये नहीं होगा बल्कि एलेक्टेड मेम्बर्स से पूरा किया जायगा।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

दोनों कोआप्शन से और नामिनेशन से भी, जिन मेम्बर्स की कमी चुनाव में न आने की वजह से रह गई है उनकी कमी इस तरह से पूरी की जायगी? प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी लेकिन अगर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा कमी पूरी होती तो वह संतोष की बात होगी। उसमें कुछ अन्तर मालूम नहीं होता। अन्तर केवल इतना है कि जो अतिरिक्त मेम्बर्स चुने जाने चाहिये थे, जो नहीं चुने गये हैं उनको बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करे, इस संशोधन का अर्थ यह है कि गांव सभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वे ही यह अधिकार पायें कि उनको चुन लें। यह सैद्धान्तिक रूप से सही भी है क्योंकि सरकारी सदस्यों में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के विषय में जो एतराज किया है उसमें शायद उनको भय है, जैसे जोरावर सिंह जी ने विरोध किया, उनको शायद यह खतरा महसूस होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रक्खी जाय तो मुमकिन है कि उसमें हरिजन लोगों को ज्यादा नामजद करेगी। लेकिन यह प्रश्न ही नहीं है। जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी हरिजनों को चुन सकते हैं। प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को आप उचित समझते हैं या निर्वाचित सदस्यों को, जो कि ग्राम सभा के चुने हुए सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इससे दो दिक्कतें हल हो सकती हैं। एक तो फीस की कमी की जो बात है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि किसी के पास फीस न हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता और दूसरे यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्यों को वक्त से इत्तिला न मिल सके या नियत समय से पहले फार्म्स न भर सकें। यह कारण हो सकते हैं जिनसे पूरे मेम्बर्स न आ सकें। लिहाजा फीस न देने की वजह से जो कमी हो सकती है वह दूर हो जाती है और वह व्यक्ति निर्वाचित सदस्य बन कर आ सकता है।

दूसरी बात नामिनेशन की है। आपने दो ब्लाक्स रक्खे हैं नामिनेटेड और इलेक्टेड। दोनों ब्लाक्स में मतभेद होने की गुंजाइश रहती है। आम तौर से यह होता है कि जो नामिनेटेड ब्लाक के सदस्य होते हैं वे सब एक हो जाते हैं और इलेक्टेड ब्लाक के सदस्य सब एक हो जाते हैं। टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स में नामिनेटेड सदस्य रक्खे जाते हैं वहां तो यह अर्थ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ नामिनेटेड सदस्य दे सकें लेकिन यहां पंचायतों का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के बेसिस पर होना नहीं है तो नामिनेशन का सेक्शन रखने से वह उद्देश्य हल नहीं हो पाता। तो ऐसी नामिनेटेड और एलेक्टेड ब्लाक में आपस में मतभेद होगा और पंचायतों में गड़बड़ होगी इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मुनासिब है और मंजूर किया जाय।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपने विरोधी-दल के सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पहला सेंटेंस पढ़ा होता "व्हेअर ए गांव सभा हैज फेल्ड टु इलेक्ट दी फुल नम्बर आफ मेम्बर्स"। जब गांव सभा फेल हो जाय तभी इस बात की जरूरत होगी। हमने गांव सभा को फुल अथारिटी दे रक्खी है। डेमोक्रेसी की असली जड़ वहां बो रक्खी है। उनको चुनने का पूरा अधिकार दिया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिव नारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक बार फिर उसको पढ़ लें।

श्री शिवनारायण---मैंने उसको पढ़ा है और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसमें यह लिखा है कि "where a Gaon sabha has failed to elect the full number of members" जब गांव सभा फेल हो जाय अपने यहां के सारे मेम्बरों का चुनाव करने में, तब यह दशा आयेगी कि उसको इस प्रकार के नामजद करने की जरूरत पड़े। यहां पर डेमोक्रेसी की गर्दन नापने की कोशिश नहीं की गयी है। इस बिल के अन्दर यह साफ दिया हुआ है कि अगर किसी गांव में ऐसी परिस्थिति पैदा होजाय किसी वजह से कि लोग वोट न करें और वह पंचायत न बन सके तो ऐसी सूरत में सरकार क्या करेगी। उस समय सरकार को यह करना पड़ेगा कि नामिनेट करके उसको पूरा करेगी और बनायेगी। अगर वहां पर मेम्बर एलेक्ट नहीं हुए हैं तो उसके लिये इन्तजाम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी हालत में जो भी अथारिटी प्रेस्क्राइब्ड या और जो भी होगी वह उसको नामिनेशन के जरिये से पूरा करेगी और वह फारमल गांव सभा कहलायेगी तो हमारे भाई ने जो यह संशोधन दिया है वह तो इसी प्रकार का है जैसे बैसाख के महीने में बवन्डर आने से पत्ते उड़ जाते हैं तो यह भी हवा में बात करना चाहते हैं। इसलिये जो यह संशोधन आया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता---माननीय गेंदासिंह को अक्सर अवसर देने के बाद यह प्रश्न ले लिया जायगा।

श्री गेंदासिंह---मैं माननीय विष्णुदयाल जी वर्मा के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अब तो वह अपने विचार प्रकट कर चुके हैं लेकिन माननीय रामसुभग वर्मा जी का जो संशय था उसका उत्तर उन्होंने देने की कृपा नहीं की उस पर फिर विचार कर लें। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनता रहा जब श्री रामसुभग वर्मा जी ने यह कहा था कि रुपये की कमी के कारण जो लोग चुनने से बाकी रह जायेंगे उनको फिर नामिनेट करने का काम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में दे देना उचित नहीं होगा। यदि उनके पास रुपया होता तो संभव था कि वह खड़े होकर यदि जनता का उनको विश्वास प्राप्त था, जनता के वह विश्वासभाजन थे, तो वे चुने जा सकते थे। परन्तु रुपये के कमी के कारण वह उस समय खड़े न हो सके। ऐसा हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जनता की उस भावना की कदर न करें। जनता की भावना की कदर करने की संभावना हम गांव पंचायत से कर सकते हैं क्योंकि गांव पंचायत तो उसी जनता की चुनी हुई है और वह गांव पंचायत उसी जनता में रोज की रहने वाली है। इसलिये उससे यह आशा की जा सकती है कि जनता की उस पुरानी भावना की उस वक्त भी वह कदर करेगी। लेकिन परेशानी तब होती है जब हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इस विधेयक में इतनी मर्तबा आयी है कि उसको यह कह देना कि एक ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी समूचे विधेयक के लिये होगी, कठिन है। मैं नहीं कह सकता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री ने इस मामले में अपने मांइंड को मेक-अप कर लिया या नहीं। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करने के लिये जो होगी वही प्रेस्क्राइब्डअथारिटी नहीं कही जा सकती कि वही खाली जगहों को भरेगी भी। या गांव पंचायत

[श्री गेंदा सिंह]

की बैठक अगर न हो और वह टैक्स न लगाये तो फिर टैक्स लगाने के लिये भी वही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी या गांव सभा का काम करने के लिये भी वही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी यह इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये कोई राय कायम करना बहुत कठिन है इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सूरत शक्ल सामने होती तो इस पर कुछ विचार हो सकता था परन्तु वह नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सूरत शकल सामने हो भी तो वह पंचायत का स्थान नहीं ले सकती है। जोरावर वर्मा जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आज पहली मर्तबा जोरावर वर्मा जी के भाषण से ऐसा लगा कि जिस समय वह बोलने के लिये आये वह तैयार होकर नहीं आये और वह क्षमा करेंगे मुझे यह कहने के लिये कि कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं क्योंकि अगर पढ़े होते तो वह माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का विरोध नहीं करते। वह विष्णुदयाल जी के उद्देश्यों को बिलकुल भूल गये। विष्णुदयाल जी का स्पष्ट यह कहना है कि गांव पंचायत कोआप्ट करलें लेकिन जोरावर सिंह जी कहते हैं कि वह उनसे इंसाफ की उम्मीद न करें, वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से मेरा भरोसा करते हैं, जिसे हम हवा में समझते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर सिंह जी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने उचित नहीं कहा। माननीय केशभानराय जी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिये गुंजाइश अवश्य रहनी चाहिये। मैंने माननीय मंत्रियों को यहां कहते हुए सुना है कि सारी बीमारियों का इलाज एकदम मत करो, आखिर सरकार यहां मौजूद है। वह समय समय पर इलाज करती रहेगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के इस विधेयक से हमें मालूम होता है कि वह न केवल अपनी ही बल्कि अपने वारिसों की भी सारी बीमारी दूर करना चाहते हैं। तो वह अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भी कुछ भरोसा करें। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी और उससे एक दूसरी भावना जैसा कि माननीय जयेन्द्र सिंह जी ने कहा, इन पंचों और सदस्यों के मन में हो सकती है और वह हमेशा अपना उत्तरदायित्व प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की ओर समझेंगे। वे उस गांव पंचायत और गांव सभा के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझेंगे।

आज माननीय केशभान जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति गांव में आयेगी कि लोग अपने पंचों को न चुनें। यह मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा वह कैसे सोचते हैं। माननीय शिवनारायण जी यह कह रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि तुम वोट ही मत दो या कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि डुमरियागंज की तरफ कि तुम अपना वोट ही मत दो और इस पर गांव वालों ने कह दिया दिया कि हम अपनी गांव पंचायत नहीं चुनेंगे। यह संभव नहीं है कि काल्पनिक बात पर कानून बनाना बहुत अच्छी बात नहीं। कानून तो जनता की मांग और आन्दोलन के अनुसार बनता है और वह ठीक काम करता है लेकिन कल्पना शक्ति से कल्पना जगत में कोई कानून बना दें तो उससे जनता को उचित लाभ होगा उसमें अन्देशा रहता है मैं माननीय केशभान राय जी से कहना चाहता हूं कि वह माननीय स्वशासन मंत्री जी की क्षमता पर विश्वास करें। क्योंकि उनके स्वशासन मंत्रित्व के हाथ में रहते हुए इस प्रकार के गांव के गांव और इलाके के इलाके कहने लगें कि वोट ही न करेंगे और ग्राम पंचायत ही न बनायेंगे, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। चाहे वह हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी हो या हम लोग हों, इस समय सभी लोग बैलेट की प्रथा को मान रहे हैं और इसी प्रथा के अनुसार चल कर कुछ भी करना चाहते हैं। ऐसी हालत में इस बात में अंदेशा नहीं हो सकता कि लोग वोट करने ही न जायं। दूसरी बात यह हो सकती है कि किसी गांव में कोई दूसरा कारण हो और एक दो जगहें खाली रह जायं। उनके खाली रह जाने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी कहेंगे कि यह दो आदमी रह गये हैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनको नामजद कर दे। लेकिन हम नहीं समझ सकते कि अथारिटी कौन लोगों को जानती है, किन लोगों पर उसका भरोसा है, वे लोग जिसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेंगे क्या जनता के विश्वासपात्र ही हैं, इसमें हमें संदेह होता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी

कोई भी हो लेकिन वह गांव पंचायत का मुकाबला नहीं कर सकती। गांव पंचायत को अपने लोगों का ज्यादा ज्ञान होता है। जो भला और ईमानदार आदमी है, जो किसी कारणवश नहीं चुना जा सकता है उसको पंचायतें कोआप्ट कर लेंगी।

माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन को मानने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है तथा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी भी अनावश्यक तौर से बदनाम होने से बच जायगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों को अपने चुनने वालों का ज्यादा ध्यान रहेगा। इसलिये अगर उनको अधिकार दे दिया जायगा कि जो जगहें खाली हों उनको गांव पंचायत भर लें तो वह अपनी आवश्यकतानुसार वैसा कर लेंगी तथा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जायगी और गांव पंचायत अपने निर्वाचकों के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व के साथ काम कर पायेंगी। मैं प्रार्थना रकरता हूं और आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी तथा वे माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर संदेह प्रकट किया है, फिर इस पर विचार करेंगे तथा विचार करने के बाद इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--अधिष्ठाता महोदय, अब विवाद समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णु दयाल वर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी के समर्थन करने के बाद कुछ और कहना नहीं रह जाता है लेकिन फिर भी दो एक माननीय सदस्यों ने जो प्रकाश डाला है उसका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले माननीय जोरावर जी ने यह बतलाया था कि कोआप्शन और नामीनेशन में कोई अन्तर नहीं है लेकिन यह बात नहीं है। कोआप्शन और नामीनेशन में बहुत अन्तर है। नौमीनेशन के यह मानी हैं कि वह आदमी जो चापलूस है, दलाल है, उसका नामिनेशन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से होगा। लेकिन कोआप्शन के मानी यह हैं कि विश्वास पात्र आदमी यह जानते हैं कि अमुक आदमी समझदार और ईमानदार है पर किसी कारण से, जैसे कि फीस न दे सकने की वजह से न आ सकें। लेकिन नामिनेशन में वही आदमी आयेगा जो कि टाउट का काम करता है। वैसे तो माननीय मंत्री जी में मुझे पूरा विश्वास है, मैं समझता हूं कि उनमें यह भावना है कि पंचायतों में ऐसे आदमी न आ जायं जो कि उसको बदनाम करें और प्रजा का अहित करें। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां नामिनेशन के माने यही हैं कि सरकार अपने ऐसे आदमियों को लाना चाहती है जो उसकी जी हुजूरी करें और आगामी आने वाले चुनाव में उनकी मदद करें और उनकी पार्टी के लिये प्रोपेगेंडा करें। अगर इस तरह का उनका कोई मंशा हो तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है लेकिन एक सही किस्म के आदमी को लेने के लिये कोआप्शन के प्रश्न पर ही गौर करना होगा। श्री केशभान राय की राय यह थी कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि किसी गांव सभा में एक भी मेम्बर न चुना जाय। वैसे तो यह पासिब्ल नहीं है कि कहीं एक भी आदमी न चुना जाय लेकिन फिर भी मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जहां पर ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत नहीं बनाना चाहते हैं और पंचायत बना कर अपनी इस तरह की व्यवस्था नहीं रखना चाहते हैं तो फिर सरकार को क्या परवाह कि वहां पर ग्राम पंचायत बनायी ही जाय। मैं तो इस विचार धारा का हूं कि जहां के लोग इसको

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]
मुनासिब नहीं समझते हैं वहां नहीं बनाना चाहिये। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय तो उसके लिए जैसे जमींदारी एबालिशन अधिनियम या दूसरे अधिनियमों के लिए संशोधन हुए हैं उसी तरह से इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को मान लें। इस तरह के संशोधन से कल्याण ही होगा। इससे अहित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय चेयरमैन साहब, सब से अन्तिम वाक्य इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य का यह है कि जिस तरह से दूसरे अधिनियमों में जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट आते हैं वैसे ही इसमें भी आ सकते हैं अगर यही चीज है तो मैं इसको अवश्य स्वीकार कर सकता हूं, जो संशोधन कि यहां पेश किया गया है लेकिन अगर इस चीज को अच्छा न समझ कर बार-बार संशोधन लाना हमारी कमजोरी समझी जाय तो मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अब तक कोई भी ऐसा प्रोवीजन कानून में नहीं था कि अगर गांव सभा चुनाव न करे तो भी कोई नामजदगी कर दी जाय क्योंकि अब जो गांव सभाओं के लिए खयाल था वह यह कि जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, जैसे सफाई, लालटेनें लगाना, कुछ टैक्स लगाना तथा श्रमदान के जरिये वे अपने गांव का इन्तजाम कर सकती हैं। लेकिन परिस्थिति अब बदली हुई है और कुछ हद तक बदली गयी है। जमींदारी एबालिशन के बाद जो प्रापर्टी थी गांव सभा की वह वेस्ट कर रही है गांव समाज में। तो जब तक कोई कारपोरेट बाडी नहीं होगी तब तक इन प्रापर्टीज का इन्तजाम कौन करेगा। इस समय खास तौर से सवाल आता है प्रापर्टी के इन्तजाम करने का। पहले प्रापर्टी के इन्तजाम करने का कोई सवाल नहीं था इसीलिये नामिनेशन का कोई प्राविजन नहीं था। अभी भी तीन चार गांव ऐसे हैं जहां गांव सभायें नहीं हैं और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां गांव सभायें नहीं हैं। लेकिन हम अब उस परिस्थिति को नहीं रखने देना चाहते हैं। आखिर इन तीन चार गांव सभाओं में जो प्रापर्टी वैस्ट करेगी वह कहां जायगी। इसलिये जरूरी है कि हर गांव में सभा बनायी जाय जो वहां के सब कामों का इन्तजाम करे। अब सवाल यह है कि कैसे हो। इसलिये चेयरमैन साहब, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार नामजदगी करे। इसलिये कि गांव सभाओं का चुनाव होगा और अगर वे चुनाव न करें तो दोबारा मौका दिया जायगा कि वे चुनाव कर लें। अगर वे दोबारा भी चुनाव नहीं कर पाये तब फिर नामजदगी का सवाल आता है। मैंने बहुत इन्तजार किया था मगर सब से महत्वपूर्ण प्रश्न जो श्री केशभान राय का था उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और वह यह कि अगर किसी गांव सभा का एक भी मेम्बर गांव समाज न चुने और वहां नामिनेशन न हो तो फिर वहां गांव पंचायतों में जो प्रापर्टी वेस्ट हो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। तो इस परिस्थिति के लिए कि कभी इमर्जेंसी आ सकती है, यह क्लाज रखा गया है। माननीय गेंदा सिंह जी जो खास तौर से इस चीज को समझते हैं मुझे अफसोस है कि फिर भी इस कंटिजेंसी का कोई इलाज वे नहीं बतला रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिवा इसके और कोई नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि हमारा इरादा कोई नामिनेशन करने के अधिकार को लेने का नहीं है लेकिन जैसा कि संशोधन में चाहा गया है उससे तो और फेवरेटिज्म और बिटरनेस बढ़ती है और इसी को सोच समझ कर हमने म्युनिसिपैलिटीज से और टाउन एरियाज से हमने नामिनेशन के सिस्टम को हटा दिया है हालांकि स्त्रियों की ओर से और बहुत से लोगों की तरफ से बहुत सी मांग इसकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई थी। इस पर भी इसमें एक बार नहीं दोबारा मौका दिया गया है और अगर दोबारा भी न चुने जायं तब कहीं हमने यह रखा है कि उनको नामिनेट कर दिया जाय। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उन जगहों को भरेगी और वह लाफुल होगा। रहा अच्छे आदमियों के या बुरे आदमियों के आने की बात वह तो दोनों तरीक़ों से अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी आ सकते हैं। कोआप्शन द्वारा भी गलत आदमी आ सकते हैं। इसलिये ख़राब या अच्छे का सवाल नहीं है। जिन्होंने पैसा नहीं दिया हो उनका ही सवाल नहीं है अगर मुख्तलिफ पार्टियां आवेंगी तो वह किन्हीं भी सही या गलत आदमियों को ला सकती हैं, चाहे वह पैसा देने वाले हों या न हों। इसलिये मैं समझता हूं कि कोआप्शन के द्वारा बाकी सीट्स को भरना मुनासिब न होगा और यह प्रथा अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक तरह से गांव समाज की प्रापर्टी की देखभाल हो और उसका नुकसान किसी प्रकार से न हो। इसलिये मुनासिब होगा कि हम इस संशोधन को स्वीकार न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--यह जो दिया हुआ है "It shall be lawful" इसमें यह है कि आवश्यक नहीं है। यह सूरत हो सकती है कि नामिनेशन न करे, इसमें कहीं प्राविजन नहीं है, अगर पूरा बाड़ी तैयार नहीं है तो उसका कार्य लाफुल बनाने के लिए कोई क्लाज है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--वह तो रूल्स में दिया जायगा कि गांव पंचायत के कितने आदमी चुने जायं तब वह फंक्शन कर सकती है। नामिनेशन की बात तो उस वक्त होगी जब काम नहीं चलेगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 12 (8) के रेखांकित अंश की अन्तिम चार पंक्तियां निकाल दी जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द समूह रख दिया जाय :--

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--(श्री गेंदासिंह से) आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री गेंदासिंह--अगर उस संशोधन पर कुछ सुलह जैसी बातें हो गई होतीं और वह स्वीकार हो गया होता तो इस संशोधन को पेश करने की जरूरत न पड़ती। मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी उस संशोधन को स्वीकार करने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया उससे हमको बड़ी निराशा हुई और अब अगर आपकी इजाजत हो तो इस संशोधन को पेश करूं।

अधिष्ठाता--अच्छा, पेश कीजिये।

श्री गेंदासिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (8) निकाल दी जाय।

जैसा कि अधिष्ठाता महोदय मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर माननीय विष्णुदयाल जी का संशोधन स्वीकार हो गया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती और इसीलिये मैंने उसी पर अपने को कंसेंट्रेट किया था। यह तो ऐसी चीज है जिसके लिये कहा जा सकता है कि कभी अगर आवश्यकता पड़े तो फिर कैसे काम लें। माननीय केशभान राय जी ने कहा था कि ऐसी हालत में सरकार के हाथ में ताकत रहनी चाहिये कि अगर कोई स्थान खाली रह जाय तो उनको

[श्री गेंदासिंह]

भरने के लिये कोई उपाय करे। माननीय मंत्री जी ने वर्मा जी का संशोधन अस्वीकार कर दिया तो अब मैं यह उचित समझता हूं कि इसका कानून में से निकाल देना ही उचित होगा।

अधिष्ठाता--मैं गेंदासिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कंटिंजेंसी एराइज हो सकती है कि कोई गांव सभा न चुने तो फिर क्या होगा। क्योंकि जब आप कानून बनाने बैठते हैं तब हरएक एक्स्ट्रीम को सोच लेना चाहिये। मंत्री जी ने उस एक्स्ट्रीम तक को सोच लिया है कि किसी के बहकावे में आकर या यों ही न चुने तो उस सूरत में क्या होगा ?

श्री गेंदासिंह--मैं वही बात बिलकुल कहने जा रहा हूं। अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी यह आशा करते हैं कि कोई गांव बिल्कुल ऐसा हो जायगा जहां पर गांव पंचायत बनेगी नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम--इस सूबे में तीन चार ऐसे हैं।

श्री गेंदासिंह--मुझे बड़ी खुशी हुई कि ३६ हजार गांव सभाओं में से तीन चार गांव सभाओं को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ऐसी बतलाया जहां पर पंचायतें नहीं बनी। ऐसी हालत में दरख्वास्त करूंगा कि उनके पास तो बड़ी भारी ताकत है। जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल बोर्ड में रखती है और ताकत अपने हाथ में ले लिया करती है या नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को अपने हाथ में लेकर किसी अधिकारी को उसका अधिकार देती है। इसी तरह से सरकार को अधिकार बना रहेगा कि जब कोई गांव के लोग खड़े होकर कहें कि हम गांव पंचायतें बनायेंगे नहीं तो सरकार के अधिकारी जो आज हैं वे रहेंगे ही। मैं मंत्री जी का ध्यान जमींदारी विनाश अधिनियम की तरफ ले जाऊंगा, मुझे वह धारा ठीक याद नहीं पड़ती सम्भवतः १२७वीं धारा है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति अपने कर्तव्य पालन से पीछे रह जाय तो उस हालत में सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त करके अपना काम ले सकती है। आज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस जमींदारी विनाश के बाद इन गांव समाजों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है इसे निबाहना चाहिये और मैं उनकी इस चिन्ता में शामिल होना चाहता हूं कि कोई न कोई अथारिटी होनी चाहिये। तो उस अथारिटी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो गांव पंचायत जिसे सारी जनता मिल करके बनाये और अगर वह नहीं बनाना चाहती है तो सरकार के हाथ खुले हुए हैं कि सरकार जिस तरह से चाहे उस गांव का शासन कर सकती है लेकिन उसको गांव पंचायत का नाम नहीं दिया जाय। हमको बड़ी आशा हुई और बड़ा उत्साह बढ़ा जब कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने यह कहा कि ३६ हजार पंचायतों में केवल ३-४ गांव सभायें ऐसी निकलीं जिन्होंने अपनी पंचायत नहीं चुनी क्योंकि मैं तो यह आशा करता हूं कि अगले वर्ष यह तीन चार भी ऐसी नहीं निकलेंगी, वह भी अपनी पंचायतें बना लेंगी। तो कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं मालूम होती है जिसके लिये इस कानून के बनाने की जरूरत हो।

दूसरी तरफ इस कानून के बनाने में जो भ्रम उत्पन्न होता है और अहित होगा, उसकी तरफ भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि कुछ ऐसे लोग मिल जायं और मिल करके यह चाहें कि हम गांव सभा बनने ही न दें तो वैसी हालत में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार होगा कि वह उसे बना सकें तो ऐसी हालत में एक इनकरेजमेंट मिल रहा है। इसलिये मुझे डर लगता

है कि अभी तक तो सिर्फ ४–५ गांव सभायें नहीं बन पाई थीं लेकिन कहीं उनकी संख्या और न बढ़ जाय और बढ़ कर हजार दो हजार के करीब हो जाय, तो अधिष्ठाता महोदय, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। वैसे तो रामनारायण त्रिपाठी जी का जो संशोधन आयेगा उसे अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी मान लें कि २५ प्रतिशत मालगुजारी का गांव सभाओं को मिले तो मैं समझता हूं कि भला कौन ऐसी गांव सभा होगी जो अपने गांव में पंचायत नहीं बनायेगी। उनका संशोधन अगर न भी मानें तो मेरे संशोधन को ही मान लें तो भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो अपने यहां पंचायत की स्थापना में बाधा डाले क्योंकि उसके अनुसार भी गांव सभाओं के पास कुछ धन मिलने की आशा है। उससे तो उनकी तरक्की होगी इसलिये कौन नहीं चाहेगा कि उसके गांव की तरक्की हो। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे कि इस भाग को विधेयक से निकाल दिया जाय।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने दोस्त गेंदा सिंहजी की बातों को सुना और आज अधिष्ठाता महोदय, पहली बार सदन का मेरा यह अनुभव है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने किसी ऐसी बात को कहा है जिसकी मजबूती पर उन्हें खुद भी यकीन और विश्वास नहीं है पूरे तौर पर। इस मेरे अनुभव में उनके बोलने का तरीका और वह जिस तरीके पर इसको आरगू कर रहे थे उससे ऐसा मालूम हुआ जैसे आपकी बहस की पहली चोज लेली जाय तो अधिष्ठाता महोदय, वह मानते हैं कि ऐसी बाधा हो सकती है जिसकी वजह से गांव सभाओं का चुनाव न हो और फिर उसी के लिये रास्ता बताते हैं कि पहले तो कभी ऐसी बात होगी ही नहीं और अगर होती है तो उसके लिये आपका रास्ता यह है कि जमींदारी उन्मूलन में धारा १२७ ऐसी है कि अगर गांव सभा फेल कर जाय तो सरकार अपने नियत अधिकारों के द्वारा उस काम को करावे। अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और वह बात यह है कि कानून जो है वह कानून के ही रास्ते पर हमेशा चला करता है। कानून कभी इस बात को नहीं देखता। तो जहां तक जमींदारी उन्मूलन की उस धारा का ताल्लुक है उसमें साफ तौर पर यह है कि यदि गांव सभा और गांव समाज उस कर्तव्य में फेल हो तो सरकार उसको अपने अधिकारों के द्वारा उस कार्य को करायेगी। लेकिन यहां तो गांव सभा और गांव समाज के चुनने का प्रश्न है। तो माननीय गेंदा सिंह जी के कहने के अनुसार अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि किसी गांव में गांव सभा न स्थापित हुई और सरकार ने जमींदारी उन्मूलन की उस धारा के अनुसार अधिकार करने की कोशिश की तो कानून अपनी जगह पर साफ है कि चूंकि उस गांव में गांव सभा और गांव समाज नहीं है इसलिये उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह प्रश्न ही नहीं है कि फेल हुई। अतएव उस अधिकार को सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है और न उसको कर सकती है। इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जरा बड़ा बीहड़ होता है। वह भावना की दुनिया में नहीं चला करता है। उसका जो वर्क होता है वह सीधे रास्ते पर चला करता है और इसलिये कानून बनाने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसी तमाम परिस्थिति और स्थिति पर विचार करें कि कानून उनकी मदद के लिये आ जाय और इस प्रकार की बहस की इस वर्ष तीन हैं और अगर अगले वर्ष ईश्वर चाहेगा तो एक भी नहीं होगी और अगर होगी तो देखा जायगा। ऐसी कोई बहस कानून बनाने वालों के लिए कोई मतलब नहीं रखती है। खास तौर पर यह बहस इस तरीके से हो सकती है कि मान लीजिये कि किसी प्रान्त का प्रबन्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

इतना अच्छा हो जाय कि साल भर में कुल तीन क़त्ल हों तब फिर माननीय गेंदा सिंह जी यह बहस करेंगे कि माननीय मंत्री जी अब तो केवल तीन क़त्ल हुए हैं और भगवान चाहेगा तो कोई क़त्ल नहीं होगा। लिहाजा यह धारा हटा दी जाय तो जैसा कि यहां कहा गया है कि शुरू में कानून इमरजेंसी के लिये बनाया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह इस स्थिति के लिए विचार करते हैं कि ऐसी बात आ सकती है तो फिर क्या संकोच है। जब इस बात के लिये वे तैयार हैं मान लीजिये धारा १२७ जमींदारी उन्मूलन कानून का इन्टरप्रिटेशन सही है और उसके अनुसार सरकार नामजद कर सकती है, काम को अपने हाथ में ले सकती है तो फिर हिचक क्या है। उसका स्पष्टीकरण अगर पंचायत राज के संशोधन में आया है तो हिचकिचाहट किस बात की है। और यह स्थिति न हो तो हमें मौका मिल जाय अपने को नामजद करने का, यह कसौटी पर नहीं उतरता और इसलिये नहीं उतरता कि अड़ंगा लगाने वाले निगेटिव काम में सफल नहीं होते।

यह निगेटिव तरीका है कि वोट देने कोई मत जाओ, या चुनाव में भाग न लो, गांव सभा का चुनाव न हो सके और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बात के लिये प्रयत्न करता है तो थोड़े से आदमियों का चाहे अल्पमत क्यों न हो, कामयाब होने की गुंजायश होती है। इसलिये जो बहस रखी गई है उसमें मेरी समझ में तो कम से कम कोई चीज आती नहीं और जब मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को देखता हूं तो मैं तो यह समझता हूं कि यह कितने कदम पीछे चले जा रहे हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति इस बात के लिये इशारा करे अपने संशोधन में कि अगर गांव सभाओं का चुनाव फेल हो जाय तो सरकार इस बात को भी निकाल दे कि गांव सभाओं को तुम चुनो। आपका संशोधन अगर पूरे तौर पर मान लिया जाय जैसा आपने रखा है तो उससे यह फल होगा कि अगर गांव सभाओं का चुनाव न हो तो सरकार का कर्तव्य नहीं होगा कि फिर अपने आदमियों को चुने। यह प्रतिक्रियावादी कदम हो सकता है और किसी प्रगतिशील व्यक्ति के लिए यह कहना कि अगर नहीं चुनी जाती तो छोड़ दिया जाय भगवान के भरोसे। तो मैं अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन कुछ ऐसा संशोधन है जिस पर वे स्वयं विश्वास नहीं करते। ऐसा मुझे जान पड़ता है कि ऐसी चीज के लिए फिर वे जोर न दें और इसे वापस ले लें क्योंकि जहां तक मैंने देखा है यह संशोधन अपनी जगह पर परफेक्ट नहीं है। कानून की नजर से कानून के अन्दर कोई गुंजायश नहीं छोड़ देनी चाहिये कि आगे पीढ़ी जो आयेगी वह सुधार करेगी। कानून बनाने वाले जिस वक्त कानून बनाने बैठते हैं वे यह नहीं सोचते हैं कि आगे आने वाले उसमें संशोधन करेंगे। जहां तक मैंने पढ़ा है, कानून वही अच्छा माना जाता है जिसमें संशोधन करने की गुंजाइश कम हो और अगर हो तो बहुत कम हो और अगर कम संशोधन करने की बात हो तो बहुत दिनों के बाद संशोधन करने की बात आये फिर वारिसों के लिये यह उम्मीद करना कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ उनके लिये छोड़ दें यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये इस संशोधन का मैं बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस संशोधन को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस वक्त मैं पहला संशोधन जो माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया था जिस पर अभी वोट लिया गया है और जिस पर माननीय मंत्री महोदय का भाषण हुआ और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिसका समर्थन किया उसके बाद माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसको देख कर मेरा आश्चर्य और बढ़ गया। मैं माननीय गेंदासिंह जी को जानता

हूं, प्रवर समिति में भी वह हमारे साथ बैठे थे और इस विषय पर वहां भी बातें हुई थीं। माननीय मंत्री महोदय का भाषण सुन लेने के बाद उसका संशोधन उपस्थित करना और भी आश्चर्यजनक है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस बात पर और आश्चर्यचकित हूं। जो विधेयक में क्लाज रखा गया है वह उस परिस्थिति का मुक़ाबिला करने के लिये रखा गया है कि जिस वक्त में एक मर्तबा गांव सभा चुनाव नहीं करती है और दूसरी मर्तबा उसको फिर आदेश दिया जाता है पंचों को चुनने के लिए तब भी वह चुनाव नहीं करती है उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जायगा। अगर यह नहीं किया जाता है तो फिर उसका इलाज क्या रह जाता है। वहां तक तो बात समझी जा सकती थी जो माननीय वर्मा जी का संशोधन था कि गांव सभा ऐसे शेष सदस्यों को कोआप्ट करले, जिनका चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अब माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन के प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि अगर दोबारा आदेश देने पर भी गांव सभा चुनाव नहीं करती है तो उसके लिये कोई प्राविजन न रखा जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होगा, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, 'प्लेसिंग कार्ट बिफोर दि हार्स'। यानी कोई कार्य ही नहीं हो सकेगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इसको समझा नहीं है, जैसा कि माननीय रामनरेश जी ने कहा कि वह जानबूझ कर ऐसा प्रस्ताव लाये हैं, ऐसा तो मेरा विश्वास कदापि नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि कुछ ग़लतफहमी में माननीय गेंदा सिंह जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस पर मैं ज्यादा समय माननीय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं और माननीय गेंदासिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे तुरन्त अपने संशोधन को वापस ले लें ताकि हम और आगे बढ़ सकें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन को प्रस्तुत करने में कुछ आश्चर्य प्रकट किया गया है विशेषकर इसलिये कि जबकि माननीय विष्णु दयाल वर्मा जी के संशोधन को इस सदन ने स्वीकार नहीं किया तो फिर यह पूछा जाता है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन को कैसे पेश करते हैं। जब कि मैं कहूंगा कि मैं भी इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो अवश्यमेव मेरे ऊपर भी आश्चर्य प्रकट किया जायगा। किन्तु मैं समझ नहीं पाया कि आश्चर्यजनक की बात आखिर है क्या। माननीय विष्णु दयाल वर्मा ने एक अनपैलेटएबिल और आब्जेक्शनएबिल चीज को एक संशोधित रूप में प्रस्तुत किया था। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यदि यह आब्जेक्शनएबिल चीज इस रूप में रखी जाती है तो संभवतः मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाऊंगा। मैं इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं हूं किन्तु सदन और माननीय मंत्री महोदय इस क्लाज को इस रूप में रखेंगे तो शायद मैं इसको मान लूंगा। जबकि मंत्री महोदय ने और इस सदन ने उस धारा को संशोधित रूप में स्वीकार नहीं किया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि वह अपने पुराने और पहले स्टैन्ड पर वापस आ गये जबकि आपने उस आब्जेक्शनएबिल धारा को परिवर्तित रूप में नहीं माना तो फिर मैं अपना स्टैंड लेता हूं कि आप इस पूरी आब्जेक्शनएबिल चीज को ही दूर कर दें। इसलिये जो आपत्ति और आश्चर्य माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन उपस्थित करने में दिखाया गया है वह मैं समझता हूं कि एक गलत बात है। माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने लेजिस्लेशन के सवाल में बहुत कुछ कहा और कहा कि जहां तक हो सके लेजिस्लेशन बनाते समय हमें बहुत दूर की बातों को देखना चाहिये और जितने अमेंडमेंट्स की आगे आवश्यकता पड़ सकती है उनको जहां तक हो सके फोरसी करके एक ही बिल में रख दिया जाय तो अच्छा है। इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह अवश्य उचित बात है कि किसी बिल में, जहां तक हो सके अमेंडमेंट कम से कम हों, किन्तु यह कहना और दावे के साथ कहना कि इस संशोधन और संशोधित विधेयक के बाद कभी पंचायत राज विधेयक में कोई भी संशोधन पेश नहीं किया जायगा,

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

मैं समझता हूं कि न तो मंत्री महोदय का और न रामनरेश जी का यह कहने का इरादा था।

जहाँ तक पूरी धारा के हटाने का प्रश्न है मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं हालांकि उन्होंने कुछ कारण बतलाये हैं और मैं उनका साथ देता हूं एक सबसे अधिक आपत्ति जो मुझे है इस धारा में वह यह है कि इस धारा के द्वारा, स्वशासन मंत्री द्वारा यदि सदन स्वीकार करता है तो इस सदन द्वारा पंचायत राज के मूल सिद्धांत की अवहेलना की जा रही है। जनता के बीच और जनता में पारस्परिक भरोसा और विश्वास पैदा करना ही पंचायत राज का मूल सिद्धांत है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता भविष्य में किसी पार्टी या दलबन्दी के कारण अपनी भलाई की चीज को ठुकरा जायगी। उधर से, एक दल की ओर से कुछ बातें की जाती हैं। उधर से भी सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें की जाती हैं। मैंने इधर का हूं न उधर का हूं और हालांकि मैं अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मैं परतंत्र भी नहीं हूं इसलिये मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता ४–५ साल के अनुभव के बाद अपने हित की बात को ठुकरा देगी। हां जनता ने अपनी अच्छी और बुरी बातें देख ली हैं उसको अगर अवसर दिया जाय कि मिल जुल कर राय मशविरा करने के बाद अपनी भलाई के लिये गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत बनाये तो जनता उनको नहीं बना पायेगी, तो मैं समझता हूं यह एक गलत बात होगी। इस संबंध में यह भी कहा गया कि यदि भविष्य के लिये यह स्वीकार किया जाय कि जनता ऐसा नहीं करेगी लेकिन यदि वह कर लेगी तो हमारा उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर विधेयक में दिया हुआ है। जो कुछ मंत्री महोदय ने फोरसी कर रक्खा है। ऐसा होने पर जब कि गांव पंचायत या न्याय पंचायत को सस्पैंड करने या डिजाल्व करने की आवश्यकता हो जायगी तो जो उपाय उन्होंने सोच रक्खा होगा वह उस पर क्यों लागू नहीं हो सकता है। यह तो अधिकार रक्खा हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जब वह उचित समझे उसको सस्पेंड कर दे या डिजाल्व कर दे और डिजाल्व होने के बाद रिइलेक्शन होने की आवश्यकता है लेकिन सस्पेंशन के बाद रिइलेक्शन नहीं होगा। रिजोल्यूशन और रिइलेक्शन के बीच में जो विधि उन्होंने सोच रक्खी होगी वह उस समय ऐसी परिस्थिति में क्यों काम में नहीं लाई जा सकती। मैं यह नहीं समझ पाया कि इतने छोटे विषय पर इतनी बड़ी बहस क्यों की जा रही है प्रश्न बहुत सरल और छोटा सा है कि आया मंत्री महोदय इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार देना चाहते हैं और यदि वे देना चाहते हैं तो अवश्य उसको अधिकार दिये जायं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब कि उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिये गये हैं तो इस छोटे से अधिकार को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं उनसे यह कहूंगा कि यदि वह अधिकार देना चाहते हैं तो वह खुल्लमखुल्ला कहें फिर उनको अधिकार दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनमें सबसे प्रमुख बात यही होगी और उसी को मैं केवल दोहराना चाहूंगा कि यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा नामजद किया जाता है तो यह स्वाभाविक है और यह एक अवश्यम्भावी बात होगी कि जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति न होगा बल्कि उस प्रेस्क्राइब्ड अथारटी के प्रति होगा क्योंकि उस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने उनको नामजद किया है। वह कभी भी, चाहे माननीय मंत्री जी जितना भी उस पर विश्वास और भरोसा रखें, चाहे वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जितना ही भरोसा रखे, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह कहना कि क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का या माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का भरोसा उन पर है इसलिये स्वतः जनता का भी भरोसा उन पर होगा, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। जब कि इन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा की जा रही है यह एक गलत बात होगी और इसका यही परिणाम होगा कि वह बजाय जनता को अपने साथ रखने के, बजाय जनता की पुकार सुनने के, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के संकेत देखेंगे और उनके इशारों के अनुसार, उचित या अनुचित, इस पर मैं अभी नहीं जाता, चलेंगे।

यह एक बड़ी ही गलत बात है और एक ऐसी गलत बात है जो कि पंचायत राज के मूल सिद्धांत पर चोट लगाती है क्योंकि एक ऐसे साधारण स्थान पर जब कि जनता पर अविश्वास प्रगट किया जा रहा है तो फिर भविष्य में यह आशा करना कि इस अविश्वास के बावजूद जनता अपने काम चलाने के कार्य को सीरिअसली लेगी, यह कैसे उम्मीद की जा सकती है जब कि इस धारा के द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं। अधिष्ठाता महोदय अधिक न कहकर मैं फिर यही आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसे गेंदासिंह जी ने बताया कि पहले इस प्रकार की कोई धारा न थी और मैंने जो प्रश्न उठाया कि सस्पेंशन के समय जो कार्यवाही की जायगी या जिस प्रकार काम चलाया जायगा, मैं समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं गलत नहीं समझता कि उस प्रकार से भी ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार काम चलाया जा सकता है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि यदि जनता इस पंचायत राज का महत्व न समझे तो उसको इस महत्व को समझाने की कोशिश बारम्बार करे। मैं मानता हूं कि पहले दफा अगर न चुने जायं तो उनको एक बार फिर अवसर दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर एक दफा अवसर देने पर भी नहीं चुन पाते तो उनको साफ साफ यह बता दिया जाय कि यह एक ऐसी शक्ति हमने जनता के हाथ में दी थी जिसका उन्होंने प्रयोग करना उचित और आवश्यक न समझा इसलिये एक विशेष जनता को अभी इस पंचायत राज के एक्सपेरिमेंट के अयोग्य वह समझती है और इसलिये उसके हाथ में यह अधिकार अभी वह नहीं देगी। यह करना बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपने नियुक्त किये हुए व्यक्तियों द्वारा वहां पर इस प्रजातंत्र राज्य के भीतर पंचायत राज का एक फाल्स स्वरूप रखा जाय।

श्री रामलखन मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय रामनरेश जी की इस बात को मान लूंगा जो उन्होंने यह कहा कि बहुत ध्यान से इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन मैं यह भी उनसे कहूंगा कि जो दोष मैंने किया है उससे वह भी खाली नहीं हैं कुछ और सम्मानित सदस्यों ने भी जिनकी बुजुर्गी और बुद्धि पर हम भी भरोसा करते हैं, उन्होंने भी शायद इस धारा को, जिस को निकाल देने को कहते हैं, पढ़ा नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें लिखा हुआ है:—

"Where as prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be law ful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected"

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ मई, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	पद संख्या
१	डिप्टी डायरेक्टर, तराई स्टेटफार्म	रु० ८००–१००–१,०००–५०–१,१०० १००–१,६००–५०–१,८००	१
२	सहायक कृषि इंजीनियर	रु० २५०–२५–४००–प्र० अ०–३०–७००–५०–८५०	१
३	एकाउन्ट्स आफिसर	,, ,,	१
४	ऐग्रीकल्चरल आफिसर	रु० २५०–२५–४००–प्र०अ०–३०–७००–५०–८५०	३
५	सीनियर एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० २१०–१५–३५०	६
६	एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० १२०–६–२१०–१०–२५०	१४
७	सहायक एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० ७५–५–१२०	४३
८	एकाउन्टेंट	रु० १५०–१०–३५०	३
९	कैशियर	रु० ८०–६–१४०	३
१०	नोटर ड्राफ्टर	रु० ८०–५–१००–६–१३०	२
११	क्लर्क	रु० ६०–३–९०–४–११०	९
१२	चौकीदार	रु० २०–१/२–२५	८
१३	म्यून	,, ,,	११
१४	ड्राइवर	रु० ४५–२–६५–३–८०	१०
१५	क्लीनर	रु० २०–१/२–२५	९
१६	स्टोर कीपर	रु० ४५–२–६५–३–८०	२
१७	सईस	रु० २०–१/२–२५	६
१८	डाक रनर	,,	२
१९	ब्लैक स्मिथ	रु० ३०–२–४०–प्र० अ०–२–५०	१
२०	कारपेंटर	,,	१
		योग ..	१३६
		ट्रैक्टर स्टाफ	
२१	ट्रैक्टर मैकेनिक	रु० १२०–६–२१०–१०–२५०	५
२२	ट्रैक्टर आपरेटर	रु० ८०–५–१२०	४५
२३	क्लर्क	रु० ६०–३–९०–४–११०	१
२४	ट्रैक्टर क्लीनर	रु० ४५–३–६०	३०
२५	फोरमैन मैकेनिक	रु० २००–१५–३५०	२
		योग ..	८३
		कुल योग	२१९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर।)

श्री झारखंडेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५४) के ९वें सोमवार के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न ११ के उत्तर में प्रसंगित सूची ३१ दिसम्बर, १९५३ तक भूदान यज्ञ में दान की गई भूमि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिला	५ मार्च, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	६ मार्च, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	दान की गयी भूमि का कुल योग (एकड़ों में)
१	२	३	४	५
१	बलिया	५९१.१३	..	५९१.१३
२	हरदोई	१४२९.२९	१७२.४३	१६०१.७२
३	आजमगढ़	७३२.०९	२.७८	७३४.८७
४	मैनपुरी	४७४.२५	२४५.७८	७२०.०३
५	बुलन्दशहर	१५०५.००	६८४३.०	८३४८.००
६	शाहजहांपुर	७४९.६७	..	७४९.६७
७	इटावा	९१७.६३	९०.२८	१००७.९१
८	बांदा	४०,०००.००	३,०००.००	४३,०००.००
९	देहरादून	७०१.८२	,,	७०१.८२
१०	बरेली	१४९.२२	३४९.८१	४९९.०३
११	बहराइच	३०८६.१९	२७३.०९	३३५९.२८
१२	फतेहपुर	९४५२.९५	१६९४.४०	१११४७.३५
१३	जालौन	११४५२.११	..	११४५२.११
१४	अलीगढ़	१९१५.४६	३९२.१८	२३०७.६४
१५	मेरठ	२६९.३७	१७१.९१	४४१.२८
१६	फर्रुखाबाद	९४.७७	१०३.०	१९७.७७
१७	हमीरपुर	१७६९९.३०	..	१७६९९.३०
१८	सुल्तानपुर	..	८७.१७	८७.१७
१९	बनारस	७५८१.७९	३४.३४	७६१६.१३
२०	जौनपुर	१७५३.१२	५०६२.८८	६८१६.०
२१	आगरा	४५१.८६	१६०.३७	६११.६९
२२	गाजीपुर	७६.०	९२.३७	१६८.३७
२३	मुजफ्फरनगर	२४०.८५	..	२४०.८५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	५ मार्च, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्र फल (एकड़ों में)	६ मार्च, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	दान की गयी भूमि का कुल योग (एकड़ों में)
१	२	३	४	५
२४	मथुरा	७८.२२	२१.२४	९९.४६
		१५३६.४१	१०५.५३	१६४१.७६
२५	झांसी	१४९०.७०	..	१४९०.७०
२६	लखनऊ	..	..	..
२७	इलाहाबाद	२६२०९.०६	१६.३८	२६२२५.४४
२८	गोंडा	६५२१.६८	३०६.६६	६८२८.३४
२९	नैनीताल	..	..	..
३०	मिर्जापुर	१२८५५.०	५५५६.०	१८४११.०
३१	सीतापुर	१२९१.९८	१४०.००	१४३१.९८
३२	रायबरेली	२३०२४.५१	८२७.९४	२३८५२.४५
३३	खेरी	१७५५.११	२६६.३५	२०२१.४६
३४	प्रतापगढ़	७१६५.८२	..	७१६५.८२
३५	गोरखपुर	५३.१६	..	५३.१६
३६	बस्ती	४१७.२८	१.३०	४१८.५८
३७	कानपुर	१२४००.००	५५.००	१२४५५.००
३८	बाराबंकी	१६२६.००	२१०.३१	१८३६.९८
३९	बदायूं	२०३.६२	..	२०३.६२
४०	मुरादाबाद	५४८.५१	४९५६.५२	५५०५.०३
४१	सहारनपुर	२६७८.१०	२५.३५	२७०३.४५
४२	एटा	३१७१.५७	३१८.३९	३४८९.९६
४३	बिजनौर	२८४६.००	१४.००	२८६०.००
४४	पीलीभीत	९९२८.३१	..	९९२८.३१
४५	देवरिया	२००.५२	२.४२	२०२.९४
४६	उन्नाव	३५९०.०	९६४.०	४५५४.०
४७	फैजाबाद	२७७५.७०	१९.००	२७९४.७०
४८	रामपुर	१०१.९८	..	१०१.९८
४९	अलमोड़ा			
५०	गढ़वाल	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
५१	टेहरी-गढ़वाल			

नत्थी 'ख (१)'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर।)

श्री झारखंडेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५४) के ९वें सोमवार के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में प्रसंगित सूची

३१ दिसम्बर, १९५३ तक भूदान यज्ञ में वितरित की गयी भूमि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिला	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ के बाद और ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	वितरित भूमि का कुल योग (एकड़ों में)	उन परिवारों की संख्या जिनको भूमि वितरित हुई
१	२	३	४	५	६
१	बलिया	..	..	..	..
२	हरदोई	..	..	..	..
३	आजमगढ़	१८९.१८	..	१८९.१८	२२४
४	मैनपुरी	..	..	..	..
५	बुलन्दशहर	..	..	..	..
६	शाहजहांपुर	..	..	..	..
७	इटावा	१०.४६	..	१०.४६	१३
८	बाँदा	५६७.००	७.००	५७४.००	४०६
९	देहरादून	..	..	..	..
१०	बरेली	..	..	..	..
११	बहराइच	३२८.१३	..	३२८.१३	२०६
१२	फतेहपुर	..	१६००.०	१६००.०	१,०००
१३	जालौन	२४४१.३४	..	२४४१.३४	४१४
१४	अलीगढ़	४६४.७४	१४.०३	४७८.७७	२५८
१५	मेरठ	..	१६.६५	१६.६५	२०
१६	फर्रुखाबाद	..	..	..	..
१७	हमीरपुर	६९७७.४१	..	६९७७.४१	१७०२
१८	सुल्तानपुर	..	८७.१७	८७.१७	६१
१९	बनारस	४८८.९१५	१०.१२	३७९	३७९
२०	जौनपुर	२४३.०	..	२४३.०	२४०
२१	आगरा	११३.०	१२९.९२	२४२.९२	११२
२२	गाजीपुर	५२.०	१६.६	६८.६	३२१

क्रम-संख्या	जिला	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ के बाद और ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	वितरित भूमि का कुल योग (एकड़ों में)	उन परिवारों की संख्या जिनको भूमि वितरित हुई
१	२	३	४	५	६
२३	मुजफ्फरनगर	..	..	..	..
२४	मथुरा	६०.५२	..	६०.५२	५५
२५	झांसी	..	..	..	
२६	लखनऊ	..	..	..	
२७	इलाहाबाद	६१५.४२	..	६१५.४२	३०९
२८	गोंडा	..	..	..	
२९	नैनीताल	..	..	..	
३०	मिर्जापुर	१९८९.०	४७.०	२०३६.०	५७२
३१	सीतापुर	..	..	..	१४१२
३२	रायबरेली	४४०१.१२५	..	४४०१.१२५	२०३
३३	खेरी	२२७.०	..	२२७.०	
३४	प्रतापगढ़	..	..	..	
३५	गोरखपुर	..	..	..	४६६
३६	बस्ती	२०२.६७	१.३०	२०३.९७	६७८
३७	कानपुर	२१७६.५०	५.०	२१८१.५०	
३८	बाराबंकी	..	..	..	
३९	बदायूं	१२.४७	..	१२.४७	४
४०	मुरादाबाद	..	..	..	
४१	सहारनपुर	४४.९७	४१.८४	८६.८१	८३
४२	एटा	११.०	..	११.०	६
४३	बिजनौर	..	..	..	
४४	पीलीभीत	..	..	..	
४५	देवरिया	४२.१८	२.४२	४४.६०	२०
४६	उन्नाव	६७	५४	१२१	१६१
४७	फैजाबाद	२२२	..	२२२	१७२
४८	रामपुर	..	..	..	
४९	अल्मोड़ा	सूचना उपलब्ध नहीं है।			
५०	गढ़वाल				
५१	टेहरी-गढ़वाल				

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर ।)

उत्तर प्रदेश सरकार

माल (ख) विभाग

सं० ५३४०/–१सी––६३०–सी-५३

लखनऊ, २३ फरवरी, १९५४ ई०

विज्ञप्ति

य० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१) की धारा ११ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित गांवों के फैजाबाद जिले से आजमगढ़ के जिले को और आजमगढ़ जिले से फैजाबाद के जिले को संक्रामण (transfer) का आदेश देते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसमें उल्लिखित किसी बात से किन्हीं ऐसी अधिक कार्यवाहियों (legal proceedings) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस विज्ञप्ति के दिनांक पर किसी ऐसे माल के न्यायालय में विचाराधीन हों जो अब तक इन गांवों के सम्बन्ध में अधिक्षेत्र का प्रयोग करता रहा हो।

क्रम संख्या	गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	तहसील जिसमें संक्रमित किया गया	जिला जिसमें संक्रमित किया गया	तहसील जिसको संक्रामित किया गया	जिला जिसको संक्रामित किया गया
१	ओरिल	१,८७१	अकबरपुर	फैजाबाद	फैजाबाद	फूलपुर	आजमगढ़	गोरखपुर
२	रम्मोपुर	७०६	”	”	”	”	”	”
३	चक लहसुआ	२६	”	”	”	”	”	”
४	चक चकिया	११६	”	”	”	”	”	”
५	चक दुलहा	३	”	”	”	”	”	”
६	चक दुलहिन	१	”	”	”	”	”	”
७	देवदिह	४१८	”	”	”	”	”	”
८	चक किरता	२२	”	”	”	”	”	”
९	मुही उद्दीनपुर	१०९	”	”	”	”	”	”
१०	रुधौली अदाई	११२	फूलपुर	आजमगढ़	गोरखपुर	अकबरपुर	फैजाबाद	फैजाबाद
११	रुधौली माफी	१७५	”	”	”	”	”	”

आज्ञा से,

जहूरुल हसन,
सचिव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर ।)

जिला मुज़फ्फरनगर में जिसको जितनी तकावी ट्रैक्टर के ख़रीदने के लिये अब तक दी गई है उसकी सूची :—

			रु०
१९४८–४९			
१—श्री दीवान इकबाल नाथ	..	..	२४,०००
१९४९–५०			
२—श्री भजन सिंह	..	..	१०,०००
३—श्री इन्द्र प्रकाश	..	..	१०,०००
४—श्री महेश बाल	..	..	१०,०००
५—श्री हरद्वारी सिंह	..	..	१०,०००
६—श्री इनायत अली खां	..	..	१०,०००
७—श्री कुंवर असगर अली खां	..	..	१०,०००
८—श्री हरि रतन स्वरूप	..	..	१०,०००
९—श्री चन्द्र प्रकाश	..	..	१०,०००
१०—श्री ज़हूर हैदर	..	..	७,०००
११—श्री एम० रहमान	..	..	५,०००
१९५०–५१			
१२—श्री सैयद मुरतज़ा	..	..	१०,०००
१३—श्री प्रेम सिंह	..	..	१०,०००
१४—श्री अब्दुल कासिम	..	..	८,०००
१५—श्री रतनलाल	..	..	१०,०००
१६—श्री करम पाल सिंह	..	..	७,०००
१७—श्री मुख्तार सिंह	..	..	७,०००
१८—श्री चुन्नी सिंह	..	..	१०,०००
१९—श्री डेरावाल कलेक्टिव फार्म	..	..	१०,०००
२०—श्री विश्वम्भर दास	..	..	१०,०००
१९५१–५२			
२१—श्री बलवन्त सिंह	..	..	१०,०००
२२—श्री तुंगल सिंह	..	..	५,०००
२३—श्री श्यामलाल	..	..	१०,०००
२४—श्री जगजीत सिंह	..	..	१०,०००
२५—श्री माधो प्रसाद	..	..	८,०००
२६—श्री अतर सिंह	..	..	८,०००
२७—श्री सिसोना कोआपरेटिव फार्म	..	..	१०,०००
२८—श्री बलजीत सिंह	..	..	८,०००
२९—श्री बृजभूषण प्रकाश	..	..	१०,०००
३०—श्री धर्मवीर सिंह	..	..	८,०००
३१—श्री अमर सिंह	..	..	८,०००
१९५२–५३			
३२—श्री पन्नाल ल	..	..	१,००,०००
१९५३–५४			
३३—श्री उदिवाली कोआपरेटिव फार्म	..	..	५,०००
३४—श्री गुलाम मुस्तफा	..	..	५,०००
३५—श्री हसन मेंहदी	..	..	५,०००
३६—श्री लक्ष्मी सरन	..	..	५,०००

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर।)

जिन लोगों से सन् १९५० में कोटद्वारा हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में रुपया जमा कराया गया था उनकी सूची :—

		रु०
१—कैंटेन गबर सिंह, सोल्जर्स बोर्ड, लैंसडाउन	..	१००
२—श्री धन सिंह, कन्ट्रैक्टर, फारेस्ट डिवीजन	..	५००
३—श्री कीरत सिंह सूबेदार, शिबूनगर ..	..	१००
४—श्री चन्द्र सिंह रावत, वकील, पौड़ी ..	..	३१
५—सूबेदार मेजर श्री सुदामा सिंह, मेरुवा सिला	..	१,०५०
६—श्री दौलतराम, फौरेस्ट कन्ट्रैक्टर, सकाली सिला	..	२००
७—श्री रामप्रसाद काला, रुद्रप्रयाग ..	..	३१०
८—श्री लाला श्यामलाल, कोटद्वारा ..	..	२००
९—गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, कोटद्वारा	..	७०
१०—केप्टेन इन्द्र सिंह, सतीचौर ..	..	७५
११—श्री बुद्धि बल्लभ भदोला, लैन्सडाउन..	..	१८०
१२—श्री सोवन सिंह, कोटद्वारा ..	..	२३०
१३—श्री कुन्दन सिंह गुसाईं, वकील, लैन्स डाउन	..	१५०
१४—शिवराजपुर सोसाइटी ..	..	१२०
१५—श्री मनोहर सिंह, ग्राम पदमपुर ..	..	२००
१६—श्री दानसिंह विष्ट, शिबूनगर ..	..	१३०
१७—श्री कीमत सिंह, ग्राम नीबूचौर मोटाढांक	..	१२५
१८—श्री त्रिलोकसिंह, ग्राम शिवराजपुर मोटा ढांक	..	१५०
१९—कर्नल लक्ष्मण सिंह मार्फत कैप्टेन गबर सिंह, लैन्सडाउन	..	१०५
२०—श्री मुरलीधर कुकरेती	..	१५०
२१—श्री नन्दन प्रसाद ..	..	३५५
२२—श्री बद्रीदत्त, नन्दपुर मोटाडढंक ..	..	१३०
२३—श्री अमरदत्त पोखरिया, कोटद्वारा ..	..	५३
२४—देवरामपुर सोसाइटी कोटद्वारा द्वारा त्रिलोक सिंह	..	२७
२५—श्री विशन सिंह रावत, कोटद्वारा ..	..	१९
२६—श्री ठगराम, कोटद्वारा ..	..	५९
२७—श्री जैदेव प्रसाद दुकानदार, कोटद्वारा	..	८९
२८—कैप्टेन मान सिंह, ग्राम नगरासू ..	..	६५
२९—रामारि सोसाइटी ..	..	३५

		रु०
३०—श्री लक्ष्मणसिंह सोरग्रोह लालपानी सनेह	..	४७
३१—श्री जैदेव ग्राम शिवराजपुर मोटाढांक	..	५५
३२—श्री योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी ..	..	२०
३३—श्री कुंवरसिंह रावत, विशनपुर ..	..	४०
३४—श्री रामप्रसाद नौटियाल, ग्राम कांडा खाटली	..	१०
३५—श्री राधेलाल दुकानदार कोटद्वारा ..	..	२००
३६—श्री भवानी सिंह रावत, ग्राम पदमपुर मोटाढांक	..	५१
३७—श्री मोहनसिंह रावत, ग्राम पदमपुर मोटा ढांक	..	५२
३८—श्रीमती कुंवारी देवी, ग्राम नन्दपुर	..	२०
३९—श्री कृपाराम मुख्तार, ग्राम पदमपुर सुखरौ	..	४५
४०—श्री इन्द्रमणि, लोकमनीपुर हल्दूखाता	..	५०
४१—श्री खुखल सिंह, ग्राम पदमपुर सुखरौ	..	१५
४२—श्री बन्सीराम, लैंसडाउन ..	..	१६५
४३—श्री ला० महाबीर प्रसाद, कोटद्वारा	..	८०
४४—श्री उमराव सिंह चौधरी, रामपुर	..	५०
४५—श्री हरदेव सिंह, दुकानदार कोटद्वारा	..	१५०
४६—श्री घासीराम कोटद्वारा ..	..	२६०
	..	
योग	..	६,२७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

प्रश्न संख्या ५४ से संबंधित सूची

क्रम-संख्या	टेस्ट वर्क का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल मजदूरों की संख्या	कार्य समाप्ति का का कारण
१	पटेहरवा-जरमऊ रोड	६-७-५३	१४-७-५३	..	मजदूरों का अभाव
२	तमकोही-सिसवा नहर रोड	५-७-५३	१२-१२-५३	८१,५६५	मिट्टी भराई का काम पूरा हो गया
३	पिपरा घाट-साहब-गंज रोड	२९-८-५३	११-१२-५३	४३,१२१	" "
४	रुद्रपुर-बरहज रोड	१-९-५३	६-१०-५३	..	मजदूरों के अभाव से
५	तमकोही-सलेमगढ़-तरया सुजान रोड	१९-११-५३	११-३-५४	८२,१७२	रबी की फसल की कटाई का समय श्रमिकों के लिये कृषि कार्य में जीविकोपार्जन करने का पर्याप्त अवसर था।
६	बेदपुर-साहबगंज-तमकोही रोड	७-१-५४	११-३-५४	९२,७७८	" "
७	सिरसिया पुल से नौतनवांबजार रोड	९-२-५४	११-३-५४	१२,८२३	" "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर।)

प्रश्न संख्या ७१ से सम्बन्धित सूची

सूची गांव तहसील शाहाबाद जिनमें ओला पड़ा

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	शेखूपुरा	३६	गदमर पट्टी टीका सिंह
२	मोतीपुरा	३७	रवानी पट्टी जवाहर
३	सुहाना	३८	भगवतीपुर
४	टाडा	३९	गहखुलापुर
५	मिलक तुरखेड़ा	४०	परौता
६	तुरखेड़ा	४१	पचतौर
७	महूनागर	४२	किरा
८	चन्दूपुर सालिस	४३	रेवड़ी कलां
९	गजरेला	४४	रेवड़ी खुर्द
१०	बीरपुर	४५	उदयपुर
११	रमपुर	४६	मनसूबपुर
१२	मुहलिया	४७	पीपल वाला
१३	खनूपुरा	४८	असालतपुर
१४	भगवन्तपुर	४९	मड़यान बुधपुर
१५	तालबाबाद	५०	ढ़ीलसर
१६	ढुकरिया	५१	मीरामपुर
१७	परबतपुर नगरिया	५२	गुलड़िया खुर्द
१८	भिलक काजी	५३	भौपतपुर
१९	ककरोवा	५४	गंगापुर गरबी
२०	बन्दार	५५	अहमदनगर
२१	रसूलपुर	५६	मोहम्मदपुर उर्फ नया गांव
२२	चतरपुर	५७	ढ़किया
२३	नन्दगांव	५८	नसुरतनगर
२४	ऊंचा गांव	५९	नादरगंज
२५	चकरपुर भूड़ा	६०	खंजीपुरा
२६	भौपतपुर रायपुर	६१	नवाब नगर
२७	जगेसर	६२	रुस्तमनगर
२८	नबी गांव	६३	यूसुफनगर
२९	याकूबगंज	६४	मदकर
३०	ईशा खेड़ा	६५	गैनी
३१	कूप	६६	ठिरिया
३२	शहदरा	६७	खदेली
३३	पैगम्बरपुरा	६८	लोदीपुर
३४	गदमर पट्टी मोतीसिंह	६९	धंकाशी
३५	रहबानी पट्टी उदा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ व ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

जौनपुर जिले के बाढ़-पीड़ित गांवों की सूची, जिनमें गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	गिरे हुये मकानों की संख्या	धन जो तकावी के रूप में दिया गया			धन जो दान के रूप में दिया गया		
१	२	३	४			५		
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
	तहसील—जौनपुर							
१	रामदयालगंज ..	२	३०	०	०	१००	०	०
२	जौनपुर ..	७	१५०	०	०			
३	हरीरामपुर	२०		..		३७५	०	०
४	गढ़हा सेनी ..	४५		..		११९०	०	०
५	ककोहिया ..	१७		..		१२५	०	०
६	बिशुनपुर ..	१३		..		३००	०	०
७	खमपुर ..	२३		...		५३५	०	०
८	घोरहा	७		..		१७५	०	०
९	लेधवा ..	३		..		७५	०	०
१०	पोखरियापुर	४		..		१००	०	०
११	मसीदा	२		..		५०	०	०
१२	अहमदपुर	७		..		१७५	०	०
१३	सेखवारा	६		..		१२५	०	०
१४	आसमान पट्टी	३०		..		४२५	०	०
१५	मल्हनी	..		..		२५	०	०
	योग ..		१८०	०	०	३,७७५	०	०
	तहसील—मछलीशहर							
१६	अचकरी	२९	२७०	०	०	..		
१७	बेकापुर	१३	१७०	०	०	..		
१८	केवटली ..	१३१	२७०	०	०	..		
१९	चांदपुर ..	१२१	५९०	०	०	..		
२०	सकरा ..	६८	२००	०	०	..		
	योग ..		१,५००	०	०	..		

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	गिरे हुए मकानों की संख्या	धन जो तकावी के रूप में दिया गया			धन जो दान के रूप में दिया गया	
१	२	३	४				
	तहसील—शाहगंज		रु०	आ०	पा०	रु०	आ० पा०
२१	सम्मनपुर ..	१०	३०	०	०	..	
२२	यहियापुर ..	१३	९९०	०	०	..	
२३	मादी ..	१	४०	०	०	..	
२४	लखमापुर	१	५०	०	०	..	
२५	गोरीला ..	१	२५	०	०	..	
२६	अदनाथपुर ..	१	४०	०	०	..	
२७	कौरिया (कस्बा शाहगंज)	१	२५	०	०	..	
२८	गोपालापुर	७	४००	०	०	..	
२९	ताखा मशरिक	२	२००	०	०	..	
	योग .		२,५००	०	०	..	
	तहसील—केराकत						
३०	बिझवर सागर	११५	७२५	०	०	..	
	..		७२५	०	०	..	
	कुल योग. .		४,९०५	०	०	३,७७५	० ०

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

प्रश्न संख्या ७९ से संबंधित सूची

लखनऊ तहसील के ग्रामों की सूची

१—घैला
२—अलूनगर दिगोरिया
३—दाऊदनगर
४—अलीनगर
५—सरसवां
६—दुग्गौर
७—कुलुवा गांडा
८—मखदूमपुर
९—उजरियाव
१०—मलेसेमऊ
११—अहमनमऊ
१२—सरोरा
१३—अरदोनामऊ
१४—बाघामऊ
१५—चंदियामऊ
१६—गाजीपुर बलराम
१७—रूपपेर खदरा
१८—लौहिरामऊ
१९—जेहटा
२०—सैथा
२१—बरावन कलां
२२—बरावन खुर्द
२३—गजराहार
२४—बरीकलां
२५—आराजी महताबबाग
२६—जियामऊ

मलिहाबाद तहसील के ग्रामों की सूची

१—सुल्तानपुर
२—अकड़रिया कलां
३—दुघरा
४—जमखनवां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गृह बनाये गये हैं और इसके पश्चात् भी बनाये जायेंगे ;

और यह आवश्यक है कि ऐसे गृहों के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए प्राधिकारियों की व्यवस्था की जाय और उसे संस्थापित किया जाय,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होगा जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित करे।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन संगठित परामर्श समिति से है ;

(ख) "प्रदेशना" (allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग और अध्यासन (occupation) के अधिकार प्रदान से है किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे (lease) द्वारा प्रदान नहीं है ;

(ग) "गृह" का तात्पर्य धारा ३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट गृह से है और इसके अन्तर्गत उसका कोई भाग और निम्नलिखित भी है :

(१) कोई बाग़ भूमि अथवा बाहरी घर (out houses) जो इस गृह से संलग्न हों,

(२) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा गृह आयुक्त द्वारा गृह में प्रयोग के लिए दिया हुआ उपस्कर (furniture) ;

(३) ऐसे गृह में लगी हुई कोई फिटिंग जो उसके अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये हो ;

(घ) "गृह-आयुक्त" (Housing Commissioner), "गृह-उपायुक्त" (Deputy Housing Commissioner), "सहायक गृह आयुक्त" (Assistant Housing Commissioner) का

तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उक्त अधिकारियों से है ;

(ङ) "औद्योगिक श्रमिक" का तात्पर्य फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ में परिभाषित शब्द worker से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "किराये" का तात्पर्य गृह के उपभोग अ ध्यासन के लिए प्रदेशना गृहीता (allottee) अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से है, और

(ज) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

इस अधिनियम की प्रवृत्ति ।

३—(१) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Industrial Housing Scheme) [जिसे यहां पर आगे चल कर राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) कहा गया है ।] अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्य किसी योजना के अधीन जो गजट में इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, अ द्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत होगा।

(२) राज्य सरकार स ्य-समय पर सरकारी गजट में प्रख्यापन प्रकाशित करके उन नगरों के नाम सहित जहां वह ृह स्थित हों, उन गृहों को निर्दिष्ट करेगी और ऐसा प्रख्यापन इस बात का निर्णायक साक्ष्य (Conclusive evidence) होगा कि ऐसे गृह राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के हेतु राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अधीन बनाये गये थे ।

गृह आयुक्त

४—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके गृह आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

(२) गृह आयुक्त (Housing Commissioner) एकल निगम (Corporation Sole) होगा जो गृह आयुक्त, उत्तर प्रदेश कहलायेगा, उसका सतत अनुक्रम (perpetual Succession) होगा, उसकी अधिकारिक मुद्रा (Official Seal) होगी; वह अपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा , और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।

५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्य के प्रशासन, पर्यवेक्षण और सम्पादन के हेतु एक या एक से अधिक उप-गृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी , जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

(२) उपगृह-आयुक्त तथा सहायक गृह-आयुक्त राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण में तथा गृह-आयुक्त के आदेशों के अधीन गृह-आयुक्त के किसी भी कर्त्तव्य को कर सकेंगे तथा अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कर्त्तव्य करते समय अथवा अधिकार प्रयोग करते समय उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन्हीं दायित्वों से आबद्ध होगा जो गृह आयुक्त के हैं ।

इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अधीन गृह आयुक्त तथा अन्य अधिकारी पब्लिक सर्वेन्ट (जनसेवक) होंगे।

६—गृह आयुक्त तथा धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जनसेवक) समझे जायेंगे।

गृह-आयुक्त के कर्त्तव्य।

७—राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, गृह-आयुक्त गृहों के प्रदेशना उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उत्तरदायी होगा।

परामर्श समिति।

८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह आयुक्त उसके परामर्श के लिये अभिदिष्ट करें, परामर्श समिति संगठित कर सकती है।

(२) परामर्श समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। सभापति सहित उनकी संख्या ७ से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का तथा एक उनके नियोजकों (Employers) का प्रतिनिधि अवश्य होगा।

(३) परामर्श समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

अनधिकृत अध्यासन में समझे गये व्यक्ति।

९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा—

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हों;

(ख) यदि प्रदेशना गृहीता (allottee) होते हुए धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अध्यासन का अधिकारी न रहा हो ;

(ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।

स्पष्टीकरण—केवल किराया दे देने के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि उसने गृह पर प्रदेशना गृहीता की हैसियत से क़ब्ज़ा किया है।

प्रदेशना के लिये प्रार्थना-पत्र

१०—गृहों की प्रदेशना के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार (form) में दिया जायगा जो नियत किया जाय।

गृहों की देखना

११—गृह-आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय।

१२—(१) किसी व्यक्ति द्वारा गृह का अध्यासन उस व्यक्ति द्वारा सर्वदा उन शर्तों के पालन के अधीन होगा जो ऐसे गृह के अध्यासन के सम्बन्ध में नियत की जाय अथवा जिन्हें गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित करें। अध्यासन की शर्तें।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, गृह-आयुक्त अध्यासी को नोटिस दे कर और उसके स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त (Cancel) कर सकता है जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हों। प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

१३—इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी (shall not be called in question) तथा इस अधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी अधिकार के अनुसार किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा (injunction) जारी नहीं कर सकेगा। न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का बाधित होना।

१४—प्रत्येक गृह का अध्यासी ऐसे आकार में अनुबन्ध-पत्र (agreement) निष्पादित करेगा जो नियत किया जाय। अनुबन्ध-पत्र का निष्पादन।

१५—प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रदेशना प्राप्त हो, किराया तथा अन्य परिव्यय (harges) उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे जिन्हें गृह-आयुक्त निश्चित करे। किराये की दरें और अदायगी के दिनांक।

१६—सब किराया तथा अन्य परिव्यय नक़दी में वसूल किये जायेंगे और प्रत्येक अनुगामी मास (frllowing month) की दसवीं तारीख तक देय होंगे। किराया तथा अन्य परिव्यय देने का ढंग।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-आयुक्त उन आदेशों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार प्रचारित करे, समय-समय पर किराया तथा अन्य परिव्ययों के देने का दिनांक बढ़ा सकता है।

१७—देय दिनांक पर अथवा गृह-आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई अवधि में न दिया गया किराया, तथा अन्य परिव्यय बकाया समझा जायगा। किराया तथा अन्य परिव्ययों की बकाया।

१८—गृह-आयुक्त, उप गृह आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह में, जिसमें दाखिल होना वह आवश्यक समझे, यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है। गृह में दाखिले का अधिकार।

१९—यदि किराये पर अन्य परिव्ययों की वह बक़ाया जिसके लिये मांग की नोटिस तामील हो चुकी हो, गृह-आयुक्त के पास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के पास तामील के ३० दिन अथवा ऐसी बढ़ायी हुई अवधि के भीतर, जिसकी वह अनुज्ञा दे, नहीं दी जाती है तो ऐसी बक़ाया, वसूली के व्यय सहित, मालगुजारी की बक़ाया की भांति वसूल की जा सकेगी और उनको अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सम्बद्ध गृह का अनधिकृत अध्यासी समझा जायगा। किराया इत्यादि के बक़ाया की वसूली।

वेतन से किराया की कटौती ।

२०—(१) किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए, कोई व्यक्ति गृह-आयुक्त के साथ ऐसा अनुबन्ध-पत्र निष्पन्न कर सकता है जिसके अनुसार नियोजक, जिसके अधीन वह नियुक्त हो, उसको देय वेतन अथवा मजदूरी में से ऐसी धनराशि जो अनुबन्ध-पत्र मे निर्दिष्ट हो, काट सके और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि प्रदिष्ट गृहादि (Premises) के किराये तथा अन्य परिव्ययों की भरपाई के रूप में गृह-आयुक्त को दे सके ।

ऐसे अनुबन्ध -पत्र के निष्पादन होने पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में किसी बात के होते हुए भी, गृह-आयुक्त द्वारा मांग-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती के लिए लिख कर कहे जाने पर नियोजक श्रमिक के वेतन अथवा मजदूरी में से वह धनराशि काट लेगा और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि को गृह-आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अदा करेगा, और इस मांग-पत्र के विपरीत अदा की हुयी किसी धनराशि के लिये नियोजक उत्तरदायी (liable) होगा ।

(२) यदि इस सम्बन्ध में नोटिस की तामीली ३० के दिन के भीतर नियोजक गृह-आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कटौती की हुयी धनराशि न दे अथवा श्रमिक को उक्त उपधारा के अधीन मांग-पत्र के विपरीत कोई भी धनराशि दे तो, वह कटौती की हुयी या इस प्रकार श्रमिक को दी हुई धनराशि वसूली के सब व्यय सहित उससे मालगुजारी की बक़ाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

गृहादि से बेदखली ।

२१—(१) यदि गृह-आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि—

(क) किसी गृह के अध्यासन के लिए अधिकारी व्यक्ति ने:—

(१) ऐसे गृह के सम्बन्ध में विधितः देय किराया तथा अन्य परिव्यय दो मास तक बक़ाया में रखा है, यदि धारा १६ के अधीन गृह-आयुक्त द्वारा किराये के देने की अवधि बढ़ा न दी गयी हो; अथवा

(२) पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, अथवा

(३) अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है, अथवा

(४) वह इस अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो गृहादि के अनधिकृत अध्यासन में हो, तो गृह-आयुक्त उस समय प्रचलित किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी,

(१) डाक द्वारा; अथवा

(२) उस गृह के सदर दरवाजे अथवा अन्य किसी प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकवा कर; अथवा

(३) अन्य ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस की तामील करके ऐसे व्यक्ति को तथा उस व्यक्ति को जो सम्पूर्ण गृह अथवा उसके किसी भाग के अध्यासन में हो, नोटिस की तामीली से एक मास के भीतर खाली करने की आज्ञा दे सकता है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दी हुयी आज्ञा का पालन करने में कोई व्यक्ति असफल रहे अथवा पालन करने से इनकार करे तो गृह-आयुक्त उस गृह से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है और उस गृह पर क़ब्ज़ा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उतने बल प्रयोग का अधिकार दे सकता है जो आवश्यक हो। आज्ञा की एक प्रतिलिपि उक्त व्यक्ति पर तामील की जायगी।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) अथवा (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गई हो, नोटिस की तामीली के दिनांक से एक मास के भीतर अथवा उस बढ़ी हुयी अवधि के भीतर जिसकी गृह-आयुक्त अनुज्ञा दे गृह-आयुक्त को बक़ाया किराया अथवा अन्य परिव्यय दे दे अथवा अपने द्वारा उल्लंघन की हुयी शर्तों का पालन और अनुपालन गृह-आयुक्त के संतोष के अनुसार करे, तो गृह-आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गयी अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है और तत्पचात् वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों के अनुसार अध्यासीन रहेगा जिनके अन्तर्गत वह नोटिस की तामीली से ठीक पूर्व अध्यासीन था।

अपील का अधिकार।

२२—(१) धारा १२ अथवा धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन गृह आयुक्त की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त धाराओं के अधीन आज्ञा की तामील से १५ दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उक्त १५ दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे संतोष हो कि प्रार्थी पर्याप्त कारणवश निश्चित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार गृह-आयुक्त से आख्या प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे और राज्य सरकार की यह आज्ञा अन्तिम होगी।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो राज्य सरकार उस आज्ञा का निष्पादन (enforcement), जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, उस अवधि के लिये और उन शर्तों पर रोक सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

हर्जे की वसूली के अधिकार।

२३—(१) जब कोई व्यक्ति किसी गृह के अनधिकृत अध्यासन में हो तो गृह-आयुक्त ऐसे गृह के उपभोग और अध्यासन के लिये ऐसे हर्जा (demages) नियत रीति से अवधारित कर सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे और उस व्यक्ति पर डाक द्वारा अथवा अन्य रीति से नोटिस तामील करके आज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा अदा करे।

(२) यदि कोई व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा देने से इनकार करे अथवा देने में असमर्थ रहे तो हर्जा मालगुजारी की बक़ाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको हर्जा देने की आज्ञा दी गई हो, अपने दायित्व के प्रतिवाद में (to contest his liability) क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) न्यायालय में वाद (suit) प्रस्तुत करने से रोक सके:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (२) के अधीन धनराशि वसूल नहीं की जा चुकी हो तो ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहले उक्त व्यक्ति उपधारा (१)

के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि गृह-आयुक्त के पास जमा कर देगा और जमा की हुई धनराशि न्यायालय की आज्ञा के अधीन जमा रहेगी।

अधिनियम के अधीन देय धन-राशियों की वसूली।

२४—(१) इस अधिनियम के अधीन देय सभी धनराशियों की वसूली मालगुजारी की बक़ाया की भांति की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी सभी धनराशियां राज्य सरकार के नाम सरकारी ख़ज़ाने में अथवा इम्पीरियल बैंक में, जैसा भी नियत किया जाय, जमा की जायंगी।

अपराधों की अवेक्षा।

२५—जब तक कि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो कोई न्यायालय गृह-आयुक्त के अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी कर्मचारी (official) के अभियोग-पत्र (Complaint) अथवा उनसे प्राप्त की सूचना के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध की अवेक्षा (Cognizance) नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों की रक्षा।

२६—इस अधिनियम की अधीन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं की जा सकेगी।

दण्ड

२७—(१) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध और अथवा तदन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो ६ मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दिये जा सकते हैं।

(२) किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी विधिक अधिकार के प्रयोग में बाधा डालता है, दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो छः मास तक हो सकता है, अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों, दिये जा सकते हैं।

नियम बनाने का अधिकार।

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन नियम बना सकते हैं।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है:—

(१) गृह आयुक्त के कर्तव्य और कृत्य;
(२) धारा ८ के अधीन परामर्श समिति का संगठन और सदस्यता;
(३) प्रार्थना-पत्र का आकार तथा आवास की प्रदेशना की रीति और उसके अध्यासन की शर्तें;
(४) आकार और रीति जिसमें धारा २२ के अधीन अपील प्रस्तुत की जायगी;
(५) धारा २२ के अधीन अपीलों में देय शुल्क, यदि कोई हो;
(६) धारा १४ और २० में अभिदिष्ट अनुबंध-पत्र का आकार;
(७) धारा १२ या धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन आज्ञा की तामील की रीति;
(८) किराया तथा अन्य परिव्यय दिये जाने का ढंग;
(९) धारा २३ में अभिदिष्ट हर्जे का अवधारण;
(१०) गृहों की देख-रेख और मरम्मत;
(११) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं या नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार की राज सहायता प्राप्त इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अधीन राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृहों के निर्माण में प्रगति हो रही है। बहुत से गृह बन भी चुके हैं और इस संबंध समुचित व्यवस्था होने तक उनके प्रशासन, प्रदेशना, नियंत्रण इत्यादि के लिये अन्तर्कालीन प्रबंध कर दिया गया है। किन्तु उनके प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, मरम्मत, किराया वसूली और अन्य म्बद्ध मामलों के लिये अधिनियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस विधेयक द्वारा इन्हीं यों की व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द,
श्रम मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी–३९ एल० ए–१९५४–८५०